Monday, 13 September, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

...vation Unit
1-6-92
...ated 20-12-83
6
...ment Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20—सोमवार, 13 सितम्बर, 1965/22 भाद्र, 1887 (शक)

No. 20—Monday, September 13, 1965/Bhadra 22, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
569	अमरीका से "फ्रीडम फाइटर" लड़ाकू विमान	Freedom Fighter Planes from U. S.A.	2031-32
571	आकाशवाणी से कमर्शियल प्रसारण	Commercial Broadcasting by the A.I.R..	2033-34
572	विद्रोही नागा	Naga Hostiles	2034-36
573	सेना कर्मचारियों की विधवाओं का पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to Widows of Army Personnel . .	2037-38
574	पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का बड़ी संख्या में आना	Exodous of Minorities from East Pakistan	2038-39
581	पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग	Minorities in East Pakistan .	2039-42
575	विद्युत्-शक्ति उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Power Industry	2042-43
576	भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की हिरासत में	I. A. F. Fighter in Pak. Custody .	2043-4
577	विश्व वाणिज्यिक उपग्रह व्यवस्था	Global Commercial Satellite System	2046-47
578	परियोजना स्थलों पर रिहायश की सुविधा	Housing Facilities at Project Site	2047-49
580	रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास के पास जमा किये गये आभूषण	Jewellery Deposited with Indian Embassy in Rangoon . .	2049-52

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.			
579	बंगलौर में प्रतिरक्षा संस्थान	Defence Establishments in Bangalore	2052-53
201	नकदी के अतिरिक्त अन्य रूप में मजूरी का आंशिक भुगतान	Part Payment of Wages in Kind .	2053
583	श्री बिजू पटनायक की इण्डोनेशिया की यात्रा	Shri Biju Patnaik's Visit to Indonesia	2053

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
584	मुख्य संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का प्रतिवेदन	Report of Chief U. N. Observer .	2053-54
585	सोवियत संघ से "मिग" विमान	M. I. G.s from USSR . . .	2054
586	खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labour	2054
587	राष्ट्रपति सुकर्ण का वक्तव्य	President Soekarno's Statement .	2054-55
588	भारतीय विदेश सेवा	Indian Foreign Service . .	2055
589	नेपाल में पूर्व-पश्चिम राजपथ	East West Highway in Nepal .	2056
590	इण्डोनेशिया द्वारा परमाणु बम बनाया जाना	Manufacture of Atom Bomb by Indonesia	2056
591	हिन्द महासागर में चीनी नौसैनिक अड्डे	Chinese Naval Base in Indian Ocean	2056-57
592	नई जिमेहारी खास कोयला खान में तालाबन्दी	Lock out of New Jemehari Khas Colliery	2057
593	खान अब्दुल गफ्फ़ार का वक्तव्य	Statement of Khan Abdul Ghaffar Khan	2057
594	फ्रीगेटों (जंगी जहाज़ों) का निर्माण	Construction of Frigates . .	2057-58
595	लड़ रही सेना के लिये सहायता उपाय	Relief Measures for the Fighting Forces	2058
596	परमाणु हथियारों का फैलाव	Prolifration of Atomic Weapons .	2058-59
597	तिब्बत को स्वायत्तता	Autonomy of Tibet . . .	2059
598	तिब्बत सम्बन्धी भारत-चीन संधि	Sino-Indian Treaty on Tibet .	2059

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1981	केरल में बागान क्षेत्रों में प्रमाणित सर्जन	Certified Surgeons in Plantation areas in Kerala . . .	2059
1982	नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन	Wages of Municipal Workers .	2060
1983	साबरीगिरी पन-बिजली परियोजना (केरल)	Sabarigiri Hydro-Electric Project (Kerala)	2060-61
1984	भारत में पढ़े-लिखे लोगों की बे-रोज़गारी	Educated Unemployment in India	2061
1985	महाराष्ट्र के जिला यवतमाल में तार तथा टेलीफोन की व्यवस्था	Telegraph and Telephone Facilities in Yeotmal District (Maharashtra)	[illegible]
1986	अरणी (महाराष्ट्र) में टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone Facility at Arni (Maharashtra) . . .	2062
1987	उड़ीसा में शाखा डाक घर	Branch Post Offices in Orissa .	2062
1988	उड़ीसा में डाक क्लर्क	Postal Clerks in Orissa . .	2063
1989	उड़ीसा में मुख्य डाक घर	Head Post Offices in Orissa .	2063

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1990	महाराष्ट्र में अल्प बचत योजना अभियान	Small Savings Scheme Campaign in Maharashtra . . .	2063
1991	महाराष्ट्र में नये डाकघरों तथा तारघरों की स्थापना	Establishment of New Posts and Telegraphs Offices in Maharashtra	2064
1992	तिब्बती नारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Women	2064
1993	सेना के कर्मचारियों के लिए भूमि	Land for Military Service Personnel	2065
1994	मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchanges in M. P. .	2065
1995	काला धन	Unaccounted Money . . .	2066
1996	स्कूलों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम	A. I. R. Programmes for Schools .	2066
1997	नेहरू स्मारक प्रदर्शनी	Nehru Memorial Exhibition .	2066-67
1998	भारत में परमाणु शक्ति का विकास	Nuclear Development in India .	2067
1999	मलयेशिया मे द्रविड़ मुनेत्र कज़गम पर प्रतिबन्ध	Ban on DMK in Malaysia .	2067
2000	सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी	Retired Army Personnel . .	2067-68
2001	श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार	Shram Vir National Awards .	2068
2002	सिपाहियों के परिवारों के लिये परिवार पेंशन तथा प्रतिकर	Family Pension and Compensation to Soldier's families. . .	2068-69
2003	मौसम सम्बन्धी बुलेटिन	Weather Bulletins . . .	2069
2004	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को क्वार्टर	P. & T. Staff Quarters in U. P. .	2069
2005	उत्तर प्रदेश में डाकिये	Postmen in Uttar Pradesh . .	2069-70
2006	टेलीफोन कॉल	Telephone Calls . . .	2070
2007	जयपुर को दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के साथ मिलाने वाली "टैलैक्स" प्रणाली	Telex System, connecting Jaipur with Delhi, Bombay, Madras and Calcutta . . .	2070
2008	रसायनिक और भेषजीय उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Chemicals and Pharmaceutical Industries .	2070
2009	दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद	Aparthied in South Africa .	2071
2010	पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामूहिक निष्क्रमण की जांच	Inquiry into Exodus of Minorities from East Pakistan . .	2071
2011	रक्षा उत्पादन बोर्ड	Defence Production Board .	2071-72
2012	प्रबन्ध में कर्मचारियों का योग	Workers' Participation in Managements	2072
2013	कोयला खानों में होने वाले लाभ में से बोनस	Profit Sharing Bonus in the Coal Mines	2072
2014	चैबासा लौह अयस्क खानों का बन्द हो जाना	Closure Iron Ore Mines, Chaibasa	2072-73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
2015	पंजाब में रक्षा उत्पादन के लिये औद्योगिक एकक	Industrial Units for Defence Production in Punjab	2073
2016	पंजाब में नये सैनिक स्कूल	New Sainik Schools in Punjab	2073
2017	औद्योगिक विवादों में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग	Use of D. I. R. in Industrial Disputes	2073-74
2018	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	2074
2019	लोक सहायक सेना	Lok Sahayak Sena	2074
2020	रेवरेंड माइकल स्काट	Rev. Michael Scott	2075
2021	चिटगांव तथा चालना में भारतीय नागरिकों पर प्रतिबन्ध	Ban on Indian Citizens in Chittagong and Chalna	2075
2022	फिल्म सलाहकार समिति	Film Consultative Committee	2075-76
2023	व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र	Vocational Guidance Centres	2076
2024	अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Stations	2076-77
2025	नौआमुण्डी में "टिस्को" की खानें	TISCO Mines at Noamundi	2077
2026	बर्मा में मिशन स्कूलों का बन्द किया जाना	Closure of Mission Schools in Burma	2077
2027	बर्मा में अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Hospitals in Burma	2077
2028	लौह अयस्क उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Iron Ore Industry	2077
2029	विदेशी फिल्में	Foreign Films	2078
2030	भारतीय सेना में अधिकारियों के पदों के लिये पदोन्नतियां	Promotions to Officer Ranks in Indian Army	2078
2031	एना कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Ena Colliery	2078-79
2032	मेकोंग घाटी	Mekong Basin	2079
2033	ट्राम्बे में विकिरण-विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला	Radiological Laboratory at Trombay	2079
2034	डीज़ल नौ-इंजन कारखाना	Marine Diesel Engine Factory	2079-80
2035	भारतीयों के लिये ईरानी सीमा में प्रवेश पर रोक	Sealing of Iranian Borders to Indians	2080
2036	छावनी बोर्ड के कर्मचारी	Cantonment Board Employees	2080
2037	औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट	Industrial Tribunal Award	2080-81
2038	गम्बिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with Gambia	2081
2039	राजस्थान में शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitter in Rajasthan	2081
2040	भारत में चीनी राष्ट्रजन	Chinese Nationals in India	2081-82
2041	नौसेना का उपकरण	Naval Equipment	2082

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
2042	साज और जीनगीरी कारखाना, कानपुर	Harness and Saddlery Factory, Kanpur	2082
2043	कलकत्ता में ट्रामों के किराये में वृद्धि	Increase in Tram-fares in Calcutta	2083
2044	फिजी का राजनीतिक ढांचा	Political Set-up in Fiji . .	2083
2045	पुस्तक रचना सम्बन्धी सांख्यिकी का अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण	International Standardisation of Statistics relating to Book Production	2083
2046	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	Central Statistical Organisation .	2083-84
2047	फसल-बीमा सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना	Research Project on Crop Insurance	2084
2048	आयुध कारखाना, अम्बरनाथ	Ordnance Factory, Ambarnath .	2084
2049	सब्जी मण्डी डाकघर, दिल्ली	Subzimandi Post Office, Delhi .	2085
2050	नागपुर में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	Shortage of Inland Letters in Nagpur	2085
2051	आकाशवाणी द्वारा समाचार अभिकरणों दिया गया अभिदान	Subscriptions paid by A. I. R. to News Agencies . . .	2085
2052	केन्द्रीय सूचना सेवा	Central Information Service .	2086
2053	आर्मी एज्यूकेशन कोर प्रशिक्षण कालिज तथा केन्द्र, पचमढ़ी	A. E. C. Training College and Centre, Pachmarhi . . .	2086
2054	टेलीफोन राजस्व के लेखाकार्यालयों के डिवीजनों के स्थान	Location of Divisions of Telephone Revenue Accounts Offices .	2087
2055	आकाशवाणी की पत्रिकाओं का मुद्रण	Printing of A.I.R. Journals .	2387
2056	उपभोक्ता-मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index . .	2087
2057	सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालिज तथा केन्द्र, पचमढ़ी	A. E. C. Training College and Centre, Pachmarhi . . .	2088
2058	छिपे हुए नागाओं से आसाम के मुख्य मंत्री की भेंट	Meeting of Chief Minister, Assam with Underground Nagas .	2088
2059	आकाशवाणी दिल्ली में आकस्मिक कलाकार	Casual Artistes in A.I.R., Delhi	2088
2060	आकाशवाणी में आकस्मिक कलाकार	Casual Artistes in A. I. R. . .	2089
2061	जिला डाक सलाहकार समितिया	District Postal Advisory Committees	2089
2062	मोटर गाड़ी परिवहन उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Motor Transport Industry	2089
2063	सेना में आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers in Army	2089-90
2064	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में साइफर असिस्टेंट	Cypher Assistants in External Affairs Ministry . . .	2090

विषय	Subject	पृष्ठ Page
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2091
जीवन बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Life Insurance (Amendment) Bill—Introduced	2091
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल), 1961-62 और अनुपूरक अनुदानों की मांगे (केरल), 1965-66—	Demands for Excess Grants (Kerala) for 1961-62 and Demands for Supplementary Grants (Kerala) for 1965-66—	
श्री वारियर	Shri Warior	2092
श्री मणियंगाडन	,, Maniyangadan	2092-93
श्री हरि विष्णु कामत	,, Hari Vishnu Kamath	2093-94
श्री किशन पटनायक	,, Kishen Pattayanak	2094
श्री मुहम्मद इस्माइल	,, Muhammad Ismail	2094-95
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	,, T. T. Krishnamachari	2095-96
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1965-66—	Demands for Supplementary Grants (General) for 1965-66—	
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	2098
श्री हिम्मतसिंहका	,, Himatsingka	2098
श्री उ० मू० त्रिवेदी	,, U. M. Trivedi	2099
श्री व० ब० गांधी	,, V. B. Gandhi	2100
श्री रघुनाथ सिंह	,, Raghunath Singh	2100
श्री यलमंदा रेड्डी	,, Yallamanda Reddy	2101
श्री मधु लिमये	,, Madhu Limaye	2101
श्री जोकीम आल्वा	,, Joachim Alva	2101-02
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	,, Prakash Vir Shastri	2102
श्री मुहम्मद ताहिर	,, Mohammad Tahir	2102-03
श्री प्र० चं० बरुआ	,, P. C. Borooah	2103
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन	,, C. R. Pattabhi Raman	2103
श्री त्रि० ना० सिंह	,, T. N. Singh	2103-04
श्री रामेश्वर साहु	,, Rameshwar Sahu	2104
अतिरिक्त अनुदानों की मांग (सामान्य), 1962-63	Demands for Excess Grants (General) for 1962-63—	
श्री यलमंदा रेड्डी	Shri Yallamanda Reddy	2105
श्री दी० चं० शर्मा	,, D. C. Sharma	2105-06
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	2106-07
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	2107
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	,, T. T. Krishnamachari	2107-08

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1962-63—	Demands for Excess Grants (Railways) for 1962-63—	
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2109-10
श्री क० ना० तिवारी	,, K. N. Tiwary . .	2110
श्री उ० म० त्रिवेदी	,, U. M. Trivedi . .	2110
श्री कृ० ल० मोरे	,, K. L. More . .	2110
श्री सुब्बरामन	,, Subbaraman . .	2110-11
श्री भागवत झा आज़ाद	,, Bhagwat Jha Azad .	2111
श्री यशपाल सिंह	,, Yashpal Singh . .	2111-12
श्री शिव नारायण	,, Sheo Narain . .	2112
श्री यमुना प्रसाद मंडल	,, Y. P. Mandal . .	2112
श्री ओंकार लाल बेरवा	,, Onkar Lal Berwa . .	2112
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा	,, Braj Bihari Mehrotra .	2113
श्री प्र० चं० बरुआ	,, P. C. Barooah . .	2113
श्री न० प्र० यादव	,, N. P. Yadav . .	2113
श्री स० का० पाटिल	,, S. K. Patil . .	2113
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे), 1965-66—	Demands for Supplementary Grants (Railways) for 1965-66—	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	2114
श्री बाल्मीकी	,, Balmiki . . .	2114
सदस्य का निरुद्ध किया जाना—	Detention of Member—	
श्री बदरुद्दुजा	(Shri Badrudduja) . . .	2115

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 13 सितम्बर, 1965/22, भाद्र, 1887 (शक)
Monday, September 13, 1965/Bhadra, 22, 1887(Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अमरिका से 'फ्रीडम फायटर' लड़ाकू विमान

+

*569. **श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ महीने पहले अमरीका सरकार से भारत वायु सेना के लिये 'फ्रीडम फाइटर' लड़ाकू विमान देने की प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या अमरीका से वे लड़ाकू विमान प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रार्थना अभी अमरीकी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रश्न कब से अमरीकी सरकार के विचाराधीन है और क्या इन विमानों को शीघ्रता से सप्लाई करने के लिये हाल ही में हमने अपनी प्रार्थना को दुहराया है ?

डा० द० स० राजू : यह प्रश्न एक वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन है । हमने अपनी प्रार्थना को पुनः दुहराया है और यह अभी विचाराधीन है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या हमने पाकिस्तान द्वारा हमारे साथ हो रहे युद्ध में अमरीकी विमानों के उपयोग का प्रश्न अमरीकी सरकार के साथ उठाया है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० द० स० राजू : यह प्रश्न अमरीकी सरकार के साथ उठाया गया है और उनकी जो प्रतिक्रिया है उसे हम अच्छी तरह जानते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : It appears from the newspaper reports that the U.S. Government has decided not to give heavy type military aid and planes so long as the fighting is going on. May I know whether the Government of India has received any information in this regard and if so, the reaction of the Government thereon?

डा० द० स० राजू : श्रीमन्, कच्छ के मामले के पश्चात उन्होंने पाकिस्तान तथा भारत को उपकरण देने के बारे में प्रेस में तथा रेडियो पर अपनी अनिच्छा प्रकट की थी। परन्तु हमने उन से पुन: प्रार्थना की है कि इस पर पुनर्विचार किया जाये और यह अभी विचाराधीन है।

श्री बासप्पा : क्या हमने इस बात का पता लगाया है कि देश में कितने लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है ; यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगलौर के भारतीय विमान निर्माताओं ने अच्छा कार्य कर दिखाया है, क्या उन्हें अपनी संख्या में वृद्धि करने की अनुमति दी जायेगी ?

डा० द० स० राजू : इन विमानों की आवश्यकताओं पर लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान वायु सेना के पास इस विशेष प्रकार के कितने 'फ्रीडम फाइटर' लड़ाकू विमान; हैं यदि हां, तो क्या वर्तमान संघर्ष में इनका उपयोग हमारे विरुद्ध किया गया है ?

डा० द० स० राजू : हमें उनकी वायु सेना की शक्ति के सम्बन्ध में कुछ जानकारी है परन्तु हम उसे इस सभा में देना नहीं चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : Has the Government of India pointed out to the U.S. Government that the fighting which is going on between Pakistan and India is a sort of a civil war and India is doing what Abrahim Lincoln had done in order to foster unity in America and as such the decision not to give military aid to India may be changed?

डा० द० स० राजू : इन मामलों के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार को किसी प्रकार की कोई शिक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे इन मामलों को अच्छी तरह से समझते हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जब पाकिस्तान अमरीकी युद्ध सामग्री से अच्छी तरह से लैस है, हमारे देश पर पाकिस्तान द्वारा किये गये हमले के पश्चात यह प्रार्थना दुहरायी गयी है और यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० द० स० राजू : इसे हाल ही में नहीं दुहराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बागड़ी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि यह प्रश्न दो अथवा तीन महीने पूर्व तैयार किया गया था और यह अब कुछ हद तक पुराना हो गया है ? क्या ऐसे प्रश्नों को छोड़ा नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही महसूस करता हूं। परन्तु सदस्य ही इन्हें वापिस ले सकते हैं।

Shri Bagri : If in the context of the present fighting it contains something that it is necessary not to give any reply to it; I withdraw my question on this ground.

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

आकाशवाणी से कमर्शियल प्रसारण

+

*571. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बासप्पा :
श्री मधु लिमये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 30 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आकाशवाणी से कमर्शियल प्रसारण आरम्भ करने के प्रश्न पर अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मामला अभी विचाराधीन है। यह अत्यन्त विवादास्पद विषय है। सरकार इस पर जनता की राय एकत्रित कर रही है और चंदा समिति की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस प्रकार का एक वक्तव्य दिया था कि हम देश में कुछ कार्यक्रमों में कमर्शियल प्रसारण आरम्भ करने के विरुद्ध नहीं हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : शायद मैं माननीय मंत्री के भाषण के संगत भाग पढ़ के सुना सकता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसका उत्तर मैं देती हूं। जैसा कि हमने अपने उत्तर में यह पहले ही बता दिया है कि यह मामला अभी विचाराधीन है और हम जनता की राय का पता लगा रहे हैं। भोपाल में मेरे द्वारा की गई इस टिप्पणी पर विज्ञापन देने वालों के समाज ने इसका विरोध किया। मैंने उन्हें बताया कि हमारे विचाराधीन कई दृष्टिकोणों में आपका भी दृष्टिकोण है। एक स्थल विज्ञापन होता है जहां आप अपने उत्पाद का सीधे ही विज्ञापन करते हैं। दूसरा विज्ञापन इस प्रकार का होता है कि कार्यक्रम तैयार किये जाते है। कार्यक्रम का उत्पाद से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसे दिखाये जाने से पूर्व यह सन्देश दिया जाता है कि इसे अमुक कम्पनी ने तैयार किया है। अब या तो कम्पनी किसी कार्यक्रम को चुन सकती है अथवा सरकार कार्यक्रम खरीद सकती है और विभिन्न कम्पनियों को इस की पेशकश कर सकती है। कहने का आशय यह है कि कार्यक्रमों के स्तर को बनाये रखने के लिये हम जिम्मेवार होंगे और कम्पनियां इन कार्यक्रमों के साथ अपना अपना नाम जोड़ देंगी जिससे उनके नाम की मशहूरी हो जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या चन्दा समिति संसार में कुछ लोकतंत्रात्मक देशों में किये जा रहे कमर्शियल प्रसारण के पक्ष तथा विपक्ष में विचारों का भी ध्यान रखेगी और यदि हां, तो वह उन देशों में लोक मत को कैसे पता लगायेगी कि क्या यह कार्यक्रम उपयुक्त हैं अथवा नहीं ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में हमने इस मामले पर विचार अन्य लोकतंत्रात्मक देशों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इस विशिष्ट लोकतंत्रात्मक देश के दृष्टिकोण से करना है, जो कि भारत है।

श्री बासप्पा : क्या कमर्शियल कार्यक्रमों को आरम्भ करने से विविध भारती जैसे किसी अन्य कार्यक्रम को हानि होगी और यदि हां, तो किस हद तक ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में इन को कोई हानि नहीं होगी।

Shri Madhu Limaye : A lot of foreign exchange is being wasted on commercial broadcasting from Ceylon Radio and as such whether Government will make arrangement for commercial broadcasting by setting up of an autonomous Corporation in public sector so that the foreign exchange is saved and also the income of Government is increased?

Shrimati Indira Gandhi : It is what we were talking about and as I have said earlier that it is still under consideration. So far as foreign exchange is concerned, we require notice.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान "इल्लसट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया" में श्री जनसन द्वारा "आल इण्डिया रेडियो" के नाम के बारे में की गई एक उपयुक्त आपत्ति की ओर दिलाया गया है कि "आल" शब्द अर्थहीन है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस उपयुक्त सुझाव पर विचार किया है ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने इस पर विचार नहीं किया है । परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं यह समझती हूं कि आरम्भ में "आल" शब्द उपयुक्त है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या राजनैतिक दलों को भी अदायगी पर कमर्शियल प्रसारण करने का अधिकार होगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी इस पर विचार नहीं किया गया है ।

Shri M. L. Dwivedi : Whether the Ministry of Information and Broadcasting has worked out any figures as to the benefit which is likely to be accrued annually to the Government of India through commercial broadcasting and if so, the decision taken in regard thereto?

Shrimati Indira Gandhi : So far as financial benefit is concerned, it will be there but in regard to its extent it is very difficult to say anything in advance.

विद्रोही नागा

+

*572. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री हेम बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोहियों के वे दल, जो हाल में पाकिस्तान से हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् नागालैण्ड में पुन: प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे, दलों में या एक एक दो दो कर के भारत में प्रवेश करने में सफल हुए हैं ;

(ख) भारत में प्रवेश करने के लिये प्रयत्न करते हुए इन में से कितने नागा विद्रोही गिरफ्तार किये गये अथवा मारे गये ; और

(ग) पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने के पश्चात् पिछले छ: महीनों में इनमें से कितने विद्रोही नागाओं का भारत में घुस आने का अनुमान है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी हां। रिपोर्टों के अनुसार जिन का अभी समर्थन नहीं हो पाया, जो नागा पाकिस्तान गए थे वह छोटे दलों में भारत लौट आए हैं।

(ख) एक विद्रोही नागा मारा गया था, परन्तु पकड़ा कोई नहीं गया।

(ग) असमर्थित रिपोर्टों के अनुसार विद्रोही नागाओं के दल का अधिक हिस्सा भारत लौट आया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सरकार को इस बात का पता है कि अभी पाकिस्तान में और कितने विद्रोही नागा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और क्या सरकार कोई ऐसे उपाय कर रही है जिनसे विद्रोही नागा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान न जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जैसा कि हमें पता लगा है, पाकिस्तान को जाने वाले अन्तिम ग्रुप में 1,500 नागा थे। यह जानकारी पहले भी सभा को दी गई थी। इनमें से अधिकांश लोग वापिस आ गये हैं। परन्तु इस के बाद अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि नागालैंड से कोई नये ग्रुप पाकिस्तान में दाखिल होने के लिये गये हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बात का पता लगने के पश्चात कि ऐसे प्रशिक्षित विद्रोही नागा पिछले तीन वर्षों से पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, क्या हम ने इस चीज़ को बन्द करने के लिये कोई विशिष्ट उपाय किये हैं और यदि हां, तो यह विद्रोही नागा भारत में कैसे घुस आये हैं ? क्या अब हमने कोई और विशेष उपाय किये हैं जिससे कि वह भारत में न आ सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यही विशेष उपाय किये जा सकते है कि सीमाओं का संरक्षण किया जाये और उनको यहां से जाने से रोकने के लिये उपाय किये जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : पाकिस्तानी घुसपैठिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बिल्कुल ठीक है। परन्तु फिर भी स्थिति वही है जो मैंने पहले स्पष्ट की है, छोटी छोटी टोलियों में यह लोग पाकिस्तान जाने में सफल हो गये थे और वैसे ही उन्होंने वापिस आने का प्रयत्न किया परन्तु उनको वापिस लौटने में कुछ सफलता प्राप्त हुई है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्रोही नागा देश के सामान्य कानूनों तथा उनसे किये गये शान्ति समझौते की शर्तों के प्रतिकूल पाकिस्तान से शस्त्रास्त्र आयात कर रहे हैं, क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सरकार को उन विद्रोही नागाओं के विरुद्ध राजनैतिक उपाय करने की सलाह दी है जो ऐसा कर रहेहैं ? यदि नहीं, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राजनैतिक कार्यवाही वही है जो सरकार द्वारा की जा रही है। हम सीमा के साथ साथ इस तीन मील का पट्टी का संरक्षण कर रहे हैं। यदि कोई सामना होता हैं तो हम निश्चय ही उन्हें दण्ड देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : मैंने यह नहीं पूछा था। मेरा तो एक विशिष्ट प्रश्न था। यहां कुछ ऐसे सामान्य कानून हैं जिनका कोई भारतीय उल्लंघन नहीं कर सकता है। यदि भारतीय इन कानूनों का उलंघन करते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाता है। सामान्य कानूनों के अतिरिक्त उनसे शान्ति समझौता भी है और विद्रोही नागाओं ने न केवल देश के सामान्य कानूनों का ही उल्लंघन किया है परन्तु इस शान्ति समझौते का भी उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन विद्रोही नागाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : समझौते के सम्बन्ध में यह बताने के लिये कि सरकार ने यथार्थता क्या कार्यवाही की है इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Raghunath Singh : May I know whether Mrs. Majari Sixe has been included in place of Mr. Michael Scott and whether there has been some increase in the activities of the Naga Hostiles after Pakistani aggression?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास इस बात के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि विद्रोही नागा ब्रह्मा-मनीपुर सीमा की ओर से पाकिस्तान से नागा लैंड में आ रहे हैं न कि ब्रह्मा–नागालैंड सीमा की ओर से, और क्या सरकार का विचार नागालैंड तथा मनीपुर के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा को सेना के नियंत्रण में रखने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही उन क्षेत्रों में भी सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध किये जाते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : विद्रोही नागाओं द्वारा पाकिस्तान जाने तथा शस्त्रों सहित वापिस आने के लिये किये जा रहे निरंतर प्रयत्नों के संदर्भ में यह इस युद्ध-विराम नीति से कहां तक संगत है जिसको मान लिया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह निश्चय ही समझौते की भावना के विरुद्ध है इस बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : In the context of this fact that armed Naga hostiles have very recently attacked Jorhat and during which a S.D.O. has been injured, may I know the reaction of Government thereon?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्रीमती ज्योत्सनाचन्दा : क्या सरकार ने इस सभा में दिये गये इस सुझाव पर विचार किया है कि नागालैंड के सीमा-क्षेत्रों को साफ कर दिया जाये और वहां पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाये तथा उस क्षेत्र के समानांतर एक सीमा सड़क बनाई जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है । जहां तक सीमा पर सड़कों के निर्माण का सम्बन्ध है, सीमा सड़क संगठन ने कुछ अन्य सड़कों का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया है । इस विशेष सीमा के समानांतर एक सीमा-सड़क बनाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्रोही नागाओं के साथ बातचीत करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन नागाओं के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो इस नई स्थिति में, जो अब उत्पन्न हो गई है, ऐसी बातें करने का अब भी प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही, हम उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं जो नागालैंड को छोड़ने तथा शस्त्रों सहित वापिस लौटने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि सक्रिय विद्रोही नागा कुल कितने हैं। यदि हां, तो सभा यह जानना चाहेगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में कुछ अनुमान तो लगाया गया है, परन्तु मैं नहीं समझता कि मैं इसे अभी बता सकता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार का ध्यान विद्रोही नागाओं द्वारा नागालैंड से बाहर विशेषकर मनीपुर जैसे अन्य स्थानों पर की जा रही तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार यह समझती है कि यह पाकिस्तान की सहायता से अन्दरूनी तोड़ फोड़ कराने की उनकी योजना का ही एक भाग है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें नागालैंड से बाहर की जाने वाली कुछ तोड़ फोड़ की गतिविधियों का पता चला है और इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है ।

सेना कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान

+

*573. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की विधवाओं को घर पर पेंशन पाने में जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : जहां पेन्शन 100 रूपये से अधिक न हो, पेन्शन पाने वालों के चयन पर पेन्शन की अदायगी मनीआर्डर द्वारा करने की सुविधा है, और वह खज़ानों तथा पेन्शन पेमास्टरों द्वारा दी जाती है। ऐसे मामलों में सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग की विधवाएं इस सुविधा से लाभ उठा सकती हैं, ताकि वह अपने घरों पर पेन्शन प्राप्त कर सकें। ऐसी भी सुविधा है कि जो पेन्शन पाने वाली महिलाएं आम जनता में आने को अभ्यस्त नहीं हैं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा भी पेन्शन प्राप्त कर सकें।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह काम भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति को, जिसके अध्यक्ष प्रत्येक ज़िले के ज़िलादंडाधिकारी होते हैं, सौंपा गया है या क्या यह काम अपने हाथ में लेने के लिए उस से विचार विमर्श किया गया है ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न हो ?

डा द० स० राजू : अभी तक कोई कठिनाई हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। सभी कुछ ठीक ढंग से हो रहा है।

श्री स० चं० : सामन्त : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि पेन्शन की राशि पिछले सात वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये वेतन के समान होनी चाहिये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हाल ही में हम ने निर्णय किया है कि युद्ध में मारे गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेन्शन पिछले सात वर्षों के वेतन के दो-तिहाई के समान होगी।

Shri M. L. Dwivedi : The widows or the members of families of these soldiers have to undergo great hardship and the civil authorities cause much delay. Not only that, there is also hardship in the settlement of disputes relating to land and property. Has the Ministry issued any orders through the Ministry of Home Affairs or State Governments that the members of families of soldiers should not be harassed by the civil authorities, their work should be done without delay and pensions etc. should be paid without any difficulty.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि पेन्शनों के सम्बन्ध में अधिक शिकायतें नहीं हैं परन्तु कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से जिला स्तर पर सैनिक दल इस मामले पर विचार करते हैं। मेरे विचार में हाल ही में उन्हें सक्रिय बना दिया गया है। परन्तु उनकी सम्पत्ति तथा भूमि आदि के सम्बद्ध में शिकायतें निस्सन्देह अधिक हैं। हम यथासम्भव राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : अभी मंत्री जी ने कहा है कि युद्ध में मारे जाने वाले व्यक्तियों को पेन्शन की कुछ राशि दिये जाने के बारे में हाल ही में व्यवस्था की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि युद्ध-क्षेत्र में निर्योग्य अथवा अंगहीन हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : व्यवस्था यह है कि निर्योग्यता का हिसाब लगाया जायेगा। जो लोग 75 प्रतिशत निर्योग्य हो गये हो, उन्हें उसी दर पर पेन्शन दी जायेगी।

श्री राम सहाय पाण्डेय : माननीय मंत्री ने सभा को अभी बताया है कि जिस सैनिक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन दे दिया हो, उसके परिवार को सात वर्ष के लिए उसके वेतन की दो-तिहाई दर पर पेन्शन मिलेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सात वर्ष के पश्चात् दर क्या होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मामला विचाराधीन है। उन्हें कुछ बढ़ी हुई दर पर पेन्शन मिलेगी।

Shri Yashpal Singh : The wives of some soldiers, who have laid down their lives, have died and they have left behind minor children, who cannot even go to the District Magistrate to receive their pensions. Have the Government made any arrangements that the District Soldiers Boards may give the pensions to those persons themselves.

Shri Y. B. Chavan : This work has been entrusted to them.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Do the Government propose to make special provisions regarding making arrangements for the service of the children of the soldiers who have laid down their life in the defence of the nation?

Mr. Speaker : This is another question. The question relates to pensions.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The wives of some soldiers intend to take up service.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Some unmarried soldiers have been killed. Their parents were dependent on them. Will they get the pension or not.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं एकदम इसका उत्तर नही दे सकता। इस सम्बन्ध में कुछ नियम है और इन नियमों के अन्तर्गत उन्हें पेन्शन दी जा रही है।

Shri Rameshwaranand : There are some soldiers who have been discharged from service. Pension was being paid to them but now the pension is not being given and they have not been called for service. Has the Minister received letters to that effect and if so, the action taken thereon.

Shri Y. B. Chavan : Certain letters have been received in this connection. I am looking into them.

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का बड़ी संख्या में आना

*574. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :
श्री बागड़ी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को सतर्क कर दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को ये समाचार प्राप्त हुये है कि पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध जैसी कार्यवाही हो रही है तथा भारत-विरोधी आन्दोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है,

(ग) क्या राजशाही क्षेत्र तथा रंगपुर और दिनाजपुर जिलों में पाकिस्तानी सेनाओं का अभूतपूर्व जमाव है ; और

(घ) यह समाचार कहां तक ठिक है कि कुछ चीनी विशेषज्ञों ने, जिन्हें कागज के कारखाने के तकनीशिन बताया जाता है, हाल ही में सतखीर उपखण्ड के सुन्दर बन क्षेत्र का दौरा किया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को स्थिति के बारे में, विशेष रूप से पूर्वी पाकिस्तान की अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के बारे में, लगातार सूचना दी जाती है ।

(ख) 6 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में आपात की स्थिति की घोषणा की थी ।

यह दिखाई देता है कि भारत-विरोधी आंदोलन को और बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(ग) कुछ समय पहले उन जिलों में पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव का पता लगा था और यह उनके भारत के विरुद्ध सेना के आम जमाव का भाग है । परन्तु निस्सन्देह पाकिस्तानी सेना का वर्तमान जमाव पूर्णतया विभिन्न स्थितियों के कारण हुआ है ।

(घ) भारत सरकार को छः चीनी विशेषज्ञों द्वारा सुन्दरबन क्षेत्र के कागज़ के एक कारखाने तथा कुछ अन्य कारखानों के मई, 1965 में दौरे के समाचार मिले हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग

+

*581. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जसवंत मेहता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उन सभी लोगों को सीमान्त क्षेत्रों से निकालने का आदेश जारी किया है, जो 1964 के दंगों में पश्चिमी बंगाल भाग गये थे;

(ख) क्या पूर्वी पाकिस्तान के कुछ सीमान्त क्षेत्रों से अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को पहले ही जबरदस्ती निकाल दिया गया है तथा उन्होंने पश्चिमी बंगाल में कूच बिहार में शरण ली है;

(ग) क्या ढाका तथा अन्य स्थानों में काफी तनाव बना हुआ है; और

(घ) क्या कूच-बिहार के उपआयुक्त ने रंगपुर के ज़िला अधिकारियों को एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमति लक्ष्मी मेनन) : (क) रिपोर्टें मिली थीं कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार की योजना उन तमाम हिंदुओं को निकाल बाहर करने की है जो 1 जनवरी, 1964 के बाद भारत चले गए थे और जो 31 मार्च, 1964 के बाद पूर्व पाकिस्तान में वापस आ गए थे ।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व पाकिस्तान के कुछ अल्पसंख्यक लोग भारत चले आए हैं ।

(ग) तनाव पहले बहुत बढ गया था लेकिन अब किसी कदर कम हो गया है ।

(घ) कूच-बिहार के डिप्टी कमिशनर ने रंगपुर के डिप्टी कमिशनर के पास रंगपुर जिले के हिंदुओं के निकाले जाने के बारे में एक विरोध-पत्र भेज दिया है लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि ढ़ाका में पाकिस्तान द्वारा हमारा वीज़ा कार्यालय बन्द किये जाने के प्रतिशोध के रुप में भारत को पाकिस्तानी हाई कमिशन के कलकत्ता स्थित वीज़ा कार्यालय को बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यदि हां, तो क्या सरकार बिना यात्रा-पत्रों के पूर्वी पाकिस्तान की अल्प जातियों के लोगों के भारत में प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्णय में परिवर्तन कर रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सुरक्षा की दृष्टि से अब पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने अथवा पश्चिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान को जाने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक प्रचार किये जाने के कारण वहां पैदा हो रही गम्भीर स्थिति पर ध्यान दिया है। यदि हां, तो क्या सरकार अपने दृढ़ रवैय्ये को छोड़ेगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यदि ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से सरकार नियमों में ढील देगी। इस समय, पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति नियंत्रण में है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं अल्पसंख्याक जातियों के उन लोगों की नवीनतम स्थिति जान सकता हूं जो कि अब भी पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनकी संख्या कुल जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Shri Bibhuti Mishra : The dispute between India and Pakistan is going on and U. Thant has come here to solve it. Is the Government of India also presenting before him the question of the members of minority community from East Pakistan, who have been harassed and driven to India so that this question could also be settled. The Prime Minister has said that we want to settle this question.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संयूक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव केवल वर्तमान युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आये हैं।

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order. We have heard the statement of the Prime Minister in which he has asked for the settlement of this question. The Minister of External Affairs also must have heard it. I would like to know from him what it means.

Mr. Speaker : He says that everybody knows that.

Shri Bibhuti Mishra : Don't we know the meaning of cease-fire?

Mr. Speaker : You have said whatever you wanted to say. You may kindly sit down now.

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister just now stated that the situation had changed. May I know what action do the Government propose to take with regard to the behaviour with the minorities in such a changed situation and the opening of shops by the Chinese along eastern border.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती क्योंकि जहां तक पूर्वी पाकिस्तान का सम्बन्ध है, है मैंने कह दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है। जब कठिनाइयों सम्बन्धी कोई थोड़ा सा संकेत भी मिलता है, हमारे उप-उच्चयुक्त इस मामले को पूर्वी पाकिस्तान सरकार के पास उठाते हैं और अब तक स्थिति नियंत्रण में है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Under the pretext of this conflict, Pakistan has begun to harass the minorities more than before. May I know whether our Government have taken any stern measures so that the minorities are not harassed under this pretext?

Mr. Speaker : It is the same question. It has already been replied.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या पूर्वी बंगाल में बढ़ती हुई भारत विरोध गतिविधियां इस बात की द्योतक हैं कि पाकिस्तान तथा चीन के बीच तथा विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो गठजोड़ हुआ है वह भारत पर आक्रमण करने के लिये किया गया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जहां तक हम जानते हैं, मैंने उसे पूर्वी पाकिस्तान में चीनी दलों के आने के बारे में दिये गये उत्तर में बता दिया है। जहां तक अन्य परिस्थितियों का सम्बन्ध है वहां पर भारत-विरोधी प्रचार होता है। यह भावना पाकिस्तान के मस्तिक में घुसी हुई है। परन्तु हम इस वर्ष के आरम्भ होने से अब तक वहां की स्थिति के बारे में पाकिस्तान सरकार का ध्यान 18 बार दिला चुके हैं और इसी लिये जहां तक अल्पसंख्यक समुदायों का सम्बन्ध है वहां पर स्थिति नियंत्रण में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को इस समाचार की सरकारी तौर से पुष्टि करने वाली कोई सूचना प्राप्त हुई है जो हाल ही में समाचारपत्रों में बड़े पैमाने पर छापी गई थी कि हाल ही में विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने ढ़ाका में एक प्रदर्शन किया था और हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के पक्ष में जुलूम निकाला था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, हां।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान हमारे प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में किये गये प्रसारण की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में अभिभावी अस्थिर तथा अरक्षित स्थिति के बारे में पूर्वी पाकिस्तान के प्रसारणों का उल्लेख करते हुए कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग वर्तमान पाकिस्तानी शासकों से प्रसन्न नहीं हैं और यदि हां, तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो क्या उनके मस्तिष्क में यह बात थी कि वहां से इस देश में बड़े पैमाने पर लोगों के आने की कोई सम्भावना है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें इस बात का पूरा पता है कि यदि वहां की स्थिति बिगड़ जायेगी तो पूर्वी पाकिस्तान से बड़े पैमान पर लोग इधर आ जायेंगे और इसी लिये मैंने बताया कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार को चौकस रखने का हर प्रयत्न किया जाता है। अभी तक वहां पर तनातनी में कोई वृद्धि नहीं हुई है और न ही किसी खतरे की आशंका पैदा हुई है। यदि कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो हम निश्चय ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री हेम बरुआ : यह उत्तर अधूरा है। यह उनकी पूर्व धारणा है कि वहां से भारी संख्या में लोग आयेंगे। फिर उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है.....

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे मित्र द्वारा पूछा गया प्रश्न बिल्कुल संगत है। इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। प्रतीत होता है आप का भी यही विचार है कि इन प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी अग्रेतर उत्तर नहीं देना होता है। अतः मुझे वहीं ठहरना पड़ता है। यह मेरी कठिनाई है। अन्यथा मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि प्रश्नों के पूरे उत्तर दिये जाने चाहिये।

Shri Onkar Lal Berwa : Is Government aware of the number of our people of minority communities who are left there ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मेरे विचार में वहां पर ऐसे 80 लाख लोग हैं।

श्री हेम बरुआ : जी नहीं, वहां पर 90 लाख लोक हैं।

Shri Rameshwaranand : As the people of Hindu minority community are coming here and more people want to come here due to insecure conditions there, I want to know whether it would not be better if we send from here those people who are Pakistani agents, in equal number in exchange?

Mr. Speaker : It is a suggestion only. The hon. Minister would look into it.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किये गये हमले के पश्चात पाकिस्तानी सेनाओं ने दहाग्राम क्षेत्र में, जो कि उन्होंने दावा किया है कि वह भारत के कब्जे में है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को तंग करना आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो दहाग्राम के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या उन्हें इधर आने की अनुमति दे दी गई है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे दहाग्राम के बारे में यथार्थ स्थिति का तो पता नही है। परन्तु जहां कहीं भी लोगों को परेशान किया गया था और जहां वास्तव में कठिनाई थी, हमने नियमों को शिथिल कर दिया है और उन्हें इधर आने की अनुमति दे दी है। अभी हमें ऐसी किसी असाधारण स्थिति का पता नहीं लगा है जिससे पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आने के लिये बाध्य हो जाये।

विद्युत्-शक्ति उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

*575. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री काशिनाथ पाण्डे :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत्-शक्ति उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड बनाने की मांग पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ?

श्रम और रोजगारमंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : बिजली उपक्रमों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री महम्मद इलियास : जांच कबतक पूरी हो जायेगी तथा बोर्ड कब तक बन जायेगा ?

श्री संजीवय्या : ठीक-ठीक समय बताना सम्भव नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या बोर्ड बनाने का निर्णय अन्तिम रूप में कर लिया गया है। मैं एक प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विद्युत्-शक्ति उद्योग कर्मचारियों के विवाद निपटाने के लिये एक वेतन समिति नियुक्त की गई थी और इस समिति ने उनको यह आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार इसपर विचार कर रही है। बोर्ड कुछ समय के बाद बनाया जा सकता है परन्तु क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

श्री संजीवय्या : नहीं, श्रीमान्। कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

Shri Yashpal Singh : It was said in the house last time that the matter has been referred to the states. May I know the states which have sent their reports?

श्री संजीवय्या : आन्ध्र प्रदेश, केरल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा नागालैण्ड ने मंजूरी दी है।

श्री काशीनाथ पाण्डे : क्योंकि सारे देश में विद्युत शक्ति का फैलाव हो जाने से इसका महत्व बढ़ रहा है, इसलिये कर्मचारी निरन्तर यह मांग करते रहे हैं कि मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये। कर्मचारियों के असंतोष की दृष्टि में क्या सरकार शीघ्र घोषणा करेगी कि वे मजूरी बोर्ड बनायेंगे ?

श्री संजीवय्या : हमें पूरी तरह पता है कि इस प्रकार के मंजूरी बोर्ड की मांग की गई है और इसलिये हमने राज्य सरकारों को केवल पत्र ही नहीं भेजे हैं परन्तु हमने, उनमें से जिन्होंने उत्तर नहीं दिये हैं, उन्हें दोबारा लिखा है।

श्रीमती रामदुलारी सिंहा : इन कर्मचारियों की औसत मजूरी तथा जनोपयोगी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के कर्मचारियों की औसत मजूरी में क्या अन्तर है ?

श्री संजीवय्या : इसका उत्तर शायद मैं नहीं दे सकूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के विद्युत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और क्या यह मजूरी बोर्ड दोनों के लिये बनाया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : मैं नहीं बता सकूंगा। हमने अभी निर्णय नहीं किया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : We have written to some State Governments to constitute wage boards. I would like to know the States which have set up these boards and the States which have yet to set up such boards?

श्री संजीवय्या : राज्य सरकारों द्वारा मजूरी बोर्ड बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की हिरासत में

+

*576. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाला बेरवा :
श्री बागड़ी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री मुहम्मद कोया :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :
श्री तर्नासिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक :
श्री फ० गों० सेन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कनकसवै :
श्री रामपुरे :
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जून, 1965 को पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने कराची से लगभग 60 मील दूर एक भारतीय जेट लड़ाकू विमान को नीचे उतरने पर बाध्य किया;

(ख) यदि हां, तो इस विमान को किन परिस्थितियों में उतरने पर बाध्य किया गया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री द० स० राजू) : (क)से (ग) : फ्लाइट लेफ्टि० आर० एल० सी० सिक्का को, जिसे 24 जून 1965 को पाकिस्तानी भूक्षेत्र में उतरने पर विवश होना पड़ा था, 14 अगस्त 1965 को भारत में स्वदेश लौटा ले आया गया है। मामले की परिस्थितिए अभी जांच अधीन हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिक्का को तंग तथा पीड़ित नहीं किया गया और क्या उनसे बहुत ही प्रतिकूल वातावरण में प्रश्न नहीं पूछे गये और क्या उन्हें मृत जैसी अवस्था में भारत नहीं लाया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस प्रश्न से दो बातें उत्पन्न होती हैं—एक तो पाकिस्तान में उनसे प्रश्न पूछे जाने तथा उन्हें पीड़ित किये जाने के बारे में है और दूसरी उस दशा के बारे में है जिसमें उन्हें भारत लाया गया था । जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है उन्हें अब भी पूछा जा रहा है कि उन्हें किस दशा में वहा रखा गया परन्तु जहा तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उन्हें स्ट्रेचर में डाल कर भारत भेजा गया था । यह वाघाह में शाम के सात बजे की घटना है और जब उन्हें दस बजे रात को जालन्धर लाया गया तो अस्पताल के वार्ड को वह अपने पैरों पर चल कर गये । उनकी डाक्टरी परीक्षा हुई और उन्हें स्वस्थ पाया गया ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जवानों की बहादुरी को देखते हुये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अपना शौर्य दिखाने के लिये ही अस्पताल तक चल कर गय तथा स्वस्थ होने के कारण नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे ज्ञात नहीं है परन्तु मैं ने भी डाक्टरी परीक्षा का परिणाम देखा था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या माननीय मंत्री बता सकेंगे की पाकिस्तान में इस समय हमारे कितने लड़ाकू विमान हैं और क्या हमारी सेनाओं को कहा गया है कि वे पाकिस्तान द्वारा इस विमानों का प्रयोग हमारे विरूद्ध किये जाने के प्रति सावधान रहें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत सीमित है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो विमान उतारा गया था उसे वापस करने के बारे में पाकिस्तानने क्या उत्तर दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय मेरे पास उत्तर नहीं है परन्तु निश्चय ही इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत चल रही है परन्तु वर्तमान परिस्थिति में इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक जितना साक्ष्य मिला है उससे यह पता लगता है कि उनको तंग तथा पीड़ित किया गया; और दोनों देशों में संघर्ष आरम्भ होने से पहले यह विमान वापस लेने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संघर्ष आरम्भ होने से पूर्व हमने विमान वापस लेने के लिये निश्चय कदम उठाये थे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा : क्या मैं जान सकती हूं कि अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिक्का स्वस्थ हैं और उन्हें अपने काम पर जाने की अनुमति दी गई है अथवा नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्हें अभी काम पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है; अभी उन से पूछताछ की जा रही है ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक सप्ताह पूर्व माननीय मंत्री ने इस बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिक्का मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक रूप से पीडीत हैं और उनका इलाज किया जा रहा है तथा वह अब लगभग स्वास्थ हैं। क्या उनकी दशा में अबतक यहां तक सुधार हुआ है कि वह ठीक तरह तथा निरन्तर रूप में कुछ बोल सकते हैं, और यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनकी माताजी को उनसे मिलने नहीं दिया गया तथा दूर से ही बात करने दी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मुझे जानकारी है, वह ठीक तरह बोल सकते हैं। जहा तक उनकी माताजी के उनसे मिलने का प्रश्न है मुझे उन लोगों ने यह परामर्श दिया है, जो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जाये। परन्तु जब उनकी माताजी स्वयं मेरे पास आई तो मैंने विशेष मामले के रूप में उनको अनुमति दी कि वह स्वयं जा कर देख सकती हैं कि उनका लड़का कितनी स्वस्थ दशा में है । स्वाभाविक है कि उन्हें इस बात की चीन्ता थी क्योंकि उन्होंने समाचार पत्रों में खबरें पढ़ी थीं कि उन्हें स्ट्रेचर पर डाल कर लाया गया था । मैंने सोचा कि उनकी यह गलत भावना दूर की जानी चाहिये । उन्होंने यह निवेदन किया कि कम से कम उन्हें अपने लड़के को स्वस्थ दशा में देखने दिया जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : ....और उनसे बात करने की अनुमति भी दी जाये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी ।

Shri Yashpal Singh : Now that our valiant jawans and Air Force personnel have destroyed many Pakistani tanks and planes, may I ask the hon. Minister to give us the details regarding our fighters in their possession ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : नहीं, श्रीमान ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether our Air Force Officer who was arrested has complained that he was tortured.

Mr. Speaker : The hon. Minister has replied that they are looking into it.

श्री हेम बरूआ : जब हमने यह कहा है कि यह विमान गलती से पाकिस्तान की वायु सीमा में चला गया तो इसे हमें वापस लौटाने में पाकिस्तान को क्या आपत्ति है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो कुछ वे कहते हैं, मैं उसका ब्यौरा नहीं दे सकता, परन्तु उन्होंने विमान नहीं लौटाया है । हो सकता है कि विमान इस दशा में हो कि लौटाया न जा सके । निश्चय ही हम इस के लिये बातचीत कर रहे हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं जान सकता हूं की क्या पाकिस्तान को इस अपराध की पूरी पूरी सजा दे दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य को ज्ञात ही है कि वर्तमान स्थिति क्या है ।

+ **विश्व वाणिज्यिक उपग्रह व्यवस्था**

*577. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व संचार के सम्बन्ध में एक भू-केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मूर्त रूप दे दिया गया है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय संचार यातायात को विश्व वाणिज्यिक उपग्रह व्यवस्था के माध्यम से संचारित किया जा सके; और

(ख) क्या भारत विभिन्न देशों के इस कान्सारशियम में सम्मिलित हो गया है?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) अभी नहीं।

(ख) जी हां।

श्री राम सेवक : क्या मैं इस भू-केन्द्र का ब्यौरा जान सकता हूं।

श्री भगवती : हमने यह निर्णय किया है कि भारत में भी भू-केन्द्र होना चाहिये और इस के लिये पहले ही अन्तरिम संचार उपग्रह समिति को एक अग्रिम अभ्यावेदन भेज दिया है और जब हम इस वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप में अभ्यावेद भेजेंगे तो वे इस बारे में निर्णय करेंगे। इस बीच में हम इस सम्बन्ध में विस्तार से परियोजना बनाने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर रहे हैं।

श्री राम सेवक : क्या इस संगठन को वित्तीय सहायता दी जायेगी।

श्री भगवती : वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है। इसके लिये 2.25 करोड़ रुपये की विदेश मुद्रा चाहिये और हम वित्त मंत्रालय से परामर्श करके आई०. डी०ए० से ऋण के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं। सारी परियोजना विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस व्यवस्था से मुख्य रूप में क्या लाभ होगा और कब तक इस व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री भगवती : इस व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय संचार के मामले में ऐसी सुविधायें मिलेंगी जिनपर विश्वास किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह नवीनतम तथा अधिकतम कार्यसाधक संचार व्यवस्था है। यूरोप तथा अमरीका के लिये वह यह उप-ग्रह "अर्ली बर्ड" प्रशांत महासागर में छोड़ रहे हैं और उस क्षेत्र में वे सीमित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय संचार की व्यवस्था कर रहे हैं। परन्तु इससे पूर्व एक हमें भी यह सुविधा मिले, हमें हिन्द महासागर में दो और उप-ग्रह छोड़ने पड़ेंगे। हम प्रशान्त महा-सागर के उपग्रह के परिणाम देखने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय करेंगे।

श्री सं० चं० सामन्त : हम इस समय यह अन्तर्राष्ट्रीय संचार किस माध्यम से कर रहे हैं और हमें कौन सी अतिरिक्त सुविधायें मिलेंगी और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है अथवा नहीं ?

श्री भगवती : अब हम हाई फ्रिकुएंसी रेडियो टेलीफोन तथा रेडियो तार और बम्बई तथा मद्रास के बीच पुरानी केबलों पर निर्भर कर रहे हैं परन्तु वह वर्तमान आवश्यकताओं के लियेप र्याप्त नहीं हैं। संचार सम्बन्धी आवश्यकतायें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इसलिये हम इस नवीनतम तथा अधिकतम कार्यसाधक अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार प्रणाली के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री प्रिय गुप्त : इन भूमिगत उपकरणों तथा ट्रांसमीटरों की तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप बम्बई तथा अन्य स्थानों में लगाये गये वर्तमान उपकरणों तथा ट्रांसमीटरों को अन्तर्राष्ट्रीय संचार के लिये बदलना पड़ेगा। इसलिये मैं जान सकता हुं कि यह परिवर्तन कहा तक लाभदायक रहेगा और क्या वर्तमान व्यवस्था को ट्रांसमीटरों तथा उपकरणों द्वारा सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता ?

श्री भगवती : हमने यह अनुभव किया है कि इस प्रयोजन के लिये वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और जैसा कि मैंने कहा है दूर संचार के लिये यही एक नवीनतम तथा अधिकतम कार्यवाहक तकनीक है जिसे प्रशांत महासागर में काम में लाया गया है। इसलिये हम इससे लाभ उठाना चाहते हैं और मेरा विचार है कि इससे अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार व्यवस्था में सुधार होगा। इसे देश में संचार के काम में नहीं लाया जायेगा।

परियोजना स्थलों पर रिहायश की सुविधा

+

*578. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे परियोजना स्थलों पर सभी कर्मचारियों की रिहायश की सुविधा प्रदान करें;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या नगर-क्षेत्र के मज़दूरों के लिए कोई व्यवस्था की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) भवन और निर्माण उद्योग में नियुक्त मजदूरों के लिए आवास-योजना के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। इस उद्योग के मजदूरों के लिए आवास-मानक निर्धारित करने सम्बन्धी प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्रालयों को, जिनमें सिंचाई और विद्युत मंत्रालय भी शामिल है, पत्र भेजे गए। इस मंत्रालय द्वारा इस मामले में राज्य सरकारों को औपचारिक रूप से पत्र नहीं भेजे गए, परन्तु समस्त प्रश्न पर 15 जुलाई, 1965 को हुए भवन और निर्माण सम्बन्धी औद्योगिक समिति के पहले अधिवेशन में विचार किया गया, जिसमें 9 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि भवन और निर्माण उद्योग में सुरक्षा, कल्याण तथा रोज़गार के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध, में जिनमें कार्य-स्थल पर रिहायश की सुविधा भी शामिल है, एक व्यापक विधान होना चाहिये।

(ख) जी नहीं, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) योजना बनाते समय नगर-क्षेत्र के मजदुरों का ध्यान रखा जायगा।

श्री कपूर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना सम्बन्धी योजना बनाते समय श्रमिकों के लिये रिहायशी सुविधायों के लिये भी उपबन्ध किया जाता है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बन्ध है उनकी कुछ शर्तें हैं और ठेकेदारों को परियोजना आरम्भ करने से पूर्व उन्हें पूरा करना पड़ता है।

श्री कपूर सिंह : क्या मकानों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये सरकार उद्योगों के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा गृह-निर्माण कार्य के लिये कोई क़दम उठा रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री संजीवय्या : आवास मंत्रालय इस सम्बन्ध में कदम उठा रहा है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : परियोजना स्थलों पर कार्य में लगे हुये श्रमिकों को आवास सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये तीसरी योजना में कितना धन दिया गया था तथा क्या वह राशि उस प्रयोजन के लिये व्यय की गई है ?

श्री संजीवय्या : नहीं, श्रीमान्; यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री द० ना० तिवारी : क्या श्रमिकों को सुविधायें देने के सम्बन्ध में गैर-सरकारी समवायों तथा सरकारी निर्माण विभागों में कोई तुलना की गई है और इसमें क्या अन्तर है ?

श्री संजीवय्या : जहां तक वर्तमान् सुविधायों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों के लोक-निर्माण विभाग केन्द्रीय निर्माण तथा आवास तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इन की ओर ध्यान दे रहा है । श्रम मंत्रालय ने अभी कोई योजना नहीं बनाई है। जब हम योजना बनायेंगे तो अवश्य ही यह कार्य आरम्भ करेंगे ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या प्राधिकरणों अथवा ठेकेदारों के लिये सरकार यह अनिवार्य कर रही है कि वे इसी प्रकार श्रमिकों के लिये आवास सम्बन्धी सुविधायें दें जिस प्रकार कि उद्योगों तथा कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में दी जाती है ?

श्री संजीवय्या : जी हां, उदाहरणार्थ सेना इंजिनीयरी विभाग तथा निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है ।

श्री प्रिय गुप्त : विगत काल में ऐसी सभी योजनाओं में रेलवे कर्मचारी भाग नहीं ले सके हैं क्योंकि मजूरी भूगतान अधिनियम के अन्तर्गत वेतन में से उनके धन की कटौती नहीं की जा सकती । श्रम मंत्रालय को इसमें संशोधन करना चाहिये ताकि वे इन योजनाओं में भाग ले सकें । सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

श्री संजीवय्या : क्योंकि हम विधान बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं इसलिये इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether the Hon. Minister has received some complaints regarding accommodation from the departmental labourers. I would also like to know the number of quarters for which a provision has been made in the scheme and the number of complaints received from the labourers.

श्री संजीवय्या : हमें कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सहकारिता के आधार पर ऐसे मकान बनाने की योजना पर विचार किया गया है ?

श्री संजीवय्या : नहीं, श्रीमान् ।

डा० सरोजिनी महिषी : ऐसी कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं जिनमें प्रत्येक परियोजना पर 25 करोड़ से अधिक व्यय हो और जहां श्रमिकों के लिये रिहायश की सुविधा न हो ।

श्री संजीवय्या : हमारे पास इस बारे में सूचना नहीं है । सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय शायद यह बता सके ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : जब रिहायश की सुविधा देने के लिये सरकार योजना बनायेगी तो क्या अनियत श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ; यदि हां, तो अनियत श्रमिकों के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री संजीवय्या : हां, श्रीमान्, अनियत श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Tulsidas Jadhav : I would like to know the number of projects where no arrangement for labour quarters has been made ?

श्री संजीवय्या : मैंने पहले ही कहा है कि यह सुचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या परियोजनाओं में ऐसे श्रमिकों की हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने कोई कार्यक्रम बनाया है ?

श्री संजीवय्या : मैंने यही कहा है। श्रमिक कल्याण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में हम विधान बनाने पर विचार कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 584 के बारे में

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, प्रश्न संख्या 584 का उत्तर दिया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि मंत्री महोदय ऐसा नहीं कहते, मैं इससे कैसे सहमत हो सकता हूं? अगला प्रश्न ।

रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास के पास जमा किये गये आभषण

*580. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष जब वर्मा सरकार ने वहां रहने वाले भारतीयों की सम्पत्ति का हरण किया तो अनेक भारतीयों ने अपने आभूषण सुरक्षा की दृष्टि से रंगून स्थित भारतीय राजदूतावास के पास जमा करा दिये थे;

(ख) क्या मंत्रालय ने जमा करने वालों और उनकी जमा की गयी वस्तुओं की पूरी सूची बर्मा सरकार को दी थी;

(ग) क्या इसके ही परिणामस्वरूप जमा करने वालों को आज भी अपनी वस्तुओं की मांग करने का अधिकार नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो जमा वस्तुओं को उनके मालिकों को वापिस दिलाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) और (घ): जिन 437 लोगों ने भारतीय राजदूतावास में अपने ज़ेवर जमा किए थे, उनमें से 423 ने अपने ज़ेवर वापस निकाल लिए । बाकी लोग किसी भी समय अपने ज़ेवर मांग सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : जब बेचारे शरणार्थियों ने अपने आभूषण रंगून में स्थित भारतीय दूतावास में जमा करवा दिये थे तो किसी अन्तरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत इस की सूचना बर्मा सरकार को देना क्या हमारी सरकार के लिये अनिवार्य था, यदि नहीं, तो हमारी सरकार ने इस की सूचना बर्मा सरकार को क्यों दी थी ?

श्री दिनेश सिंह : यह कार्यवाही हम ने उस प्रबन्ध के अधीन की थी जो हम ने बर्मा सरकार के साथ किया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय शरणार्थी अपनी महिलाओं के आभूषण अपने साथ नही ला सके और उन को उन्होंने रंगून स्थित भारतीय दूतावास में जमा नही करवाया था ? य.द ऐसा है तो क्या यह सच है कि पाकिस्तानी और चीनी लोगों की तुलना में जिन के साथ इतना कठोर व्यवहार नही किया गया था, हमारे शरणार्थियों के साथ भेदभाव बरता गया है ।

श्री दिनेश सिंह : मैं नही कह सकता कि हमारे शारणार्थियों के साथ भेद भाव बरता गया था । बर्मा सरकार ने सम्पत्ति साथ ले जाने के बारे में कुछ नियम बनाये हैं और उन्होंने कोई भी आभूषण साथ ले जाने की आज्ञा नही दी है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार यह कहने को तैयार है कि चूंकि लोगों ने दुतावास में आभूषण जमा करवाये थे इस लिये उस की सूचना बर्मा सरकार को दी थी और बर्मा सरकार के साथ जो प्रबन्ध किया गया था यह कहने के बराबर है कि दूतावास और निक्षेपकों को उन के नैतिक निजी अधिकारों से वंचित करना था ? यह कहना भी ठीक वही है कि सरकार तथा रंगुन स्थित भारतीय दूतावास ने यह सूचनायें बर्मा सरकार को भेज कर अपने ही उचित नैतिक उत्तर-दायित्व नही निभाया है और दूतावास से निक्षेपकों को अपने आभूषणों को वापिस लेने पर देरी से बचने के लिये बाध्य किया है ?

श्री दिनेश सिंह : नही, महोदय ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : रंगून स्थित दुतावास में आभूषण जमा करवाये जाने के अलावा क्या मैं जान सकता हूं कि लोगों ने जो दूसरी सम्पत्ति छोड़ी है उसका उन को अन्य को कोई प्रतिकर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आभूषण जमा करवाने के बारे में है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, मंत्री महोदय ने डा० सिंघवी के प्रश्न के उत्तर में केवल नहीं कहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार और उसके दूत इस बात को नही मानते कि दूतावास भारत की प्रभुता का निरुपण करते हैं और प्रभुता का एक अर्थ यह भी है कि नागरिकों ने विश्वास में दूतावास के साथ जो प्रबन्ध बनाये थे वे बर्मा सरकार के साथ किये गये समझौते के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत बर्मा सरकार को नही बताये जा सकते थे । दूतावास को विश्वास में जो कुछ भी दिया जाता है उस की सूचना बर्मा सरकार को देना हमारे लिये किसी तरह भी अनिवार्य नही है । दूतावास यह सूचना दे करके हमारे देश की प्रभुता को कम किया है । क्या दूतावास इस बात का दोषी नही है ? क्या सरकार का इस के लिये मौन सम्मति देना देश की प्रभुता को कम करना नही है ?

श्री दिनेश सिंह : हम ने प्रभुता का सौदा नही किया है । यह प्रबन्ध बर्मा में भारत मूलक लोगो के लाभ के लिये किया गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रबन्ध भारत मूलक लोगों के लिये किया गया था, मैं जानना चाहता हूं 'कि कैसे, मंत्री महोदय इस की व्याख्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री ने कहा है कि बर्मा सरकार के साथ जो समझौता किया गया था उस के अनुसरण में ही यह किया गया था । परन्तु माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रबन्ध देश की प्रभुता, की इस बात के कि प्रत्येक राष्ट्र अपने दूतावास और नागरिकों के बीच गुप्त बातों को बिना दूसरी सरकार को बताये रख सकता है, विपरीत नही है ?

श्री दिनेश सिंह : नही श्रीमान्, जिन भारतमूलक लोगों ने हमारे पास आभूषण जमा करवाये थे वे इस बात को जानते थे कि हम इस की सूचना बर्मा सरकार को देंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं, नहीं ।

डा० मा० श्री० अणे : आप इस को किस तरह जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात से बहुत चिंतित हैं कि क्या हमारे लिये यह आवश्यक था कि हब ऐसा समझौता करते या इस करार के बिना क्या हमारे नागरिक आभूषण जमा करवाने में स्वतंत्र थे ? यह हमारे लिये अनिवार्य नही था या वांछनीय भी नही था कि हम इस बात को बर्मा सरकार पर प्रकट करते ?

श्री दिनेश सिंह : नही श्रीमान्, बात यह नही थी । जब लोगों ने हमारे पास आभषण जमा करवाये थे तो उन से बात चीत हुई थी और हमने उन को बता दिया था कि हो सकता है कि हम को इस की सूचना बर्मा सरकार को देनी पड़े। जब हम ने बर्मा सरकार के साथ प्रबन्ध कर लिया तब हम ने यह सूचना बर्मा सरकार को दी । जो कोई भी यह नहीं चाहता था कि यह सूचना बर्मा सरकार को दी जाये अपने आभूषण वापिस ले सकता था । सारा प्रश्न यह था कि जब तक आभषणों की बात तह न हो जाती भारत मूल के लोगों का वहां से आना बन्द था इस लिये लोगों को वापिस भारत लाने के लिये हम को यह बन्दोबस्त करना पड़ा ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस से और बुरा हुआ है भारतीय दूतावास वहां भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिये है जो आश्रय लेना चाहतें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ :

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि आरम्भ में भारतीयों को भारतीय दूतावास में, आभूषण जमा करवाने को कहा गया था और कुछ समय बाद भारतीय दूतावास को कहा गया कि वह भारतीयों से आभूषण स्वीकार न करे ? क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार ने यह कदम इस लिये उठाया क्योंकि उस को बर्मा सरकार से आदेश मिला था कि वह भारतीयों से आभूषण स्वीकार न करे ?

श्री दिनेश सिंह : कोई सरकार भारत सरकार को आदेश नही कर सकती । प्रश्न यह था कि इस से भारत मूलक लोगों को भारत में आभूषण लाने में कोई सहायता नही मिलती थी । इस लिये आभूषणों का दूतावास में जमा करवाना इस बात का कोई हल नही था । सारा विचार उन को आभूषण या आभूषणों को बेच कर रुपया वापस लाने के योग्य करना था । हम बिना किसी प्रयोजन के आभूषणों को अपने पास नही रख सकते थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : तब आपने निक्षेप स्वीकार क्यों किये थे ? उन्होंने भारतीय लोगों के साथ विश्वासघात किया है ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान् मेरा विशिष्ट प्रश्न था परन्तु इस का उत्तर नही मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : उप-मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि यह प्रबन्ध भारतीय लोगों के लाभ के लिये था क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रबन्ध से भारतीय लोगों को अब तक क्या लाभ हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : लाखों लोग भारत आने के योग्य हो सके हैं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मेरा प्रश्न रंगून स्थित भारतीय दूतावास में जमा कराई गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे सभा पटल पर इस करार की एक प्रति रखेंगे ? मेरा विचार है कि यह कोई गुप्त दस्तावेज नही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या इस करार की प्रति को सभा पटल पर रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाने है, श्री संजीवय्या ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् क्या आप सरकार को सभा पटल पर इस करार की प्रति को रखने का निर्देश नही देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय समाप्त हो गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : विषय समाप्त नही हुआ है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बंगलोर में प्रतिरक्षा संस्थान

*579. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर, 1964 और जून, 1965 के बीच बंगलौर में जीवन निर्वाह देशनांक 85 अंक बढ़ गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के 45,000 कामगर कई वर्ष से अन्तरिम सहायता और मकान किराया/नगर भत्ता की मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन उपक्रमों के प्रबन्धक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वेतन, मकान किराया तथा नगर भत्ता सम्बन्धी अन्तरिम सहायता देने के बारे में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पंचाट को स्वीकार किया जाये;

(घ) क्या बंगलौर में राज्य सरकार के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पंचाट की तुलना में काफी ऊंची दर पर किराया भत्ता मिलता है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मंहगाई को देखते हुए सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों की मांगों का फैसला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 1960 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक कार्मिकों के लिए भारत सरकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रम के अनुसार अक्तूबर 1964 और जून 1965 के बीच मूल्य सूचकांक 131 से बढ़कर 135 हो गया है।

(ख) हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० बेंगलोर विभाग, भारत वैद्युती लि० और भारत अर्थमूवर्ज़ लिमिटेड के कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 20,000 है। अन्तरिम सहायता तथा मकान किराया/नगर मुआवजा भत्ता की उन द्वारा पहली मांग अक्तूबर 1964 में की गई थी।

(ग) कार्मुकों को तुरन्त सहायता देने के लिए इन दोनों उपक्रमों के प्रबंधकों ने अन्तरिम सहायता और विशेष वास्य भवन भत्ता देना 20 फरवरी 1965 के आई० टी० आई० निर्णय के आधार पर देने की पेशकश की है। दिया गया अन्तरिम सहायता और विशेष वास्य भवन भत्ता भावी अन्तरिम सहायता अथवा उजरत ढांचे में परिवर्तनों के हिसाब में गिना जाएगा, जो उजरत बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप स्वीकार की जाएंगे।

(घ) जी हां, परन्तु राज्य सरकार के उपक्रमों में कर्मचारियों के वेतन दर आमतौर पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कम हैं।

(ङ) प्रबंधकों का आश्वासन उचित अंतरिम हल है, और आशा की जाती है, कि उपक्रमों के कार्मुक उसे स्वीकार कर लेंगे।

Part Payment of Wages in kind

*582. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state:

(a) whether the Trade Unions have again demanded the implementation of the proposal made at the Bangalore Labour Conference to pay a part of the wages to the workers in the shape of essential commodities;

(b) whether Government have formulated any scheme in this regard; and

(c) if so, the details thereof and when it will be implemented?

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री बीजू पटनायक की इण्डोनेशिया की यात्रा

*583. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मधु लिमये :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री बिजू पटनायक भारत सरकार की और से अर्ध-सरकारी यात्रा पर इण्डोनेशिया गये हैं; और

(ख) क्या यह यात्रा भारत और इण्डोनेशिया के बीच फिर अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का प्रतिवेदन

*584. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री हुकुमचंद कछवाय :
श्री बडे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रेक्षक जनरल निम्मो द्वारा भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में दिया गया प्रतिवेदन अभी तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में परिचालित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके तुरन्त परिचालन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं। जम्मू और काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक प्रेक्षक की रिपोर्ट उस रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में प्रचारित कर दी गई है जो कि प्रधान सचिव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दी थी। प्रधान सचिव की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 4825/65।**]

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ से मिग विमान

***585. श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामसेवक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ की सरकारों के बीच उन विमानों को छोड़ कर, जिनके लिये 1 अप्रैल, 1965 से पहले करार हुआ था, और "मिग" विमान तथा अन्य प्रकार के विमान देने के बारे में बातचीत चल रही है ; और

(ख) इन विमानों की सुपुर्दगी कब आरम्भ होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

***586. श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री 29 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने सम्बन्धी उनके पत्र पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि कुछ इक्का-दुक्का व्यवसायों को छोड़कर, जहां न्यूनतम मज़दूरी एक रुपया से कम है, इस समय खेतिहर मज़दूरों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दरें सामान्यत: एक रुपया या अधिक हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने कहा है कि वे पहले निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी पर पुनर्विचार करने या, जहां की आवश्यक हो, वहां उस में संशोधन करने के लिए आवश्य कदम उठा रही है या उठाने का विचार कर रही है।

राष्ट्रपति सुकर्ण का वक्तव्य

***587. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति सुकर्ण ने जकार्ता में अपने 11 जून, 1965 के प्रेस वक्तव्य में भारत पर बांडुंग सम्मेलन की भावना के प्रति निष्ठा न दिखाने का आरोप लगाया था क्योंकि उसने दूसरे अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में मलयेशिया के भाग लेने का समर्थन किया था ; और

(ख) क्या सरकार ने इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई बातों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) बताया जाता है कि 11 जून, 1965 को राष्ट्रपति सूकर्ण ने कहा था कि अगर भारत ने मलयेशिया को अल्जीरिया में होने वाले दूसरे एफ्रो-एशियाई सम्मेलन में बुलाने की कोशिश की तो वह अपने मूल विचारों के प्रति वफ़ादार नहीं रहेगा।

(ख) जी हां।

भारतीय विदेश सेवा

*588. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बासप्पा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा व्यवस्था पर पुनर्विचार तथा इसका पुनर्गठन करने के लिये हाल में एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसके ठीक-ठीक निदेश-पद क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) समिति में ये लोग हैं :

अध्यक्ष : श्री एन० आर० पिल्ले।

सदस्य : (1) विदेश सचिव—श्री सी० एस० झा
(2) सचिव, गृह मंत्रालय—श्री एल० पी० सिंह
(3) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय—श्री डी० एस० जोशी
(4) सचिव, विदेश मंत्रालय (2)—श्री आज़िम हुसैन

सचिव : श्री एन० कृष्णन्, निदेशक, विदेश मंत्रालय।

(ग) समिति को दिया गया कार्य इस प्रकार है—

"भारतीय विदेश सेवा के स्वरूप और गठन की समीक्षा करना खास तौर से भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों के संबंध में—और मुख्यालय तथा विदेशों में सेवा को सुदृढ़ करने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए किन्ही अन्य मामलों पर विचार करना।"

नेपाल म पूर्व-पश्चिम राजपथ

*589. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री किन्दरलाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने नेपाल में 450 मील लम्बा पूर्व-पश्चिम राजपथ बनाने की नेपाल की प्रार्थना स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है और इस राजपथ के निर्माण पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां। लेकिन पूर्व-पश्चिम राजमार्ग ठीक-ठीक कितने मील लम्बा है, इसका पता रेखा का सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही लग सकता है।

(ख) नेपाल की महामहिम सरकार के साथ अभी कोई औपचारिक क़रार नहीं हुआ है। इस प्रयोजना पर कितना खर्च होगा, इसका पता रेखा का सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही लगेगा।

इण्डोनेशिया द्वारा परमाणु बम बनाया जाना

*590. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री तन सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रपति सुकर्ण द्वारा दिये गये वक्तव्य के समाचार के बारे में पता है कि निकट भविष्य में इण्डोनेशिया स्वयं अपने परमाणु बम बनायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एशियाई देशों में परमाणु हथियारों के संभावित फैलाव को ध्यान में रखते हुए परमाणु बम बनाने सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) सरकार ने इसके बारे में रिपोर्ट देख ली है।

(ख) सरकार एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने की बराबर कोशिश कर रही है और उसने सुरक्षा तथा अन्य बातों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह फैसला किया है कि वह फिलहाल एटमी हथियार न बनाने की अपनी नीति का पालन करेगी।

हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक अड्डे

*591. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्त सूचना विभाग तथा अन्य स्वदेशीय अथवा विदेशी साधनों से समाचार मिला है कि चीन इण्डोनेशिया की सहायता तथा सहयोग से हिन्द महासागर क्षेत्र में एक नौसैनिक अड्डा बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारत की सुरक्षा को इस खतरे से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई जमेहारी खास कोयला खान में तालाबन्दी

*592. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री बागड़ी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जमेहारी खास कोयला खान प्रबन्धकों ने कोयला खान में तालाबन्दी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तालाबन्दी करने की कोई सूचना दी गई थी; और

(ग) इस में कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Statement of Khan Abdul Ghaffar Khan

*593. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Shiv Charan Mathur :**
Shri D. C. Sharma : **Shrimati Maimoona Sultan :**
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement of Khan Abdul Ghaffar Khan that he is prepared to visit India provided India extended support to him in the creation of Pakhtoonistan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) India has every sympathy for the aspiration and the legitimate demands of the Pakhtoons.

फ्रीगेटों (जंगी जहाजों) का निर्माण

*594. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में लीन्डर क्लास फ्रीगेट एफ० एस० ए०–34 का निर्माण करने के लिये तकनीकी सहायता देने हेतु 22 दिसम्बर, 1964 को एक करार हुआ था;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) करार किस फर्म के साथ हुआ है ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में प्रति रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) व्यापकता तौर पर समझौते में शामिल हैं, लीएंडर किस्म के एफ० एस० ए० –34 फ्रिगेटों के निर्माण के लिए आवश्यक डेटा, रेखाचित्र और अन्य सूचना मुहय्या करना; सहयोग यार्ड में हमारे

सेविवर्ग का प्रशिक्षण, और मज़ागां डाक लि० में सहयोगी सेविवर्ग की प्रतिनियुक्ति; पहले फ्रिगेट के लिए सहयोगियों द्वारा निर्मित मशीनों के कई मदों की खरीद और शेष मशीनों की प्रावस्था में सहयोगियों की सहायता।

(ग) सर्वश्री विकर्ज़ लि० तथा सर्वश्री येरी एण्ड कम्पनी लि०, जो दोनों यू० के० के हैं।

लड़ रही सेना के लिए सहायता उपाय

*595. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने लड़ रही सेना और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार से सहायता और प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिये हैं कि वे लड़ रही सेना में अपने नागरिकों को सहायता देने के उपायों पर और पंजाब राज्य की योजना के आधार पर उन्हें भूमि, ऋण और शिक्षा सहायता देने पर विचार करें; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को कोई संकेत दिया गया है कि उन्हें इस संबंध में केन्द्र से समान सहायता दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पंजाब सरकार ने सेवाओं के सेविवर्ग और उनके कुटुम्बों तथा उस राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को कुछ संख्या में सुविधाएं देने की घोषणा की है।

(ख) सरकारने न केवल पंजाब सरकार द्वारा बल्कि अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी स्वीकृत विभिन्न सुविधाओं से सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है, और उन्हें उसी आधार पर वह सुविधाएं देने की प्रार्थना भी की है।

(ग) जी नहीं।

परमाणु हथियारों का फैलाव

*596. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रा० बरुआ : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया की सरकार ने परमाणु हथियारों के निर्माण के बारे में पश्चिम जर्मनी की सरकार के वक्तव्य के समाचार के सम्बन्ध में परामर्श किया है और परमाणु हथियारों का फैलाव रोकने के लिये दोनों द्वारा संयुक्त प्रथास की मांग की है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित परमाणु हथियारों के निर्माण के बारे में इण्डोनेशिया की सरकार की घोषणा के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है और उन्हों ने अन्य देशों के साथ मिल कर परमाणु हथियारों का निर्माण और फैलाव रोकने के लिये उन दोनों देशों को मनाने के लिये क्या पहल और प्रयास किये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) चैकोस्लोवाकिया सरकार ने हमारी सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि अगर जर्मन संघीय गणराज्य एटमी हथियार बनाने लगा तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे।

(ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देख ली है।

(ग) सरकार ने एटमी हथियार बनाने का निरंतर विरोध किया है और निरस्त्रीकरण कमीशन और 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति, दोनों में तथा अन्य मंचों पर भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि एटमी हथियारों के न बनाने के विषय पर जल्दी ही एक संधि की जाय जिससे कि बड़ी संख्या में एटमी शक्ति वाले देश न बनने पावें ।

तिब्बत की स्वायत्तता

*597. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1965 से तिब्बत को स्वायत्तता देने के चीन सरकार के निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रस्ताव का ब्यौरा मिल गया है; और

(ग) क्या यह ब्यौरा सभापटल पर रखा जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत सरकार ने रिपोर्टें देखी हैं कि चीन सरकार ने "तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की तैयारी समिति" का कार्य बंद कर दिया है और 1 सितंबर 1965 से "तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र" की औपचारिक रूप से स्थापना कर दी है । बहरहाल, इस घटना का मतलब सिर्फ यह है कि अब तिब्बत को चीन लोक गणराज्य के साथ मिला दिया गया है।

(ख) सरकार को कोई और ब्यौरा मालूम नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Sino-Indian Treaty on Tibet

*598. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) The present position of the Sino-Indian Treaty concluded in 1954 in regard to Tibet and the principles of co-existence;

(b) Whether the said Treaty has ceased to exist; and

(c) The impact on that Treaty of the changes proposed to be introduced in Tibet, particularly those being discussed during the last few days?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): (a) and (b). The Sino-Indian Agreement of 1954 lapsed on June 3, 1962.

(c) Does not arise as the Treaty has already lapsed.

केरल में बागान 'क्षेत्रों' में प्रमाणित सर्जन

1981. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागान श्रम अधिनियम के नियमों के अनुसार केरल के बागान क्षेत्रों में प्रमाणित सर्जनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि हुन्नार क्षेत्र में बागान मालिक इन डाक्टरों द्वारा दिये गये डाक्टरी प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 75.

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका कर्मचारियों के वेतन

1982. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के नगरपालिका कर्मचारियों के वेतनक्रम का संशोधन करने के हेतु एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) केरल में इस समय कितने नगरपालिका कर्मचारी हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां। केरल सरकार ने राज्य की नगरपालिकाओं और निगमों में नियुक्त कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए वेतन-मान, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते निर्धारित करने हेतु एक वेतन बोर्ड नियुक्त किया है।

(ख) वेतन बोर्ड की अवधि 3 अप्रैल, 1965 से छः मास निश्चित की गई है। उनकी सिफ़ारिशें इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त होने की आशा है।

(ग) केरल में नगरपालिकाओं और निगमों में 4268 कामगार हैं।

सावरीगिरी पन-बिजली परियोजना (केरल)

1983. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1965 में सावरीगिरी पन-बिजली परियोजना पर निर्माण-कार्य करने वाले मज़दूरों ने हड़ताल कर दी थी;

(ख) हड़ताल कितने दिन तक चलती रही;

(ग) यदि हा, तो उनकी मांगें क्या थीं;

(घ) क्या विवादास्पद मामले तय हो गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) 29-4-1965 से 7-5-1965 तक (दोनों दिन मिलाकर)।

(ग) मज़दूरों की मुख्य मांगें थीं—बोनस की अदायगी, समयोपरि मज़दूरी की अदायगी, मज़दूरी में संशोधन, भत्तों की अदायगी, छंटनी-मुआवज़े की अदायगी के लिए मज़दूरों की सभी सेवाएं स्वीकार करना, जबरी छुट्टी के मुआवज़े की अदायगी, आदि।

(घ) जी, हां।

(ङ) 16-6-1965 को समझौते द्वारा हुए निपटारे का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) सभी मज़दूरों को उनके बोनस के दावे के पूर्ण निपटारे के रूप में प्रति वर्ष दस दिन की मज़दूरी के बराबर बोनस दिया जायगा।

(2) मज़दूरों को कानून के अनुसार समयोपरि मज़दूरी दी जायगी।

(3) चूंकि मैनेजमेंट न्यूनतम मज़दूरी से अधिक मज़दूरी दे रही है और इसके अलावा मुफ़्त आवास, बिजली, पानी, चिकित्सा सहायता आदि सुविधाएं दे रही है। इस लिए कामगर मज़दूरी में संशोधन सम्बन्धी अपनी मांग को वापस लेते हैं।

(4) प्रायोजना भत्ते का प्रश्न छोड़ दिया गया।

(5) मैनेजमेंट ने मान लिया कि मज़दूरों की सेवा काम पर लगने की तारीख से मानी जायगी।

(6) मैनेजमेंट उन कार्यों में आवश्यकता होने पर सुरंग-कार्य पर से छंटनी किए गए आठ मज़दूरों की दुबारा नियुक्ति पर विचार करने के लिए मान गई। मैनजमेंट एक अन्य मज़दूर श्री वर्घीस के मामले पर विचार करने के लिए भी मान गई।

(7) मैनेजमेंट ने स्वीकार किया कि वे मज़दूर जो वर्षा के कारण मन्दे मौसम में छुट्टी जाना चाहते हैं, उन्हे कम्पनी द्वारा जाने और वापस आने का रेल-किराया दिया जायगा। जो छुट्टी के बाद वापस नहीं आते उनको अग्रवर्ती यात्रा के लिए दिया गया रेल-किराया उनसे वसूल किया जायगा।

(8) सुरंग कार्य से छंटनी किए गए सभी मज़दूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार लाभ दिया जायगा।

(9) मैनेजमेंट ने यकीन दिलाया कि मज़दूरों को हड़ताल में भाग लेने पर तंग नहीं किया जायगा।

भारत में पढे-लिखे लोगों की बरोजगारी

1984. श्री हेमराज : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को, रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में पंजीबद्ध मैट्रिकुलेटों, स्नातक न बने हुए, स्नातकों, स्नातकोत्तरों, इंजीनियरी स्नातकों और चिकित्सा स्नातकों की राज्यवार संख्या क्या थी ; और

(ख) प्राथमिकता के आधार पर उनका इन रजिस्टरों में क्या स्थान है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) राज्यानुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज मैट्रिकुलेटों, अवर स्नातकों, स्नातकों, स्नातकोत्तर उम्मीदवारों आदि से सम्बन्धित आंकड़ों का विवरण, जैसा कि 30 जून, 1965 को था, सभापटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 4826 (i)/65।]

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों को, केन्द्रीय सरकार के आधीन रिक्त स्थानों की पूर्तिहेतु भेजते समय जिस अग्रताक्रम का पालन किया जाता है, उसकी सूची सभापटल पर रखे दिये गये विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या** एल० टी० 4826 (ii)/65।]

महाराष्ट्र के जिला यवतमाल में तार तथा टेलीफोन की व्यवस्था

1985. श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के जिला यवतमाल में नेर, अरणी, बाबुलगांव, काल्लम, रालेगांव, तथा महागांव में कब तक तार तथा टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने की संभावना है ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : नेर में तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का कार्य प्रगति पर है और उसके शीघ्र ही पूरा हो जान की संभावना है। नेर, अरणी, बाबुलगांव, काल्लम तथा रालेगांव में तारघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है किन्तु उन्हें लगाने का काम सामान प्राप्त होने पर, जिसकी सप्लाई इस समय कम है, हाथ में लिया जाएगा। महागाव में तारघर खोलने और अरणी, बाबुलगांव, काल्लम, रालेगांव तथा महागांव में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने में घाटा होगा और उन्हे केवल गारंटी के आधार पर ही खोला जा सकता है।

अरणी महाराष्ट्र में टेलीफोन की व्यवस्था

1986. **श्री दे० शि० पाटिल :**
श्री कांबले :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले में अरणी के स्थान पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तार तथा टलीफोन की व्यवस्था की जानी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को शीघ्रता पूर्वक करण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) तारघर कब तक खोला जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक तारघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है, किन्तु इस समय लाइन के सामान की भारी कमी के कारण तारघर खोलने की कोई तारीख निश्चित नहीं की जा सकती ।

उड़ीसा में शाखा डाकघर

1987. **श्री महानन्द :**
डा० कोहोर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य में जिलावार, कितने शाखा डाकघर हैं;

(ख) उस राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितने नये शाखा डाकघर खोले गये;

(ग) क्या उनको पर्याप्त फर्नीचर दिया गया है तथा क्या वे विभागीय इमारतों में चल रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यदि फर्नीचर तथा इमारतें किराये पर ली गई थीं, तो 1965 में अब तक उनके किराये पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4827/65 ।**]

(ग) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों सहित अधिकांश शाखा डाकघरों में फर्नीचर के मानक मदों की आपूर्त्ति की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को विभागीय इमारतों में नहीं रखा जाता । उनके लिए स्थान की व्यवस्था इन डाकघरों के कार्य भारी शाखा डाकपालों द्वारा की जाती है। उड़ीसा में केवल दो ही विभागीय शाखा डाकघर हैं और वे किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं ।

(घ) जुलाई, 1965 के अन्त तक चालू वर्ष के दौरान निम्न मदों पर खर्च की गई रक़म इस प्रकार है—

(1) फर्नीचर की सप्लाई—285 रुपये ।

(2) दो इमारतों का किराया—100 रुपये ।

उड़ीसा में डाक क्लर्क

1988. **श्री महानन्द :**
डा० कोहोर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में, 1960-61 से लेकर 1964-65 तक, जिलावार, कितने डाक क्लर्क नियुक्त किये गये; और

(ख) उनमें से कितने लोग सीधे भरती किये गये थे कितने व्यक्ति विभागिय कर्मचारियों की मृत्यु, सेवा निवृत्ति, नये पदों की मंजूरी अथवा लोगों के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण रिक्त हुए पदों पर विभागीय तौर पर पदोन्नत किये गये थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4828/65।]**

(ख) सीधे भर्ती किये गए : 535 ।

पदोन्नत किये गए : 92 ।

उड़ीसा में मुख्य डाकघर

1989. **श्री महानन्द :**
डा० कोहोर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य में, जिलावार, मुख्य डाकघरों तथा स्टाफ क्वार्टरों की संख्या क्या है तथा उनके मुख्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) उस राज्य में 1960-61 से लेकर 1964-65 तक कितने मुख्य डाकघरों की इमारतें तथा स्टाफ क्वार्टर बनाये गये; और

(ग) मुख्य डाकघरों की इमारतें किन-किन स्थानों पर बनाने का विचार है तथा इस कार्य पर कितनी लागत आयेगी ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क), (ख) तथा (ग): के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखीये संख्या एल टी०-4829/65।]**

Small Savings Scheme Campaign in Maharashtra

1990. **Shri D. S. Patil :**
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state the amount deposited in various Post Offices in Maharashtra State under the Small Savings Scheme Campaign during 1964?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : According to unaudited figures available, the gross collection under various small savings schemes excepting D. D. Cs. through P. Os. in Maharashtra State is Rs. 67·73 crores.

Establishment of New Posts and Telegraphs Offices in Maharashtra

1991. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) The number of proposals and names of places under consideration for the establishment of new Post Offices and for providing telephone and telegraph facilities in Maharashtra; and

(b) The action being taken in the matter?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) :

(a) Proposals for establishment of — Number

(i) Post Offices	68
(ii) Telegraph Offices	211
(iii) Public Call Offices	91
(iv) Telephone Exchanges	13

The names of places are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-4830/65.]**

(b) Out of the number shown in (a) above, the following number of proposals have already been sanctioned.

(i) Post Offices	19
(ii) Telegraph Offices	81
(iii) Public Call Offices	71

The proposals in the remaining cases are under examination. In regard to the 13 proposals for establishment of Telephone Exchanges, action is being taken to sanction the necessary estimates and procure the stores.

तिब्बती नारियों का पुनर्वास

1992. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तिब्बती नारियों के पुनर्वास के हेतु कुछ कार्रवाई करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या बौद्ध धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तिब्बती महिलाओं के पुनर्वास की अलग से कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

सेना के कर्मचारियों के लिये भूमि

1993. श्री म० प० स्वामी :
श्री अरूणाचलम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 और 1965 में अब तक मद्रास राज्य के कितने सैनिक कर्मचारियों ने अपने लिये कृषि योग्य सरकारी भूमि लेने के लिए आवेदनपत्र दिये हैं;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को खेती योग्य सरकारी भूमि दी गई है और कुल कितनी भूमि आवंटित की गई है; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अभी अनिर्णित पड़े हैं तथा इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : मद्रास राज्य से सैनिक सेवा सेविवर्ग से कृषि कार्य के लिए रक्षा भूमि दिए जाने के 1964 के दौरान 12 अभ्यावेदन और 1965 में अब तक 4 अभ्यावेदन, प्राप्त हुए हैं। यह सभी अभ्यावेदन रद्द कर दिए गए हैं या रद्द कर दिए जाएंगे क्योंकि सैनिक सेवा सेविवर्ग उन व्यक्तियों के निर्धारित वर्गों में नहीं आते, जिन्हे कृषिकार्यों के लिए रक्षाभूमि दी जा सकती है। राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों की भूमि दिए जाने के बारे में भेजे गए अभ्यावेदनों की संख्या मालूम नहीं है, परन्तु वह इकट्ठा की जा रही है, और यथासंभव सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्र

1994. श्री लखमू भवानी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 को मध्य प्रदेश में कितने टेलीफोन केन्द्र थे;

(ख) क्या 1965-66 में उन्हे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये टेलीफोन केन्द्र किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 166.

(ख) 10.

(ग) 1. अमानपुर
2. अम्बाह
3. अंजाद
4. बारवानी
5. बेमेतारा
6. देपालपुर
7. खैरागढ़
8. मेहिदपुर
9. सिमगा
10. सिरोंज

अन्य आपाती मांगों को दृष्टि में रखते हुए ये प्रस्ताव सामान की सप्लाई पर निर्भर करते हैं।

Unaccounted Money

1995. Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that certain foreign Embassies and Consulates in India are assisting some persons in smuggling money out of this country which has not been shown in their Account Books; and

(b) If so, the steps taken to check this?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

A. I. R. Programmes for Schools

1996. Shri Bagri : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that programmes for schools are broadcast from the All India Radio;

(b) If so, the number of schools in which radio sets have been provided;

(c) Whether Government have formulated any scheme for the installation of Television sets in the schools; and

(d) If so, the details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi)

(a) Yes, Sir.

(b) According to the latest figures available, the number of such schools as on 31st December, 1964 was 26,820.

(c) Yes, Sir.

(d) Television sets are installed in those Higher Secondary Schools of Delhi Administration where A. C. Power Supply is available. One or more TV Sets are installed depending upon the number of sections in the School. Television sets have also been installed in six Municipal Corporation Middle Schools on an experimental basis. At present 483 sets have been installed in 242 Schools. More sets will be installed in Schools depending upon the availability of A. C. Power Supply.

Nehru Memorial Exhibition

1997. Shri Bagri : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether Government organised the Nehru Memorial Exhibition in London;

(b) if so, the aims thereof;

(c) whether it is proposed to hold such exhibitions in other countries also; and

(d) if so, the total expenditure likely to be incurred in regard thereto?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) To depict the various aspects of the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru's life and the progress that India made under his leader-ship.

(c) Yes Sir, in Kenya, Tokyo, the UAR and some other Afro-Asian countries.

(d) Rs. 15 lakhs including the expenditure incurred for the London Exhibition.

भारत में परमाणु शक्ति का विकास

1998. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सामरिक शिक्षा संस्था, लन्दन के श्री लिओनार्ड बीटन द्वारा भारत में परमाणु शक्ति के विकास के बारे में की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां, हमने श्री बीटन के बयान की प्रेस रिपोर्ट देख ली है।

(ख) कोई नहीं।

मलयेशिया में द्रविड मुनेत्र कज़गम पर प्रतिबन्ध

1999. **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हेडा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में मलयेशियाई भारतीय कांग्रेस द्वारा किये गये अनुरोध की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने सिंगापुर की "मलयेशियन इंडियन कांग्रेस" के 'यूथ सेक्शन' की एक बैठक की खबर देखी है जिसमें मलयेशिया की केंद्रीय और राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया था कि डीएमके संगठन पर और उसकी शाखाओं पर समूचे मलयेशिया में प्रतिबंध लगा दिया जाए।

(ख) यह बताया गया था कि 'मलयेशियन इंडियन कांग्रेस' को इस बात का डर था कि भारत के कुछ डीएमके नताओं की प्रस्तावित यात्रा से मलयेशिया के साम्प्रदायिक मेल-मिलाप पर बुरा असर पड़ सकता है। मलयेशियन इंडियन कांग्रेस ने बाद में इस यात्रा का विरोध नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह मामला पूरी तरह मलयेशिया सरकार के अधिकार-क्षेत्र का है।

सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी

2000. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में स्थल सेना, नौसेना, तथा वायु सेना के कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को असैनिक विभागों में पुन: नौकरी पर रखा गया है; और

(ग) कम वेतन वाले कर्मचारियों की तुलना में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक वर्ष की अवधि संबंधी आवश्यक सूचना नीचे दी है ।

सेवाएं	सेवा से मुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	पुनर्नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
सेना . .	28,559	8,802
नौसेना . .	643	104
वायु सेना . . .	845	52
कुल संख्या .	30,046	8,958

ध्यान रहे कि तीसरे खाने में उल्लिखित सभी व्यक्ति दूसरे खाने में बताए गए व्यक्तियों में से नहीं हैं। वरिष्ट अफसरों के लिए पुनर्नियुक्ति की प्रतिशत संख्या 39 है और कम वेतन वाले स्टाफ के लिए 32।

श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार

2001. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना सभी सरकारी उपक्रमों में लागू कर दी गई है;

(ख) क्या इस योजना को लागू करने से मितव्ययता, कार्यकुशलता तथा अधिक उत्पादन के बारे में उपयोगी सुझाव प्राप्त करने में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो किन किन उद्योगों में योजना लागू की गई है; और

(घ) क्या अब तक किसी श्रमिक को यह पुरस्कार दिया गया है ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : यह योजना कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952 और बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 में परिभाषित क्रमशः कारखानों, खानों व बागानों पर तथा भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम, 1934 और गोदी कामगर (रोज़गार का विनियम) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कामगरों पर—चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के—लागू होती है ।

(ग) प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त, 1965 थी और प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच की जा रही है ।

(घ) अभी तक नहीं ।

सिपाहियों के परिवारों के लिये परिवार पेंशन तथा प्रतिकर

2002. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की रक्षा करते हुए कच्छ में जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिवारों के सदस्यों को परिवार पेंशन तथा प्रतिकर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को कितनी धन राशि दी गई है; और

(ग) क्या वीर गति प्राप्त लोगों के लड़कों को रोजगार देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जी हां। सेना सेविवर्ग के संबंध में कच्छ संक्रिया में मारे गए सेविवर्ग अर्ह उत्तराधिकारियों को विशेष कुटुम्ब पेन्शन के बराबर अदायगिएं स्वीकृत की गई हैं। एक मामले में मृत की विधवा के मर जाने की रिपोर्ट मिली है, और उसके दूसरे अर्ह उत्तराधिकारी को कि जिसे अदायगी की जानी है ढूण्डा जा रहा है। सभी सेविवर्ग के कुटुम्बों को विशेष कुटुम्ब पेन्शन के अतिरिक्त मृत्यु उपदान दिया जा चुका है, और उनमें से कइयों को वित्तीय सहायता भी दी गई है। मृत्यु उपदान, वित्तीय सहायता और जांच से पहले की कई अदायगियों के रूप में राशियों संबंधी एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** -4831/65।]

पोलीस सेविवर्ग के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों में से किसी से भी रोज़गार के लिए, कोई अभ्यावेदन/प्रार्थना भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

Weather Bulletins

2003. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a new weekly feature, apart from daily whether bulletin, on the A. I. R. to give advance information to the farmers about the likelihood of rains during the crop season; and

(b) if so, the broad details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No, Sir. The daily weather bulletin already provides adequate information about the weather, including a forecast of the possibilities of rain. The Meteorological Department is not equipped at present to provide weather forecasts for more than 48 hours. It is of the opinion that a weekly forecast will not be accurate.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश डाक-तार विभाग के कर्मचारीयों को क्वार्टर

2004. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने डाक तथा तार कर्मचारियों को 31 जुलाई, 1965 तक सरकारी क्वार्टर मिल चुके थे; और

(ख) क्या 1965-66 में उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 2847.

(ख) जी हां। विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के 58 क्वार्टरों की मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 17 क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है।

Postmen in Uttar Pradesh

2005. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of postmen employed in the Post Offices in Uttar Pradesh;

(b) the number of Postmen getting house-rent allowance; and

(c) the total amount paid to them as house-rent allowance during the Third Five Year Plan period ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) 5,035.

(b) 2,075.

(c) Rs. 13,09,313.

टेलीफोन काल

2006. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रोफेसर एच० ई० एम० बार्लो के नेतृत्व में लन्दन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण का अनुसंधान किया है, जिसके द्वारा दूर के स्थानों के लिये 10 लाख टलीफोन किये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या भारत सरकार इस नई खोज से लाभ उठा सकती है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) प्रो० बार्लो ने बड़ी संख्या में कम दूरी के टेलीफोन कालों को वहन करने की एक पेचीदा समस्या को सुलझाया है । औद्योगिक विकास और उसके उपयोग में लगभग दस वर्ष लग जाने की संभावना है । इस मामले पर लगातार ध्यान रखा जाएगा ।

जयपुर को दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के साथ मिलाने वाली "टैलैक्स" प्रणाली

2007. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जयपुर को टैलैक्स प्रणाली के द्वारा दिल्ली, बम्बई, मद्रास, तथा कलकत्ता के साथ मिलाने की व्यवस्था करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना का अनुमानित व्यय कितना होगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना के पहले वर्ष में ।

(ग) ट्रंक क्रियान्वित करने के सिलसिले में पहले ही लगाये जा चुके केवल तथा उपस्करों की लागत को छोड़कर लगभग तीन लाख रुपये ।

रासायनिक और भेषजीय उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

2008. **श्री रामेश्वर टांटिया** : **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री बालकृष्ण वासनिक** :

क्या **श्रम** और **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक तथा भेषजीय कर्मचारी संघ ने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें रासायनिक (परिष्कृत) और भेषजीय तथा संबंधीत उद्योगों के लिए एक पृथक मजूरी बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

Apartheid in South Africa

2009. Shri D. N. Tiwary :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the question of 'apartheid' in South Africa has been reconsidered in the Security Council this year;

(b) whether the Indian representatives are making efforts to press this issue; and

(c) whether any further sanctions are likely to be imposed against South Africa?

The Minister of External Affairs Sardar (Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) It is the consistent policy of the Government of India and of its Representatives abroad to condemn the policy of "apartheid" in all international forums.

(c) The UN General Assembly will consider the question of "Apartheid" at its XX Session. The question as to whether any further sanctions will be imposed against South Africa will depend to some extent upon the decisions taken by the Security Council and the General Assembly and to a larger extent on the nature of the decisions of individual Governments which are called upon the impose sanctions against South Africa.

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामुहिक निष्क्रमण की जांच

2010. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामुहिक निष्क्रमण की जांच करने के लिये एक आयोग स्थापित किये जाने तथा आसाम और पश्चिमी बंगाल से मुसलमानों को कथित निकाले जाने के बारे में विरोध-पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान हाई कमीशन का विरोध-पत्र उन्हें लौटा दिया गया था क्योंकि वह भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं था ।

रक्षा उत्पादन बोर्ड

2011. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये रक्षा उत्पादन बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन होंगे तथा इसके कार्य क्या होंगे; और

(ग) क्या इस बोर्ड में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का प्रतिनिधी भी शामिल किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एक रक्षा उत्पादन बोर्ड 20 मई 1964 को स्थापित किया गया था।

(ख) रक्षा उत्पादन बोर्ड की शमूलियत तथा कर्तव्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4832/65]।**

(ग) रक्षा उत्पादन बोर्ड के कर्तव्य ऐसे हैं कि उसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधी शामिल करना आवश्यक नहीं समझा गया।

प्रबंध में कर्मचारियों का योग

2012. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 747 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को उस संस्थान के प्रवंध में भागीदार या अंशधारी बनाये जाने के विषय में किये गये अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या): अभी इस मामले का अध्ययन हो रहा है।

कोयला खानों मे होने वाले लाभ में से बोनस

2013. **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल की कोयला खान मजदूर सभा ने रानीगंज-आसनसोल कोयला क्षेत्र की विभिन्न खानों द्वारा कमाये गये लाभ में से बोनस दिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इन खानों द्वारा कोई बोनस दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना बोनस दिया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : 29 मई, 1965 को बोनस अदायगी अध्यादेश 1965 जारी किया गया। कोयला खान उद्योग की ओर से यह कहा गया कि उन प्रतिष्ठानों के लिए, जिनका लेखा-वर्ष 31 दिसम्बर 1964 को समाप्त हुआ, अध्यादेश के अंतर्गत 31 अगस्त, 1965 तक बोनस की अदायगी करना कठिन होगा। सरकार ने कोयला खान उद्योग के इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में बोनस की अदायगी के लिये अवधि 31 दिसम्बर, 1965 तक बढ़ाने का निश्चय किया है।

चैबासा लौह अयस्क खानों का बन्द हो जाना

2014. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैबासा क्षत्र में लगभग 45 लौह अयस्क खाने 15 जून, 1965 से बंद हो गयी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने श्रमिकों को काम से हटा दिया गया है; और

(घ) यदि उनके लिए कोई प्रबंध किया गया है, तो क्या ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं; केवल तीन लौह अयस्क खानों को काम बंद करने के लिये कहा गया था।

(ख) ये खाने एक नाले के पास स्थित हैं और ये बाढ़ से खतरे के कारण बरसात के मोसम में 15 जून से 31 अक्तूबर, 1965 तक बंद कर दी गई है।

(ग) और (घ) : काम-बंदी के कारण 175 व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा। इन मजदूरों को अन्य खानों में नियुक्त कर दिया गया।

पंजाब में रक्षा उत्पादन के लिये औद्योगिक एकक

2015. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में पंजाब सरकार ने कुछ औद्योगिक एककों को रक्षा उत्पादन एककों में बदलने के संबंध में उनकी सूची भेजी थी ; और

(ख) उस संबंध में सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) ऐसी कोई सूची प्राप्त नहीं हुई। तदपि जून 1965 के अंत में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि रोहतक की एक फर्म के पास प्राप्य क्षमता को गोलिबारूद की कई किस्मों के उत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जाए। चूंकि प्रस्तावित गोलिबारूद के लिये आयुध कारखानों में पर्याप्त क्षमता वर्तमान् थी, इसलिये कुछ अतिरिक्त संयन्त्र तथा मशीनों पर व्यय करके निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया। तदपि, फर्म को सलाह दी गई है कि वह हमारे तकनीकी प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखें, ताकि जिस क्षेत्र में उस फर्म की सहायता का अतिरिक्त सरमाया लगाए बिना उपयोग किया जा सकता है, उसका अच्छी तरह निर्धारण किया जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में नये सैनिक स्कूल

2016. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नये सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : हमीरपुर, झंज्जर, संगरूर, भटिण्डा, फिरोज़पुर और मालिरकोटला में सैनिक स्कूल स्थपित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। सैनिक स्कूल की स्थापना में अन्तर्ग्रस्त है, 70 लाख रुपये की अपुनरावृत्त खर्च तथा 80 लाख और 7 से 8 लाख तक छात्रवृत्तियों के रूप में, पुनरावृत्त खर्च। इस खर्च को राज्य सरकार सहन करती है। यह प्रस्ताव, इस प्रार्थना के साथ, राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं, कि राज्य में दो सैनिक स्कलों की उपस्थिति, उनके लिए आवश्यक धन राशि, और वर्तमान् सैनिक स्कूलों की पूरी आवश्यकताओं को जुटाने के बाद, अतिरक्त वित्तीय भार संभाल पाने की, अपनी क्षमता को सामने रखते हुए, वह उन पर विचार करें।

औद्योगिक विवादों में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग

2017. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में औद्योगिक विवादों के संबंध में कितने मामलों में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया गया ;

(i) हड़ताली श्रमिकों के विरुद्ध अथवा अन्यथा; तथा

(ii) उन नियोजकों के विरुद्ध जिन्होंने तालाबंदी की हो अथवा अन्यथा; और

(ख) क्या इनका इस प्रकार प्रयोग किया जाना सरकार के इस आश्वासन का, कि सामान्य औद्योगिक विवादों के मामले में भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग नहीं किया जायेगा, उलंघन नहीं करता ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 10.

(i) 8.

(ii) 2.

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । इन नियमों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग उन्हीं मामलों में किया गया जहां हालात के मुताबिक ऐसा करना अपेक्षित था ।

National Defence Fund

2018. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some amount out of the National Defence Fund was given to the State Citizens' Councils;

(b) whether it is also a fact that the audited accounts in respect of these sums have not been received by the Central Council; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Yes.

(b) and (c): Audited statements of accounts from most of the State Councils have been received. The State Councils which have not yet sent their audited statements of accounts have stated that the accounts are in the process of audit and that the audit reports would be sent shortly.

Lok Sahayak Sena

2019. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) The number of persons belonging to Lok Sahayak Sena who were provided with employment by Government uptill now after it had been disbanded:

(b) The number of persons thrown out of employment on account of Lok Sahayak Sena having been disbanded;

(c) Whether there is any proposal to absorb them in regular units; and

(d) If not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) 70 Lok Sahayak Sena personnel have been re-employed in organisations under the control of other Ministries. 3 officers of the Lok Sahayak Sena have been absorbed in the National Cadet Corps. Information regarding the number of ex-Lok Sahayak Sena personnel who have found employment in various Central and State Government offices all over the country, through the Employment Exchanges, is not available. The time and labour involved in collecting will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(b) 372 persons were discharged as a result of the disbandment of the Lok Sahayak Sena.

(c) and (d) : The personnel of the Lok Sahayak Sena comprised mainly of ex-Servicemen, who had retired or had been discharged from the regular Army on completion of their term. The question of their absorption in the regular Army on the disbandment of the Lok Sahayak Sena does not, therefore, arise.

Rev. Michael Scott

2020. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kindar Lal :
Shri P. C. Borooah : Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Gokulananda Mohanty :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the entry of Rev. Michael Scott, a member of Naga Peace Mission, into Manipur has been refused on the ground that he is not an Indian citizen; and

(b) If so, the reason for making him a member of Peace Mission when he is not an Indian Citizen?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Rev. Michael Scott has expressed a desire to visit Manipur particularly the areas covered by the agreement on the suspension of operations.

It was explained to him that as far as reports regarding breaches of the terms of the agreement were concerned the Observers' Team could make necessary enquiries and it was not necessary for him to visit Manipur in that connection.

It was also felt that as it was a sesnitive border area and the tribes other than Nagas in Manipur were also restive, it would not be desirable to permit foreigners to visit these areas.

In Nagaland the question of other non-Naga tribes was not so pertinent.

(b) The Peace Mission is not a Government appointed body. Its members are persons in whom the Naga Church leaders and the Naga Baptist Convention have confidence and they were appointed by that Convention.

Ban on Indian Citizens in Chittagong and Chalna

2021. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the East Pakistan authorities have banned the entry of Indian citizens into Chittagong and Chalna ports; and

(b) If so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) The Government of India had received no such reports until the lst week of September, 1965. In view of the Emergency the position may well have changed now.

(b) Does not arise.

Film Consultative Committee

2022. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state

(a) Whether it is a fact that the Film Consultative Committee met on the 17th May, 1965 in New Delhi;

(b) If so, the topics discussed thereat; and

(c) The decision taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi):
(a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Committee discussed some of the difficulties of exhibitors, the tax burden on the film industry, and the question of setting up a Film Council, besides a few other minor problems facing the industry. The following specific recommendations were made by the Committee:

(i) A sub-committee of the Film Consultative Committee should suggest the items of legitimate and unavoidable expenditure on repair or renovation of cinemas that should be allowed for computing lawful expenses for assessing the income tax payable by an assessee.

(ii) The upper footage limit for lower rates of excise duty on exposed cinematograph films should be raised.

(iii) Prints of classics more than 10 years old should be exempted from payment of excise duty.

The recommendations are under the consideration of Government.

व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र

2023. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली में रोज़गार दफ्तर द्वारा छात्रों के लिये आयोजित व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र खोलने की योजना के द्वारा क्या प्रगति की गई है; और

(ख) क्या इस योजना को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) विद्यार्थियों के विशेष मार्गदर्शन के लिए 12 से 25 जून, 1965 के बीच 6 केन्द्र स्थापित किए गए थे। इन केन्द्रों द्वारा 4,500 से अधिक व्यक्तियों को जिनमें अधिकांश विद्यार्थी और उनके माता-पिता थे, व्यावसायिक तथा शिक्षा सम्बन्धी उपयोगी जानकारी दी गई।

(ख) यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में चलाया जाता है। अन्य राज्यों से भी ऐसा ही कार्यक्रम चलाने की सिफारिश की गई है। अब यह उन राज्यों की इच्छा पर है कि वे इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करें।

Atomic Power Stations

2024. Shri Bagri :
Shri Warior :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Atomic Power Stations Government proposes to instal in the country during 1965-66 and 1966-67;

(b) the names of the places and States where these Atomic Power Stations would be installed; and

(c) the names of the countries whose help and co-operation will be sought ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) and (b). The Tarapur Atomic Power Station and the first unit of the Rajasthan Atomic Power Station are already under construction. Government have decided to proceed during 1965-66 and 1966-67 with the construction of the second unit of the Rajasthan Atomic Power Station and the Madras Atomic Power Station with two similar units.

(c) Aid to finance the conventional equipment which has to be imported for the second unit of the Rajasthan Atomic Power Station is being sought from Canada and for the two units of the Madras Atomic Power Station from France.

नौआमुण्डी में "टिस्को" की खानें

2025. श्री ह० च० सोय : क्या **श्रम** तथा **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौआमुण्डी में "टिस्को" की खानों के प्रबन्धक स्थानीय तथा आदिवासी कर्मचारियों को स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्ती लेने के लिये बाध्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या भारत के किन्ही अन्य खान-क्षेत्रों में स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति लेने की इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी नहीं ।

(ख) स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्ति की योजना टिस्को और माइन्स एण्ड क्वेरीज़ के उन फालतू कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख नवम्बर, 1965 के अन्त तक नहीं आती और जो स्वेच्छापूर्वक उससे पहले सेवानिवृत्ति प्राप्त करना चाहते हों ।

बर्मा में मिशन स्कूलों का बन्द किया जाना

2026. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने बर्मा में चलने वाले सभी मिशन स्कूल बन्द कर दिये है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल भी बन्द कर दिये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) बर्मा में मिशन स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। इनमें से अधिकांश स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और बर्मा सरकार उन्हें चला रही है।

(ख) भारतीय धार्मिक मिशनों द्वारा कोई स्कूल नहीं चलाए जा रहे है ।

बर्मा में अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण

2027. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मा सरकार ने भारत के रामकृष्ण मिशन समेत विदेशी मिशनों तथा धर्म प्रचारकों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर लिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : जी हां ।

लोह अयस्क उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

2028. श्री ह० च० सोय :
श्री बागड़ी :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोह अयस्क खनन उद्योग के मजूरी बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है तथा अन्तरिय रिपोर्ट को कहा तक क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मजूरी बोर्ड अभी भी काम कर रहा है। अभी तक बोर्ड की अंतरिम सहायता सम्बन्धी सिफारिशें सरकारी क्षेत्र में चार खानों द्वारा और निजी क्षेत्र मे सत्ताइस खानों द्वारा पूर्णतः लागू की गई हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धी मशीनरी के अधिकारी अन्य खानों में इन सिफारिशों को यथाशीघ्र लागू कराने का प्रयास कर रही है।

विदेशी फिल्में

2029. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में गत तीन वर्षों में सिनेमा घरों में कुल कितनी विदेशी फिल्में दिखाई गई है;

(ख) सेन्सर अधिकारियों ने ऐसी कितनी फिल्मों के दिखाये जाने की अनुमति नहीं दी; और

(ग) किन किन देशों की कितनी कितनी फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि गत तीन वर्षों में सिनेमा घरों में कितनी फिल्में दिखाई गई। हां, बोर्ड ने इस अवधि में कुल 5298 आयातित फ़िल्में प्रमाणित कीं। इनमें 621 फ़ीचर फ़िल्में थी और 4677 छोटी फ़िल्में तथा ट्रेलर।

(ख) और (ग) : सदन की मेज़ पर एक विवरण रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-4833/65**]

भारतीय सेना में अधिकारियों के पदों के लिये पदोन्नतियां

2030. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सैनिक अधिकारियों के पदों के लिये पदोन्नतियां करने के बारे में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का फैसला किया है, जिसके फलस्वरूप सेना के कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों (जे० सी० ओ०) तथा कमीशन अप्राप्त अधिकारियों (एन० सी० ओ०) को अधिकारियों के पदो पर पदोन्नतियों के अधिक असवर मिलेंगे; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जाएंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सरकार के एक हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप कनिष्ठ, आयुक्त अफसरों और अवर श्रेणि सैनिकों के लिये अफसर पदों में उन्नति के लिये अब और अधिक अवसर प्राप्त हैं। वह अवसर इस प्रकार है :—

(1) प्रतिवर्ष उनके ले० जनरल काडर में सुरक्षित स्थायी कमीशनों की प्रतिशत संख्या काफी बढ़ा दी गई है। 1962 के 22 प्रतिशत की तुलना में अब वह 42 प्रतिशत है।

(2) विशिष्ट सूची काडर में स्थायी कमीशनों की अधिकृत जनशक्ति जो पहले मुख्यतः अफसरों के अतिरिक्त सेवा कर रहे से विवर्ग के लिये सुरक्षित थी, उसे काफ़ी बढ़ा दिया गया है। 1962 के 943 की तुलना में वह अब 1500 है।

(3) सेना चिकित्सकदल के सेवा कर रहे अवर श्रेणि सैनिकों को ए० एम० सी० (अतकनीकी) में नियमित कमिशनों के लिये अर्ह बना दिया गया है।

एना कोयला खान में दुर्घटना

2031. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जुलाई, 1965 को एना कोयला खान में एक दुर्घटना हुई जिस के परिणामस्वरूप 7 खनिक मारे गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस दुर्घटना में मारे गये खनिकों के परिवारों को क्या सहायता दी गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां; जब खुदाई करने वाले खनिक तीन गैलरियों में, जोकि साथ साथ थीं, काम कर रहे थे तब छत के पत्थर का एक ढेर जिसका माप 9.9 मीटर गुणा 8.7 मीटर गुणा 45 सेंटिमीटर था, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गैलरियों के जंक्शन पर गिर पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सात खनिक अंदर फंस गए । इनमें से छः की तत्काल मृत्यू हो गयीं और सातवें की, जिसे बाहर निकाला गया था, अस्पताल में मृत्यु हो गई ।

(ग) वे सभी खनिक जोकि मारे गए, कोयला-क्षेत्र भर्ती संगठन, गोरखपुर की मार्फत भर्ती किए गए थे । मैनेजमेंट ने प्रत्येक शव के दाह-संस्कार के लिए 25 रु० दिए हैं । मैनेजमेंटोंने, जिन्होंने मजदूरों का बीमा कराया था, बीमा प्राधिकारियों से मुआवजा कमिशनर के पास मुआवजा जमा कराने के लिये प्रार्थना कर दी है । कोयला खान कल्याण आयुक्त द्वारा कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि से वित्तीय सहायता की अदायगी की व्यवस्था की जा रही है ।

मेकोंग घाटी

2032. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने विश्व के देशों से मेकोंग घाटी का विकास करने में सहायता करने की अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सदन की मेज़ पर एक वक्तव्य रख दिया गया है ।**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4834/65 ।]**

ट्राम्बे में विकिरण-विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला

2033. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अणुशक्ति संस्थान ने ट्राम्बे में विकिरण विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशाला का निर्माण करने का ठेका एक गैर-सरकारी फर्म को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) तथा (ख) : जी हां । ट्राम्बे में विकिरण विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगशालाओं के दूसरे फ़ेज़ का निर्माण करने का ठेका दिया गया है । इस कार्य पर 286·53 लाख रुपये व्यय होंगे । इसमें सिविल इंजीनियरी कार्यों, हाट सेलो के निर्माण पाइपिंग, विशेष उपकरण, बिजली के कार्यों, आदि पर होने वाला व्यय भी शामिल है ।

डीजल नौ-इंजन कारखाना

2034. श्री वारियर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीज़ल नौ-इंजीन कारखाना स्थापित करने के लिये स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीयों के लिये ईरानी सीमा में प्रवेश पर रोक

2035. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईरान ने भारतीयों के लिये अपनी सीमाएं बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) और (ख) : हैजे की तरह की महामारी को फैलने से रोकने के लिए, जो ईरान के 4 पूर्वी प्रान्तों में फैल गई थी, सारे क्षेत्र में आना-जाना निषिद्ध दिया गया है। ईरान के अधिकारियों का यह विश्वास है कि ईरान में यह बीमारी पूर्वी सीमांत की ओर से आई थी । इसलिए पूर्व की तरफ़ से ईरान में प्रवेश करने की मनाही कर दी गई थी और इनमें भारतीयों का आ जाना स्वाभाविक था । अब धीरे-धीरे यह प्रति-बंध हटाए जा रहे हैं ।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

2036. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 के राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2 ने (अपने निर्णय की कंडिका 23 के द्वारा) यह निदेश दिया था कि छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये भरती तथा पदोन्नति के नियम बनाये जायें;

(ख) क्या नियम बनाये जा चूके है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : छावनी अधिनियम, 1924 सरकार को छावनी बोर्ड कर्मचारियों को भरती करने तथा तरक्की देने संबंधी नियम बनाने का अधिकार नहीं देता । अधिनियम का संशोधन करने तथा अन्य विस्तृत संशोधन करन का प्रश्न, उस अधिनियम के अधीन संशोधित नियम बनाने सहित आपातकाल के लिये स्थगित कर दिया गया है । यद्यपि नियम अभी बनाए नहीं गए हैं, सभी छावनी बोर्डों को प्रशासनिक निदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह औद्योगिक ट्रिबुलन के निर्णय के पैरा 23 पर हुए अवलोकनों का पूर्णतया अनुसरण करें ।

औद्योगिक न्यायाधिकरण का पंचाट

2037. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1938 के औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2 ने केन्द्रीय सरकार को पंचाट की कंडिका संख्या 34 के द्वारा यह निदेश दिया कि उपयुक्त स्थानान्तरण नियम बनाये जायें और छावनी बोर्ड के कर्मचारियों में से पर्यवेक्षक कर्मचारी तथा अनुभागीय प्रमुख एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थनान्तरित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा स्थानान्तरण नियम बनाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, परन्तु 1938 में कोई ट्रिबुनल न था। संकेत शायद, 1958 के औद्योगिक ट्रिबुनल संख्या 2 के निर्णय की ओर है।

(ख) तथा (ग) : छावनी अधिनियम, 1924 सरकार को छावनी बोर्ड कमचारियों को एक छावनी से दूसरी छावनी में अंतरित करने के नियम बनाने का अधिकार नहीं देता। इस बारे में अधिनियम में संशोधन करने तथा उस में अन्य विस्तृत संशोधन करने का प्रश्न उसके अन्तर्गत संशोधित नियम बनाने सहित आपात-काल के लिये स्थगित कर दिए गए हैं।

गम्बिया के साथ राजनयिक सम्बध

2038. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने गम्बिया की सरकार के साथ उच्चायोग स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तो उसका क्या नाम है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) : जी हां। सेनेगल में भारत के हाई कमिशनर, श्री ए० एच० साफरानी को साथ ही गैंबिया में भी हाई कमिशनर नियुक्त किया जा रहा है।

राजस्थान में शक्तिशाली ट्रान्समिटर

2039. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलकी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सीमावर्ती गांवों बाड़मेर और जालौर के लोग पाकिस्तान प्रसारण सुनते हैं क्योंकि वहां पर आकाशवाणी के प्रसारण सुनाई नहीं देते;

(ख) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली ट्रान्समिटर लगाने की संभावना का विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) आकाशवाणी को इसकी कोई सूचना नहीं है कि बाड़मेर और जालौर के लोग पाकिस्तान के प्रसारण सुनते हैं या नहीं। भारत में किसी भी रेडियो को घर में सुनने की कोई रोक नहीं है। हाल ही में अखबारों से यह पता चला है कि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान रेडियो सुनने पर पाबन्दी लगाई है। बाड़मेर और जालौर पाकिस्तान की सीमा के निकट है और वहां दिन में वर्तमान आकाशवाणी केन्द्रों का प्रसारण नहीं सुनाई देता।

(ख) और (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में एक शक्तिशाली मिडीयम वेव ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लग जाने पर, वहा दिन में भी हमारा प्रसारण सुना जा सकेगा। अजमेर और बीकानेर केन्द्र सूर्यास्त के बाद इस समय भी सुने जा सकते है।

Chinese Nationals in India

2040. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any note has been received from China in regard to the repatriation of Chinese nationals who are still in detention in India ; and

(b) if so, the nature of the reply given by the Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) The correspondence regarding the Chinese proposal for the repatriation of Chinese nationals in India has been included in the White Papers copies of which were placed on the Table of the House. The last note received from the Chinese Government on this subject was dated 25th December 1963. This will be found at page 71 of White Paper No. X.

(b) The Government of India's reply to this note dated 8th January 1964 has been placed on the Table of the House and will be found on page 73 of White Paper No. X.

नौसेना का उपकरण

2041. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस भारतीय नौसेना बल को सुदृढ बनाने तथा भारत को अपने समुद्र तट की रक्षा करने योग्य बनाने के लिये पनडुब्बियों के अतिरिक्त नौ-सैनिक उपकरण देने को तैयार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख) : इस विषय में किसी प्रकार के विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

साज और जीनगीरी कारखाना, कानपुर

2042. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1965 में, बन्दूक बनाने के धातु से बने हुए मैनहोलों के ढ़क्कनों को समुचित अधिकार के बिना ही साज और जीनगीरी कारखाना, कानपुर के द्वार से बाहर ले जाने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां । ताम्बे के तख्तों से बने चार ढ़क्कन, न कि गन मैटल गेट पासों द्वारा, हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर के गेट पर, 12 मार्च 1965 को लाए गए थे ।

(ख) देख रेख, तथा फैक्टरी से बाहर लिए जाने वाले सामान का निरीक्षण करने को नियुक्त, सुरक्षा स्टाफ ने, संदेह होने पर, सामान को गेट कार्यालय पर रोक लिया था । जांच करने पर पता चला, कि मामला कागजों की बदली बदली द्वारा चोरी के प्रयास का था । अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है ।

(ग) मामला चोरी के प्रयास का है, और वर्तमान सुरक्षा प्रबंध इसे संभालने के लिय काफी समझे गए हैं। रोकथाम के लिये अन्य उपाय आवश्यक नहीं समझे गए ।

कलकत्ता में ट्रामों के किरायें में वृद्धि

2043. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के किसी सदस्य अथवा सदस्यों ने उन्हें एक अभ्यावेदन दिया है अथवा उनसे प्रार्थना की है कि वह कलकत्ता में ट्रामों के किरायें में की गई वृद्धि के विरोध में चल रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति को सम्भालने के लिये हतक्षेप करें तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह मंत्रणा दें कि वह इस प्रश्न को जांच के लिये किसी आयोग अथवा न्यायाधिकरण को सौंप दें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से इस प्रश्न पर चर्चा की थी। इस मामले की जांच के लिये किसी जांच आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने मामले के सब पहलुओं और सम्बद्ध बातों जिन में कि वे सिफारिशें भी शामिल हैं जो कि कम्पनी की एक परामर्शदात्री समिति, जिसके अध्यक्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश श्री पी० वी० चक्रवर्ती थे, ने की थीं, पर भली भान्ति विचार करने के पश्चात् कलकत्ता ट्राम्बे कम्पनी लिमिटेड के किराए की दरों में वृद्धि किए जाने के लिये अपनी स्वीकृति दी थी।

फिजी का राजनीतिक ढांचा

2044. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिजी के भावी राजनीतिक ढांचे के सम्बन्ध में लन्दन में हाल ही में हुए सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने फिजी भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये 'कामन रोल प्रोपोजल' को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और उसके स्थान पर उसने सम्प्रदायिक निर्वाचन फार्मूले को स्वीकर कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि फिजी में भारतीयों के साथ उचित व्यवहार किये जाये ब्रिटिश सरकार से इस मामले पर पत्र-व्यवहार किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इसके बारे में रिपोर्ट देख ली है।

(ख) जी नहीं, लेकिन इस विषय पर हमारे विचार सब को मालूम है।

पुस्तक रचना सम्बन्धी सांख्यिकी का अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण

2045. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था ने युनेस्को द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की रचना सम्बन्धी सांख्यिकी के अन्तर्राष्ट्रीय मानकी करने के बारे में शिक्षा मंत्रालय को क्या मंत्रणा दी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4835/65**]।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

2046. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था ने एक सिंचाई परियोजनाओं से होने वाले लाभों तथा (दो) मण्डियों को परस्पर मिलाने वाली सड़कों के प्रभाव का अनुमान लगाने के सर्वेक्षणों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये मूल्यांकन-अध्ययनों के सम्बन्ध में उस संगठन को क्या मंत्रणा दी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इन सर्वेक्षणों के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा बुलाई गई जीवन निर्वाह स्तर सम्बन्धी कार्यकारी दल की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया जिनमें एक संयुक्त निदेशक ने केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन का प्रतिनिधित्व किया। इन योजनाओं के विषय में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की गई टिप्पणियो को एक विवरण के रूप में सदन के पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-4836/65**।]

फसल-बीमा सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना

2047. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सांख्यिकी संस्था ने फसल-बीमा सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को क्या सलाह दी है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): जनवरी 1964 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद से कुछ प्रतिवेदन जिनको निवृत्त वैज्ञानिक योजना के अन्तर्गत विशेषज्ञों ने तैयार किया था केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को प्राप्त हुये थे। इन प्रतिवेदनों की जांच पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने यह महसूस किया है कि प्रतिवेदन-कार इस विषय पर कोई महत्वपूर्ण योगदान नही दे सका है और उस के अनुसार ही उसने परिषद को सलाह दी है। परन्तु उन्होंने कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्था से जिस का फसल-बीमा से सम्बन्ध है राय कर लेने का सुझाव दिया था।

आयुध कारखाना, अम्बरनाथ

2048. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखाना, अम्बरनाथ के 5 कर्मचारियों ने उनको बम्बई नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिये जाने की मांग करते हुए भुख हड़ताल आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) आयुध कारखाना अम्बरनाथ के 3 कमचारी, और मशीन टूल प्रोटोटाईप फैक्टरी अम्बरनाथ के 2 कर्मचारी 16 अगस्त से 18 अगस्त 1965 तक भुख हड़ताल पर थे।

(ख) बृहत् बम्बई में लागू दरों पर नगर मुआवजा तथा मकान किराया भत्तों की मांग मान्य नहीं समझी गई, परन्तु उल्हास नगर मे लागू दरों पर, अम्बरनाथ में मकान किराया भत्ता देने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है।

अम्बरनाथ में रक्षा असैनिक को खाद्यान्न मुहैय्या करने का प्रश्न राज्य सरकार के साथ चलाया गया है।

सेना सेवा कोर द्वारा खाद्यान्न की सप्लाई के लिए, सभी रक्षा औद्योगिक कर्मचारियों को रक्षा सिब्बंदियों में मिलाने के व्यापक, प्रश्न पर विचार किया गया है, परन्तु इस प्रबंन्ध को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि ए० एस० सी० मुख्यत: सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग की आवश्यकताएं जुटाने के लिये संगठित की गई है।

तदपि अम्बरनाथ के मामले में अस्थायी तौर पर कर्मचारियों तथा उनके कुटुम्बों की आवश्यकताएं जुटाने के लिए, खाद्यान्नों की अतिरिक्त राशि की सप्लाई के लिए विशेष तदर्थ, प्रबंध किए गए थे, परन्तु कार्मिकों के प्रतिनिधियों ने गेहू की शक्ल में अतिरिक्त खाद्यान्नों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है।

सब्जी मण्डी डाकघर, दिल्ली

2049. श्री प० ला० बारूपाल :
श्री लखमू भवानी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अगस्त 1965 को एक व्यक्ति ने, अपने आपको पोस्ट मास्टर बताया और वह सब्जी मण्डी डाकघर से 12,000 रुपये ले कर चम्पत हो गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, ऐसी घटना हुई थी, किन्तु घटना की तारीख 19 अगस्त, 1965 है ।

(ख) मामले की सूचना तुरन्त पुलिस को दे दी गई थी और इसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है जो अपराधी का पता लगाने की दिशा में भरसक प्रयत्न कर रहे है ।

Shortage of Inland Letters in Nagpur

2050. Shri Yashpal Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of Inland Letters in Nagpur;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Yes Sir. There was temporary shortage during May, July and August, 1965.

(b) Inadequate supply from the Treasury.

(c) Steps had already been taken for adequate supply of inland letter cards to be made to the post offices in Nagpur City and at present there is no shortage.

आकाशवाणी द्वारा समाचार अभिकरणों को दिया गया अभिदान

2051. श्री जं० ब० सिंह विष्ट : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा समाचार अधिकरणों को दिये जाने वाले अभिधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या इस संशोधन का उद्देश्य उस असमानता को अंशिक रूप में हटाने का है, जो दो प्रमुख समाचार अभिकरणों 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' और 'यूनाइटेड न्यूज एजेंसी' को दिये जाने वाले अभिदान की मात्रा में विद्यमान है, और

(ग) क्या इन समाचार अभिकरणों में सरकारी निदेशक रखने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) : आकाशवाणी प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाईटेड न्यूज़ आफ़ इंडिया से खबरें लेता है । प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया के शुल्क में संशोधन करने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु, युनाइटेड न्यूज आफ़ इंडिया ने प्रार्थना की है कि आकाशवाणी इसको जो शुल्क देता है उसमें संशोधन किया जाए । सरकार इस पर विचार कर रही है ।

(ग) : जी, नहीं ।

केन्द्रीय सूचना सेवा

2052. श्री रिशांग किशिंग : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रशासनिक ढाचे और अफसरो के वेतन-क्रम में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के कुछ पदों को इस पदालि से निकाल देने और कुछ ऐसे पदों को, जो पदालि में नही हैं, इस पदालि में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों के क्या नाम हैं; और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : 1 सितम्बर, 1965 से केन्द्रीय सूचना सेवा के सीनियर प्रशासनिक ग्रेड के सभी पदों का और जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के कुछ पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है। एक विवरण, जिसमें इन ग्रेडों के पहले के और संशोधित वेतन-मान दिखाए गए हैं, सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4837/65।]

संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पर, सेवा के तृतीय ग्रेड में 25 प्रतिशत सीधी भर्ती के कोटे को भी समाप्त करने का विचार है।

(ग) और (घ) : सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार तेज़ करने के लिये क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के जो 44 पद बनाए गए हैं उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड से बाहर रखने का विचार है। ये सीमांत वाले पद विशेष प्रकार के हैं। इन पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाएगा, जिन्हें सीमांत क्षेत्रों के लोगों, स्थानीय परम्पराओं और रस्म रिवाज़ों की जानकारी होगी, और जो वहां की मूख्य भाषाएं या बोलियां बोल सकते हों।

केन्द्रीय सूचना सेवा के उपयुक्त ग्रेडो में निम्नलिखित पद शामिल करने का विचार है, क्योंकि इन पदों के जिम्में जो काम हैं, वे वहीं हैं जो सेवा के कुछ पदों के जिम्मे हैं।

1. सहायक प्रेस रजिस्ट्रार, भारत के अखबारों के रजिस्ट्रार का कार्यालय } केन्द्रीय सूचना सेवा के प्रथम ग्रेड में
2. सम्पादक, बेतार जगत, आकाशवाणी }
3. उप-सम्पादक (आवाज़), आकाशवाणी। — केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड में।

आर्मी ऐजूकेशन कोर प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र, पचमढ़ी

2053. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी ऐजूकेशन कोर प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र, पचमढ़ी, में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या को, जिन्होंने 15 से 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है, अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस मामले में कब तक निर्णय कर लेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ए० ई० सी० प्रशिक्षण कालिज तथा केन्द्र (पचमढ़ी) में वर्ष से अधिक वाले 24 ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो स्थायी होने की प्रतिरक्षा कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) : केन्द्र के अस्थायी स्थानों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार स्थायी स्थानों में अन्तरित करने के लिये कार्य किया जा चुका है। अर्ह-सेविवर्ग को इन स्थायी स्थानों पर पक्का करने के लिये कार्य भी प्रगतिशील है।

टेलीफोन राजस्व के लेखा कार्यालयों के डिवीजनों के स्थान

2054. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के टेलीफोन राजस्व के लेखा कार्यालय के डिवीजन उनके अपने राज्यों में रखे गये हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों के टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय के कितने डिवीजन दिल्ली में स्थित हैं; और

(ग) बड़ौदा डिवीजन को गुजरात राज्य में स्थानांतरित न करने के क्या कारण है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां, पंजाब और उड़ीसा तथा आंशिक रूप से गूजरात को छोड़कर।

(ख) दो टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय।

(ग) टेलीफोन राजस्व लेखा कार्यालय (बडोदा) को टेलीफोन राजस्व लेखा-कार्य के पुनर्गठन सम्बन्धी सामान्य प्रश्न के विचाराधीन होने, साथ ही कर्मचारियों की बदली और तत्सम्बन्धी अन्य समस्याओं के कारण दिल्ली से गुजरात राज्य नहीं ले जा सका है। आशा है कि इस मामले का शीघ्र ही निपटान हो जायगा।

Printing of A.I.R. Journals

2055. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the printing press, to which contract for printing English and Hindi Journals of the A. I. R. was given, further gave the contract of those jobs to some other printing press contrary to the terms of the contract; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The plea given by the Press is that the work was given to a sister concern, which is being run under their supervision. The matter is being investigated and suitable action will be taken by Government.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2056. **श्री प० ह० भील :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1965 से आज तक अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्त मूल्य सूचकांक महीनेवार क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवय्या) : एक विवरण जिसमें अखिल भारतीय (अंतरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949--100) के अप्रैल, 1965 से जुलाई 1965 तक के महीनेवार आंकडे दिए गए हैं, इस प्रकार है :—

अखिल भारतीय (अंतरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मासिक आंकड़े (आधार 1949--100)

महिना		सूचकांक
अप्रैल	1965	160
मई	1965	161
जून	1965	163
जुलाई	1965	168

सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र, पचमढ़ी

2057. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेज तथा केन्द्र, पचमढ़ी (मध्य प्रदेश) में चतुर्थ श्रेणी के असैनिक कर्मचारियों को राशन (गेंहू का आटा तथा चावल आदि) की व्यवस्था के लिये प्रभावी प्रबन्ध कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : गैर लड़ाकू (अभर्तीशुदा), जैसे कि बावर्ची, मेहतर, बहिश्ती, धोबी इत्यादि को छोड़ कर ए० ई० सी० प्रशिक्षण कालिज तथा केन्द्र पचमढ़ी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी खाद्य सामग्री सैनिक साधनों से नकद अदायगी पर खरीदते हैं। तदपि ऐसे कोई प्रबंध नहीं किए गए कि गैर लडाकू (अभर्तीशुदा) अपने निकटतम किसी सहयोगी भण्डार से अपनी खाद्य सामग्री ले सकें।

Meeting of Chief Minister, Assam with underground Nagas

2058. **Dr. Mahadeva Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Assam, had a meeting with the underground Nagas at Dimapur on the 28th August last and discussed with them the question of resuming peace talks; and

(b) if so, the details of the talks held and the outcome thereof ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) A news item appearing in the Press stated that Shri B. P. Chaliha, Chief Minister of Assam, met some underground leaders at Dimapore on 28th August and discussed with them matters relating to the peace talks.

(b) Shri Chaliha met the underground Nagas in his capacity as a member of the Peace Mission and the details of his discussion with them are not available. It is, however, stated in the said news item that peace talk between the Government of India delegation and the underground Nagas are likely to be resumed towards the end of September, 1965, when Rev. Michael Scott, another member of the Peace Mission, is also expected to be back from London.

आकाशवाणी दिल्ली में आकस्मिक कलाकार

2059. **श्री दाजी** :
श्री वारियर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली में कितने आकस्मिक कलाकार हैं,

(ख) उनके ठेके की शर्तें क्या हैं, और

(ग) उनमें से कितने कलाकार आकाशवाणी में एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) सतरह।

(ख) उन्हें मासानुमास केजुअल करार पर रखा जाता है और उन्हें इसी प्रकार का काम करने वाले स्टाफ आर्टिस्टों की फ़ीस-दर के न्यूनतम के बराबर राशि और सभी स्वीकृत भत्ते दिए जाते हैं।

(ग) पांच। इन्हें नियमित रूप से रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

आकाशवाणी में आकस्मिक कलाकार

2060. श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के समाचार सेवा विभाग में काम करने वाले आकस्मिक कलाकारों को कोई महंगाई भत्ता तथा नगर भत्ता दिया जाता है, और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केजुअल आर्टिस्टों को, जो महीने की अवधि पर रखे जाते हैं, मूल फ़ीस के अतिरिक्त नियमित स्टाफ़ आर्टिस्टों को दिये जाने वाले सभी भत्ते दिए जाते हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

District Postal Advisory Committees

2061. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Postal Advisory Committees have been set up in all the Districts;

(b) if so, the names of the members of the Postal Advisory Committee for the Gorakhpur District; and

(c) the number of meetings of the said Committee held in Gorakhpur from April, 1962 so far ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati) : (a) Advisory Committees have been set up in all Postal Divisions except a few.

(b) A list is attached. [**Placed in the Library.** *See* **No. LT-4838/65.**]

(c) Nil. The committee was set up in January, 1964.

मोटर गाड़ी परिवहन उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

2062. श्री काशी नाथ पाण्डे : क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मोटार-गाड़ी परिवहन उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : इस उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

Emergency Commissioned officers in Army

2063. Shri Madhu Limaye : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Hari Vishnu Kamath : **Shri P.C. Borooah :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of persons who have been granted Emergency Commission in the Army after the 20th October, 1962;

(b) whether Government have decided to terminate the services of a number of such officers ;

(c) if so, the number thereof; and

(d) whether they have been given any alternative employment or compensation ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) 9083.

(b) to (d). It had been decided to terminate the services of 140 Emergency Commissioned officers as they had failed to pass the basic training course of their arm or service but on further consideration this decision has since been rescinded, and the officers have been placed on special report till March 1966.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में साइफर असिस्टेंट

2064. श्री गोकरन प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मई में हुई विभागीय परीक्षा के परिणामस्वरूप साइफर असिस्टेंटों के कितने पद भरे गये;

(ख) वैदेशिक कार्य मंत्रालय में कुल कितने साईफर असिस्टेंट हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के कितने हैं; और

(ग) सरकार ने केन्द्रीय साइफर ब्यूरो में अनुसूचित जातियों के अधिक कर्मचारी रखने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तेरह ।

(ख) विदेश मंत्रालय में साइफर असिस्टेंटों की कुल संख्या इस प्रकार है :

मुख्यालय	53
विदेश स्थित मिशन केन्द्र	85
कुल संख्या	138

साइफ़र असिस्टेंटों, जो द्वितीय श्रेणी के पद है, की नियुक्ति चुनाव के आधार पर पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है जो विभागीय उम्मीद्वारों तक ही सीमित होती है, और भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अंतर्गत इस तरह की नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किसी आरक्षण (रिज़र्वेशन) की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऐसी कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता जिससे यह बताया जा सके कि कितने साइफ़र असिस्टेंट अनुसूचित जातियों के है ।

(ग) अनुसूचित जातियों के उमीदवारों के लिये कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं होता क्योंकि जो लोग साइफ़र असिस्टेंट होना चाहते हैं, वे इसकी परीक्षा में बैठ सकते हैं, और साइफ़र असिस्टेंट की वे योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : श्रीमान, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जून-जुलाई 1964 में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तालीसवे अधिवेशन में स्वीकृत अभिसमयों तथा सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला विवरण [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०** 4823/65 ।]

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति, धनबाद के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 4824/65 ।]

जीवन बिमा निगम (संशोधन) विधेयक

LIFE INSURANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करन की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was Adopted.*

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (केरल) 1961-62 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगे (केरल) 1965-66---जारी

DEMANDS FOR GRANTS (KERALA) 1961-62 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS (KERALA) 1965-66—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा केरल राज्य सम्बन्धी वर्ष 1961-62 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा वर्ष 1965-66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेगी । श्री वारियर अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या आज प्रतिरक्षा मंत्री कोई वक्तव्य देंगें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगाने का प्रयत्न करूंगा ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : मैं आज कोई वक्तव्य नहीं दूंगा।

श्री हेम बरुआ : आपके पूछने के पहले ही उन्होंने बता दिया है कि वह वक्तव्य नहीं देंगे। इसलिए अब आप मालूम करने का कष्ट न करें।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु माननीय सदस्य ने सीधा प्रश्न पूछा है और सीधे ही उन्हें उत्तर मिल गया है। श्री वारियर।

श्री वारियर (त्रिचुर) : पिछली बार मैं केरल की खाद्य समस्या के बारे में बोल रहा था। सरकार ने चावल का राशन बढ़ा कर 200 ग्राम कर दिया था परन्तु अब हमें समाचार मिलते हैं कि इसे फिर घटा कर 160 ग्राम कर दिया गया है। शायद केरल के राष्ट्रीय समारोह के बाद सरकार ने उन्हें अधिक राशन नहीं देना चाहा होगा। केरल के लोग गेहूं खाने के अभस्त नहीं है। उन्हें चावल के रूप में जो राशन दिया जाता है वहां सामान्य रूप से उसी का उपयोग होता है। जो चावल दिया जाता है, वह अच्छी किस्म का नही है। प्रति व्यक्ति चावल का कोटा अपर्याप्त है। यह खेद का विषय है कि जब आन्ध्र, मद्रास तथा मैसूर के निकटवर्ती राज्यों में कोटा 15 से 16 औंस प्रति व्यक्ति है, केरल के लोगों को कम कोटा मिलता है। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। केरल के लोगों को कम से कम 12 औंस प्रति व्यक्ति चावल मिलने चाहिये। जहा विदेशी मुद्रा का प्रश्न हो, वहां उसे राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न समझा जाता है परन्तु चावल का प्रश्न राज्य-स्तर का प्रश्न समझा जाता है। यह बात अधिक सहन नहीं की जा सकती।

राज्य सरकार ने उदग्रहण प्रणाली आरम्भ की है। इसे छोटे तथा बड़े सभी किसानों पर लागू किया गया है। यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये। कमसे कम छोटे किसानों को छूटी दी जानी चाहिये। यह एक उचित मांग है तथा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कृषकों को उचित मूल्य दिये जाने चाहिये जो बाजार भाव से कम नही होने चाहिये। जब सरकार सब वस्तुयें कृषकों से ले लेती है तो वह उन्हें बाज़ार मूल्य क्यों नहीं देती ? यदि आवश्यक हो, तो सरकार को धन सम्बन्धी सहायता देनी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को ये वस्तुयें कम मूल्य पर दी जायें।

हमें ऐसा बताया गया है कि खाद्य सम्बन्धी मन्त्री मण्डल उप समिति ने यह निर्णय किया है कि जहां कहीं केन्द्रीय सरकार चावल के राशन की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले, 6 औंस से अधिक न दिया जाये। यह नियम सभी स्थानों पर लागू नहीं किया जाना चाहिये। उन लोगों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जिन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।

श्री मणियंगाडन (कोट्टमय) : अध्यक्ष महोदय, अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुये मैं सरकार का ध्यान कुछ उन कठिनाइयों की ओर दिलाऊंगा जिनका अनुभव केरल सरकार तथा केरल की जनता कर रही है।

यह खेद का विषय है कि केरल में प्रति दिन प्रति प्रौढ़ व्यक्ति को मिलने वाले चावल के राशन की मात्रा 200 ग्राम से हटा कर 180 ग्राम कर दी गई है। लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा क्यों कि यद्यपि गेहूं भी उतनी ही मात्रा में दिया जाता है तथापि लोग गेहूं का उपभोग वास्तव में कम मात्रा में करते हैं। आशा की जाती है कि इस समय चावल की जो मात्रा दी जा रही है उसमें वृद्धि की जायेगी ताकि प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को 12 औंस चावल मिल सकें।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने जिनके पास फालतू अनाज है, और जिन्होंने खाद्य निगम अथवा केन्द्रीय सरकार को कुछ विशेष मात्रा में चावल देने का आश्वासन दिया था, अभी तक अपना वचन पूरा नही किया है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले के प्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

जहां तक वसूली उगाहने का प्रश्न है, मैं इसका विरोध नहीं करता परन्तु एकड़ के आधार पर उदग्रहण की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है। इस विषय में एक विवेकपूर्ण आधार अपनाया जाना चाहिये। केरल में धान का जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वह असंतोषजनक है। इस मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिये। जब तक किसान को उचित मूल्य नहीं दिया जाता, तब तक उन बड़े बड़े क्षेत्रों में, जहां इस समय धान की खेती की जा रही है, नकदी फसलों की खेती की जानी चाहिये।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, वहां समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य सरकार केवल अपने ही संसाधनों से इस समस्या को हल नहीं कर सकती। इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिये। इस काम पर होने वाला समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।

राज्य में अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुये मत्स्य पालन का विकास करना महत्वपूर्ण है। इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। अब तक इस सम्बध में बहुत कम प्रयास किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि इसके बाद अब इस मामले पर और अधिक गम्भीर रूप से विचार किया जायेगा। मत्स्य पालन के लिये तीसरी योजना में दिया गया धन पूरी तरह व्यय नहीं हो सका क्योंकि समुद्रीय डीज़िल इंजन उपलब्ध नहीं हुये तथा मत्स्यपालन की दृष्टि से पत्तनों का निर्माण नहीं हो सका जैसा कि मैंने कहा। आशा है इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। राज्य सरकार ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्रों में मीन क्षेत्रों के लिये एक निगम स्थापित किया जाना चाहिये। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री वारियर ने केरल में नज़रबन्दों के परिवारों को भत्ते दिये जाने के लिये कहा। यह प्रश्न यहां पहले भी कई अवसरों पर उठाया गया और इसका उत्तर भी दिया गया। केरल में नज़रबन्दों को सभी सुविधायें दी गई है। उनको ऐसी सुविधायें दी गई हैं जोकि संसार के किसी अन्य भाग में किसी बंदी को नहीं दी जाती हैं। अतः अधिक सुविधाओं के लिये उनकी मांग तर्क संगत नहीं है। जब सरकार को विश्वास हो गया कि कुछ षडयंत्र रचा जा रहा है और यह व्यक्ति देशविरोधी गतिविधियों में भाग लेंगे तो इन्हें बन्दी बना लिया गया। जो कुछ सुविधायें उनको दी गई हैं, इनके अतिरिक्त और सविधायें नहीं दी जा सकती।

यह सराहनीय है कि एक उर्वरक कारखाने की मंजूरी दे दी गई है। परन्तु केवल एक उर्वरक कारखाने से काम नहीं चलेगा। पैट्रो रसायनिक समूहों जहां कुछ अन्य उद्योग भी स्थापित किये जायेंगे वे बारे में विस्तार किया जाना चाहिये।

सरकार लोगों की भूमि ले लेती है परन्तु उन्हें उचित प्रतिकर नहीं दिया जाता जिसके परिणाम स्वरुप वे न्यायालयों में चले जाते हैं और उनके हक में फैसला होता है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी सरकार को जांच करनी चाहिये। गरीब लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिये सरकार द्वारा उन लोगों को पर्याप्त प्रतिकर दिया जाना चाहिये जिनकी भूमि सरकार ले लेती है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : केरल में खाद्य समस्या अब भी वहां की राजनीति तथा शासन प्रबन्ध में सर्वोपरि है। वहां की जनता को जो चावल दिया जाता है वह मानव उपभोग के योग्य नहीं है। इसी बात के आधारपर राष्ट्रपति के शासन पर कड़ी आलोचना किये जाने का अवसर मिलता है इसीलिये हमने इसका विरोध किया था। 7 औंस राशन किसी भी वयस्क के लिये अपर्याप्त है यह सभी स्वीकार करेंगे। चावलों का जो नमूना मुझे केरल से प्राप्त हुआ है वह मैं मंत्री महोदय को दिखाने के लिये सभा पटल पर रख रहा हूं। हाल ही में सरकार ने जो नई राष्ट्रीय खाद्य नीति स्वीकार की है उसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य एक पृथक अन्न क्षेत्र बन गया है और फालतू अनाज का उत्पादन करने वाले राज्य केन्द्र सरकार की अनुमति से यह अनाज कमी वाले

[श्री हरि विष्णु कामत]

राज्यों को दे सकेंगे। इस दृष्टि से सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिस से किसी राज्य में भी अन्न का अभाव न होने पाये और केरल में राष्ट्रपति के शासन को अधिक अच्छा तथा ग्राहीय बनाने के लिये तथा वहां की जनता को पूरा राशन दिये जाने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। इसलिये संविहित राशनिंग व्यवस्था केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जाये।

अध्यक्ष महोदय : 6 औंस के राशन की बात कई माननीय सदस्यों ने उठायी है और हो सकता है कि बाहर वाले इसका गलत अर्थ निकालें परन्तु सरकार का विचार है कि ग्रामीणों के पास राशन में मिलने वाले चावल के अतिरिक्त भी अन्न होता है इसीलिये 6 औंस राशन दिया जा रहा है। इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिये ताकि भ्रम वाली बात न रहे।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ भी हो यह सच है कि जनता की बहुत बड़ी बहुसंख्या को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने उत्तर में सभा को बतायें कि सभी राजनीतिक दल इस संबंध में राज्यपाल को कितना सहयोग दे रहे हैं क्योंकि वहां जाने पर मुझे लगा है कि आम तौर पर राष्ट्रपति का शासन वहां पसन्द नहीं किया जा रहा।

केरल में मोपला मुसलमानों के कुछ संबंधी जो पाकिस्तानी हैं और इन दिनों वहां आये हुये हैं भारत विरोधी वहां गतिविधियों में व्यस्त हैं। सरकार को इनके विरुद्ध बिना दया दिखाये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

चीन-समर्थक साम्यवादियों को वामपंथी साम्यवादी कहना वामपंथ पर कलंक है उन्हें इसी नाम से पुकारा जाना चाहिये। मैं भी इन साम्यवादियों को रिहा न करने पर सरकार के साथ हूं क्योंकि इस दल के नेता श्री नम्बूद्रिपाद ने चीन को भारत पर आक्रमण करने तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का सहयोग एवं समर्थन करने पर दोषी नहीं ठहराया है यह खुला देशद्रोह है जिसे कदापि सहन नहीं किया जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि वह अभी तक स्वतंत्र हैं ? इनकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जानी चाहिये।

इस विवरण के फुटनोट में "आवश्यक रूप से नज़रबन्दों" का वर्णन है। मैं जानना चाहता हूं कि "आवश्यक रूप से तथा आवश्यक नज़रबन्दों" के क्या लक्षण है और इनका वर्गीकरण किस अधार पर किया गया है। शेख अब्दुल्ला पर पता नहीं क्यों विशेष कृपा तथा दुलार दर्शाया जा रहा है। उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिये जो अन्य नज़रबन्दों के साथ हो रहा है।

मैं अन्त में सरकार से अनुरोध करूंगा कि केरल की दो मुख्य समस्याओं अर्थात्, खाद्य तथा सुरक्षा, पर उचित ध्यान देगी।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : In Demand No. 12, which relates to Jais, an increase of Rs. 30,000 has been proposed. This is wholly unjustified for such a small State like Kerala and more. So in the present circumstances when all our energies are reserved for Defence and economic production in the country.

Now when our nationalism is at its peak, I feel that if the Left Communists, who are showing positive signs of shift in their outlook in favour of our country, are released, they will shed whatever anti-Indian outlook some of them possess and they will be one with the general stream of thought now prevalent in the country. Let Government give them one chance more though they may not relax vigilance and watch their reaction.

श्री महम्मद इस्माइल (मंजरी) : श्री कामत का यह कहना, कि मोपला समुदाय के मुसलमानों में बहुत से राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों में व्यस्त हैं, गलत है। मैं दावे से कह सकता हूं कि मलाबार के मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितने अन्य भारतीय मुसलमान और वह भी देश के लिये पाकिस्तानों के विरुद्ध कार्यवाही में बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं।

अतिरिक्त मांगों के संबंध में सरकार व्यय आंकने में गलत अनुमान लगाती है और यह मद विशेष पर कुल व्यय का अनुमान लगाने के बजाय वह कुल व्यय का अनुमान लगाती है जो आम तौर पर गलत होता है। अधिकांश राशि सरकार द्वारा भूमि अर्जन पर मुकदमेबाजी व्यय करने के लिये मांगी गई है। इस संबंध में उन्हें सावधान रहना चाहिये क्योंकि किसी मामले में भी सरकार की जीत नहीं हुई।

केरल के औद्योगीकरण में सरकार ने बहुत कम ध्यान दिया है। तीनों योजनाओं में इसके लिये रखे गये धन को देख कर इस बात को पुष्टि हो जाती है। राज्य सरकार भी इस राज्य की समस्याओं के प्रति उदासीन रही है।

मछली-पालन के लिये केवल 5 करोड रुपये दिये गये थे परन्तु राज्य सरकार इस सर्व-प्रथम उद्योग पर 3 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर सकी। देश के मछली-पालन उद्योग का 75 प्रतिशत केरल में केन्द्रित है परन्तु यहां के मछुए सब से अधिक निर्धन हैं। उनके लिये संचार, परिवहन, संग्रह-स्थानों आदि साधनों में सुधार किया जाना चाहिये। यदि यहां भी गहन समुद्र मत्स्य ग्रहण आदि की सुविधायें उपलब्ध हो तो यहां भी 7 अथवा 8 गुना अधिक मछलियां पकड़ी जा सकती हैं जिससे सारे देश को लाभ होगा। इस प्रकार न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी परन्तु निर्धनों के आहार, उर्वरक तथा मुर्गियों आदि के लिये खुराक का भी प्रबन्ध हो सकेगा। इसके लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना होनी चाहिये जिसका केन्द्र टेनूर में हो। सरकार को राशन की मात्रा बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि सरकार केरल के विकास में अधिक रुचि दिखाये विशेषकर मछली उद्योग और खाद्य समस्या की ओर उसे अधिक ध्यान देना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : केरल के विकास की ओर यह मंत्रालय पूरा ध्यान दे रहा है और समन्वय विभाग इसकी समस्याओं पर पूरी गंभीरता से विचार करता है। कोचीन में स्थित शोधन-शाला में वहां उपलब्ध अतिरिक्त नेफ्था का उपयोग करने का यत्न किया जा रहा है क्योंकि जहां तक पैट्रो-रासायनिक उद्योग का संबंध है यह उद्योग नेफ्था की उस मात्रा पर निर्भर है जो हम उर्वरक परियोजनाओं में इसके उपयोग के बाद बचा पाते हैं। और इसे सम्भव बनाने के लिये हम कोचीन की शोधन-शाला की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं।

मत्स्य-पालन के विकास के लिये पर्याप्त पग उठाये जा रहे हैं और एक व्यापक योजना तैयार कर के चौथी योजना में केरल के समुद्री मीन क्षेत्र के प्रमुख भाग का विकास किया जायेगा। तीसरी योजना में विज़िंगजम मोपला खाड़ी और केनानोर में मछली पकड़ने के पत्तनों का निर्माण किया जायेगा।

मछिआरों की सहकारी समितियां बनाने का काम प्रगति पर है।

दो स्थानों पर ऐसे एककों का निर्माण पूरा कर लिया गया है जिनमें पांच पांच टन मछली जमा की जा सकेगी। कोट्टायम, त्रिचूर और चेंगानूर में एक एक टन की क्षमता के तीन साधारण कोल्ड स्टोरेज एककों का काम आरम्भ किया गया है। कन्नानूर में भारत-नारवे परियोजना द्वारा बरफ संयंत्र स्थापित करने का काम प्रगति पर है।

मछली पकड़ने के नायलोन के जाल बनाने के एक प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए केरल सरकार को एक ऋण का आवंटन कर दिया है।

समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

सब से महत्वपूर्ण प्रश्न राशन का है। मैं इसको अपने साथी माननीय गृहमंत्री को बता दूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : आज कोई उत्तर नहीं मिलेगा?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न पर निर्णय माननीय गृहमंत्री को ही करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में जब बजट की मांगों पर चर्चा चल रही हो तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो भी प्रश्न उठाया जाय उसका उत्तर सरकार को देना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : व्यवस्था का प्रश्न मान्य है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मुझ से इसका फैसला सुन सकते हैं। मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आपका क्या फैसला है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। सरकार निश्चय ही ऐसा कह सकती है कि मामला उनकी जानकारी में लाया गया है और वह उस पर विचार करके निर्णय करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह आश्वासन मिल सकता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर इसी सत्र में दिया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह तो आश्वासन दे सकता हूं कि इसपर विचार किया जायेगा परन्तु उत्तर के बारे में नहीं। या फिर अनुपूरक मांगों के समय इस प्रश्न को उठाया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस प्रश्न को, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिये, हमे फिर किसी और रूप में उठाना होगा।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने कहा है कि सरकार इसपर विचार करेगी तो निश्चय ही सरकार कुछ समय लेगी। उनके कहने का अर्थ यह है कि शीघ्र ही अनुपूरक मांगों को लाया जायेगा और उस समय तक उनको आशा है कि सरकार निर्णय कर लेगी। इस प्रश्न को भी उस समय दोहराया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनौपचारिक और अनुपूरक राशनों के प्रश्न इस बात पर आधारित हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों से सारे का सारा फाल्तू अनाज प्राप्त किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक बड़ी संख्या में विदेशी गैलरी में बैठे हैं और मुझे भय है कि वे इसको गलत न समझ बैठें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह जानकारी देने के लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सदस्यों ने चावल की मात्रा का तो उल्लेख किया। परन्तु वे इस बात को भूल जाते हैं कि गेहूं भी दिया जाता है। यह ठीक है कि वहां पर लोग गेहूं को पसंद नहीं करते हैं। ओनाम के दिनों में राशन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। माननीय सदस्य इससे अवगत हैं कि हम इस समय एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं और केरल को खाद्य स्थिति के संबंध में जो प्राथमिकताएं हैं उन पर पूरी तरह विचार किया जायेगा। मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा केरल राज्य संबंधी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*All the cut motions on Demands for Excess Grants (Kerala) were put and negatived.*

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है.....अब गणपूर्ति है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1961-62 के लिये केरल राज्य संबंधी अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं । *The following Demands for Excess Grants for* 1961-62 *in respect of Kerala State were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9	राज्यों के प्रमुख, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी .	1,27,752
13	न्याय प्रशासन	58,539
15	पुलिस	2,53,053
23	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	31,84,725
33	सामुदायिक विकास प्रायोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, स्थानीय विकास कार्य और विस्तार केन्द्र . . .	9,03,946
34	सिविल निर्माण-कार्य	22,87,277
41	वनों पर पूंजी परिव्यय	4,759
42	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	65,41,640
43	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	1,37,319
47	सिविल निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	4,98,373
50	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	20,442

अध्यक्ष महोदय द्वारा केरल राज्य संबंधी अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*All the cut motions on the Supplementary Demands for Grants in respect of Kerala were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965–66 के लिये केरल राज्य संबंधी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।/*The following Demands for Supplementary Grants for* 1965-66 *in respect Kerala State were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
9	राज्यों के प्रमुख, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी .	53,400
10	जिला प्रशासन और विविध . . .	20,000
12	जेलें	28,900
23	मीन-क्षेत्र	6,01,100
43	लोक-स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	1,50,000
47	लोक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	5,50,000
53	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	200
55	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	45,00,300

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) 1965-66

वर्ष 1965-66 के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
12	रक्षा सेवायें, सक्रिय-नौसेना	1,50,00,000
36	अफीम	1,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	8,85,000
102	समुद्रपारीय संचार सेवा	16,15,000
133	उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,000
148	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (जो राजस्व से नहीं किया गया)	1,000

अध्यक्ष महोदय : एक कटौती प्रस्ताव श्री कृष्णपाल सिंह के नाम में है। वह उपस्थित नहीं हैं। अतः वह प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं मांग संख्या 141 के संबध में कुछ कहना चाहता हूं जो कि सड़कों पर पूंजीगत व्यय के बारे में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, कटिहार की सब डिविजन में सड़कों की हालत बहुत खराब है। पिछले 16-17 वर्षों में वहा पर केवल 17 मील लम्बी पक्की सड़क बनाई गई है। वहां के लोगों के परिवहन संबंधी कठिनाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर सड़कों के निर्माण के लिये विशेष अनुदान दिया जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*.]

अब मैं मांग संख्या 102 को लेता हुं। समुद्रपार की संचार सेवा को राज्य की राजधानी से मिलाया जाय।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय से संबधित मांग के संबंध मेरा निवेदन है कि फालतू तकनी की कर्मचारियों के प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

डाक और तार घरों पर पूंजीगत व्यय के संबध में मेरा निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक घर खोलने के प्रश्न पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंड्डा) : मैं अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं। पाकिस्तान के आक्रमण और वर्तमान संकट की स्थिति में हमें इस समय देश के कारखानों में जिन मशीनों से काम नहीं लिया जा रहा है उनको उत्पादन को काम में लगाना है। मैं चाहता हूं प्रतिरक्षा मंत्री और उद्योग तथा संभरण मंत्री देश के उद्योगपतियों की एक बैठक बुलायें और उन्हें बतायें कि जल, स्थल और वायू सेना के लिये हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें देश के सब संसाधनों को उत्पादन बढाने में जुटाना है।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to draw your attention to the Demand relating to Opium. All the matters relating to Opium—the area, the production etc.— are finally determined at the time of annual budget. Now I do not see any reason why supplementary demand has been made. Due to political pressure more land was brought under the cultivation of opium and now when the production has increased due to this Government has to pay more.

Whose mistake is this? Will the Finance Ministry give attention to this and see that such things do not recur?

One thing which I want to point out in this regard is that discremination is made between the employees from Uttar Pradesh and those from Rajasthan and Madhya Pradesh. One is treated as class III employee and the other as class IV employee. I do not see any reason for not removing this anamoly when the nature of work is the same in both the cases and the expenditure involved is very little.

The alkaloid factory is situated at Ghazipur. The raw opium has to be transported from Neemach in a great quantity. There is lot of trouble involved in this transportation as it carries with it the risk of smuggling and theft. Either this factory at Ghazipur should be shifted to Neemach or a new alkaloid plant be established there as it would facilitate the matters very much.

Now I come to Demand No. 71. You are establishing an institute and the candidates for training will be selected by the Government. You are playing fraud with the people. You will send your own persons there for training. Those training courses should have been provided in some of the Universities and powers of selection given to them. In the Central Information Service persons having political pull are recruited from the backdoor.

Regarding the recruitment for different Services you are following a policy under which a circle is formed of persons with a particular ideology. That is very bad. We should follow democratic principles in this regard.

Whatever I have said just now also apply to Demand No. 102. All the scientific knowledge of this country is limited to Government controlled societies or the registered societies. To make this knowledge available to the people, courses should be introduced in the universities.

Now I want to say something about Demand No. 133. It is stated that a new Company entitled 'Triveni Structurals Private Ltd.' has been incorporated on the 3rd July, 1965. I only want to suggest that we should not establish such like big Companies and factories near big cities. They should be carried to the far flying areas in the villages where there is little danger of the enemy approaching there. Moreover we are already suffering from overcrowding and concentration in the cities.

In the end I want to say something about Demand No. 141 relating to Capital outlay on roads. The condition of Delhi-Mathura is very bad. It has fallen into disrepair. There is much pressure upon this Road as it is one of the vital links of the country. This road should be widened and made more strong so that even tanks can be run on it.

With these words I support the Demands.

श्री व० न० गांधी (बम्बई नगर मध्य दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 12 का समर्थन करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि रुस से पनडुब्बियां खरीदने का निर्णय किस आधार पर किया गया है जब कि हम अब तक ब्रिटेन से पनडुब्बियां खरीदते रहे हैं। क्या रुस की पनडुब्बियां ब्रिटेन की पनडुब्बियों से अधिक अच्छी है अथवा उनका मूल्य कम है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांग संख्या 71 के संबंध में मुझे यह कहना है कि आम तौर पर यह देखा गया है कि अधिकारी प्रारुप को ठीक तरह से तैयार नहीं करते हैं और विवरण में सारी बातों को स्पष्ट नहीं करते हैं। सामुहिक संचार के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिये 18.44 लाख रुपये का व्यय बताया गया है। इसमें से 8.85 लाख रुपये मंत्रालय देगा। परन्तु यह नहीं बताया गया है कि बाकी पैसा कौन देगा।

डाक और तार पर पूंजीगत व्यय की मांग संख्या 148 के सबंध में मुझे बहुत थोड़ा कहना है।

इसमें 1000 रुपये की सांकेतिक राशि की मांग की गई है। गत वर्ष के बजट में 27.4 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। फिर इस विभाग को फरवरी में 5.10 करोड़ रु० की अनुपूरक मांग की राशि दी गई। उन्होंने फिर स्थिति का पुनर्विलोकन किया और देखा कि उनको 2.25 करोड़ रु० की और आवश्यकता होगी। वर्ष के अन्त में काफी देर हो गई थी और इसलिये उन्होंने इसको स्थगित कर लिया। इस प्रकार की बजट व्यवस्था को हम अच्छा नहीं समझते।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to say something about demand No. 12 relating to Defence Services, effective Navy. The Indian Navy was so far neglected. Our position regarding submarines and fighting ships is very weak.

According to International Law if one Country is at war with the other, then all the previous commitments come to end. Thus all our commitments with Pakistan relating to Jammu and Kashmir and cease-fire have ceased.

The question of cease-fire can arise only in relation to Punjab where our forces are inside Pakistani territory, but so far as the occupied Kashmir is concerned the cease-fire does not apply there and we should get back that part of Kashmir as it is ours. Pakistan has encroached upon our territory and the only way to turn him out is to use a mighty force.

Our conflict with Pakistan is the conflict of ideologies. India is a secular state; Pakistan a theocratic State. Pakistan is a dictatorship; India a democracy. Before proceeding to help Pakistan the lovers of democracy should ponder that it was due to the silence of democratic countries that the dictators of the world like Hitler, Mussolini etc. rose to power and brought under their subjugation many countries. I want to request Indonesia, China, Turkey and Iran that they should not help Pakistan as we are fighting for the democracy. Our's is an ideological war waged against a theocratic state.

Turkey should remember that in 1920 when *Khilafat* movement was launched there, the Government of India and Congress Party fully supported Kamal Pasha and lakhs of people supporting *Khilafat* were put into jails here.

We have been having good relations with Iran. Sometime back we welcomed the Shah of Iran here. I want to appeal to the people of Turkey, Indonesia and Iran that the people of India have untoward against them and therefore they should oppose all such moves.

In the end we hail our Jawans and other persons who have rendered valuable services to the motherland.

श्री चलमंदा रेड्डी (मारकापूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मांग संख्या 123 और 787 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विकास कार्यों के लिये ऋण देने के संबंध में है। इस संबंध में हमारी नीति गलत है कि राज्य सरकारें ऋणों और अनुदानों के बोझ के तले दब कर रह जाते हैं। ब्याज तक नहीं लेना चाहिये जब तक कि बड़ी परियोजनाएं पूरी न हो जायें जिनके लिये कि ऋण दिये जाते हैं। ऋण की अदायगी तब तक के लिये स्थगित कर देनी चाहिये जब तक कि राज्य सरकार चाहे।

आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर बांध की परियोजना का 1955-56 में आरम्भ किया गया था। आज उसकी अनुमानित लागत कई गुना बढ़ गई है। केवल ब्याज की अदायगी के लिये ही वहां की सरकार को 40 करोड़ रुपया चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अतिरिक्त मांगों पर बोल रहे हैं। अब हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। श्री लिमये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to say something about demand No. 12.

We do not mind granting money for defence purposes, in fact the defence expenditure has increased manifolds what it was a few years back. We should strive to make our country self-sufficient in our defence requirements at a rapid speed.

Our conflict with Pakistan is not as between two countries. We accepted partition in the hope that it would bring to end the question of Hindu and Muslim and that both the countries will thrive in peace, but this thing has not happened. Despite our best efforts to resolve our conflicts with Pakistan on various issues we have not been able to achieve any amount of success. In such circumstances we ought to have made some policy announcement for the help of our Defence Forces and this House given the apportunity to discuss this matter.

The question of defence involves not only the question of army, navy or air-force or the defence production but also the policy of the Government. Now the time is most opportune and ripe to end this Pakistani problem once for all. The international atmosphere is very much in our favour. America has been badly disgusted with the behaviour of Pakistan. Russia has all along been our supporter, I fail to understand why Government is not declaring its policy. Why are we not lending our support to the revolutionary forces in Pakhtunistan. We should yield to the pressure of foreign countries.

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : मांग संख्या 12 के संबंध में मुझे यह कहना है कि इन्डोनेशियाने निकोबार द्वीप पर अपना दावा किया है। हमारे समुद्र का प्रत्येक इंच खतरे में हैं। हमें पनडुब्बियां प्राप्त करनी चाहिये और अपनी पिछली नीति को छोड़ना चाहिये कि हम पनडुब्बियां नहीं लेंगे या परमाणु शस्त्र नहीं बनायेंगे।

हमें लगभग 12 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। हमें आत्मनिर्भर होना है और किसी देश से शर्तों पर फौजी सामान नहीं लेना है अपितु, कीमत देकर कर लेना है यदि कोई देने को तैयार है। हमें अपनी टैंको की संख्या को भी बढ़ाना है। जब स्थल सेना लड़ाई में कहीं फिर जायें तो उसकी सहायता के लिये टैंको की सक्त जरूरत पड़ती है।

[श्री जोकीम अल्वा]

हमारी वायुसेना ने बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाया है। विदेशी समाचार पत्रों ने भी यह कहा है कि भारत की सैनिक शक्ती पाकिस्तान के मुकाबिले पंचगुनी है। अब मैं मांग संख्या 71 को लेता हूं। आचकल रेडियो पर कुछ वाणिज्यिक विज्ञापन आने लगे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हमें अपने लड़के और लड़कियों के नाच गाने पर आधिक धन खर्च करना चाहिये और मनोरंजन के स्तर को अुंचा करना चाहिये।

अन्त में मुझे उद्योग तथा संभरण मंत्रालय की मांग के संबंध में कुछ कहना है। त्रिवेनी स्टरक्युरल्स कम्पनी की स्थापना के लिये 2 करोड़ रुपये की मांग की गई है। आप इस समय प्रतिरक्षा के कार्यों के लिये तो धन मांग सकते हैं परन्तु वर्ष के बीच में इस कम्पनी के लिये पैसा मांगने का कौनसा समय है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to say something regarding Demand No. 12 relating to effective Navy. The attack of Pakistan has forced us for an introspection, to reconsider our requirements regarding submarines and other Defence preparations. At this juncture we should not delay our supplies to the defence forces in any event. It appears that due to some political reasons we have changed our decision to obtain submarine from Britain and now we propose to obtain them from Russia. We should get the submarines at the earliest as there is collusion between Pakistan and Indonesia.

The efforts to protect Andaman and Nicobar islands should be further intensified in view of the assurance given by Indonesia to help Pakistan.

The whole of the Country is full of appreciation and has hailed the gallant deeds of our Jawans.

All our internal differences have been relegated to the background. But in spite of all this if Government fails in its policy on the diplomatic front all our hopes will be dashed to the ground. The sacrifices of our Jawans has surcharged the atmosphere in the country with feelings of patriotism and pride and strength. The Government should be cautious not to make a diplomatic mistake and spoil this atmosphere.

We should not agree to the terms of the truce offered by Pakistan. We should put three conditions before the Secretary General as pre-requisite to the cease fire. First of all the Prime Minister should feel the pulse of the Secretary General and then put these conditions. The first condition that the U. N. O. should declare Pakistan as an aggressor and ask her to give the damages. Secondly, the line where the fighting is stopped in Punjab only that should be treated as cease fire line and Pakistan should give a guarantee for not committing aggression. Thirdly, there should be no aggressor or outside forces left in the Jammu & Kashmir which is an integral part of India. In the end we should be repentent for the mistake which we committed in 1947, partilcuarly in Punjab and we should at least capture the Ravi River.

Shri Mohammad Tahir (Kishanganj) : Democracy is the best form of Government and any force trying to clash with democracy shall be smashed. Pakistan is making a false claim that Pakistan is an Islamic state, because Islam does not recognise dictatorship. Every son of India will lay down his life to end the Conflict started by Pakistan. Many Members have pointed out certain shortcoming in our defence system. I would urge upon the Government to strengthen our defence, so that no country should dare attack us.

Our Government is not paying any attention towards the development of industry in Bihar. Bihar Government has also complained about it. Many industrialists have applied for permits for setting up industries in North Bihar and the Bihar Government have also recommended, but Central Government have not sanctioned them. As a consequence thereof, North Bihar is still backward. In this connection I would suggest that a big Industry which is proposed to be set up near Allahabad should be set up in North Bihar.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): श्रीमन्जी मैं इन अनुपूरक मांगों का स्वागत करता हूं। सरकार को अफ़ीम मे तस्कर व्यापार बहुत होता है। सरकार को अन्य राज्यों से अफ़ीम ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। यह मांग संख्या 36 के सम्बन्ध में थी।

मैं जन संचार संस्थान (मास कम्यूनिकेशन इंस्टीट्यूट) की स्थापना का स्वागत करता हूं। परन्तु इस की सुविधायें सभी के लिये होनी चाहिये और केवल केन्द्रीय सूचना सेवा वालों ही के लिये नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): योजना आयोग की सलाह से मार्च, 1962, में अमरीका के फोर्ड प्रतिष्ठान को प्रार्थना की गई थी कि एक जन संस्थान की स्थापना के लिये एक अध्ययन दल भेजे। उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उस दल ने सभी सम्बद्ध मंत्रालयों से सलाह करने के पश्चात एक रिपोर्ट दी।

उस की मुख्य सिफारिश यह थी कि इस प्रकार के संस्थान की स्थापना की जाये। अब इस संस्थान की स्थापना 15 अगस्त, 1965 को कर दी गई है। यह मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत-शासी संस्था है। प्रस्तावित नेहरू विश्वविद्यालय से कहा जायेगा कि इस संस्थान को मान्यता प्रदान करे। इस में केन्द्रीय तथा राज्यों के सूचना विभागों के वर्तमान तथा भविष्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। यथा संभव गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी यहां शिक्षा दी जाने लगेगी।

हमने अनुपूरक मांग में 8.85 लाख रुपये की मांग की है। हमें इसके लिये यूनेस्को, एशिया प्रतिष्ठान अमरीकी सहायता मिशन आदि से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त होने की आशा है।

जन संचार मे विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण होगा। परन्तु इसे नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा ताकि इसमे शिक्षा संस्था के समान वातावरण बनाया जाये।

श्री उ० मु० त्रिवेदी: मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये एक रजिस्टर्ड समिति क्यों बनायी गई है। यह तो एक प्रशिक्षण संस्था है। इसे किसी विश्वविद्यालय मे जारी करना चाहिये था। सामान्य जनता को इस में प्रशिक्षण सुविधायें क्यों नहीं दी जा रहीं?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: इसे एक स्वायत्त संस्था बनाना चाहते हैं और दूसरे इसे नेहरू विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने का भी प्रस्ताव है।

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय मे भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): भारी ढांचों के निर्माण सम्बन्धी परियोजना के नैनी में स्थापित किये जाने की आलोचना की गई है। इस बारे मे मैं कहना चाहता हूं कि हम परियोजना के लिये स्थान निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त करते हैं वह सभी राज्यों मे जाकर स्थिति का अध्ययन करती है और उसके पश्चात स्थान का निर्णय किया जाता है। इस सम्बन्ध मे और भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हां, हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारी परियोजनाओं को सभी राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि उत्तरी बिहार में परियोजनायें स्थापित की जायें। हम वहां अवश्य ऐसा करेंगे। बरौनी का कारखाना वहीं पर हो तो है। चौथी योजना में दो और परियोजनाओं को वहां चालू करने का कार्यक्रम है। अन्य राज्यों की मांगों पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

यह परियोजना अब एक कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू): श्री त्रिवेदी ने कहा है कि हमने पोस्त की खेती क्षेत्र में वृद्धि राजनैतिक दबाव मे आकर कराई है। यह सत्य नहीं है। मैंने इस बारे मे पूरी पूरी जांच की है।

पिछले साल मौसम ठीक न होने के कारण पोस्त की फसल को मार्च में तैयार कर लिया गया था। हमें किसानों को भुगतान करना था।

नीमच में ऐलकालायड कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। आसाम में अफ़ीम के तस्कर व्यापार पर कड़ी निगरानी की जायेगी। हमने इस के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1965-66 के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्न लिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General) for 1965-66 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
12	रक्षा सेवायें, सक्रिय-नौसेना	1,50,00,000
36	अफ़ीम	1,000
71	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,85,000
102	समुद्रपारीय संचार सेवा	16,15,000
133	उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000
148	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (जो राजस्व से नहीं किया गया)	1,000

अतिरिक्त अनदानों की मांगें (सामान्य) 1962-63

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) 1962-63

वर्ष 1962-63 के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्न-लिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपय
1	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1,45,149
24	सीमा-शुल्क	18,42,220
25	संघ उत्पादन-शुल्क	6,16,046
27	स्टाम्प	20,68,950

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
28	लेखा-परीक्षा	2,57,497
31	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्तिलाभ	2,46,281
50	क्षेत्रीय परिषदें	10,056
58	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,87,650
87	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,20,90,911
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	35,88,097
93	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपो	30,77,366
98	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग	1,70,51,137
116	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	14,98,047
127	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	15,75,127
140	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (जो राजस्व से नहीं किया गया)	4,43,75,963
142	दिल्ली पूंजी परिव्यय	6,07,98,907

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापूर) : मैं सभा का ध्यान केन्द्रीय सरकार की राज्यों को ऋण देने सम्बन्धी नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। इस बारे में केन्द्र सरकार ऋण देने के तुरन्त पश्चात् उस पर व्याज की मांग कर देती है। इस से परियोजनाओं की पूर्ति मे बाधा पड़ती है। इस सम्बन्ध में तृतीय वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार को व्याज की मांग तब तक नहीं करनी चाहिये जब तक कि सम्बन्धित परियोजना उत्पादन चालू नहीं करती।

राज्य सरकारें इस स्थिति में नहीं हैं कि वे स्वयं बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर सकें। इस लिये केन्द्रीय सरकार को उन्हें उदारता से सहायता करनी चाहिये। राज्य सरकारें यह मांग बहुत समय से कर रही हैं कि बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं को केन्द्र सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसी कारण ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब हो रहा है। यदि हम कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो यह कार्य करना पड़ेगा। सरकार ने राजस्थान नहर के निर्माण के कार्य को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। म चाहता हूं कि नागार्जुनसागर परियोजना को भी केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले। हाल ही मे वित्त मंत्री ने अपनी आंध्र प्रदेश की यात्रा के समय 13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त सहायता लेने के लिये सहमति व्यक्त की थी। परन्तु दिल्ली आकर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया है। मैं इस प्रकार के रवैया को समझ नहीं पाया। वित्त मंत्रालय कहता है कि इस के प्रतिनिधि वहां पर जा कर कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे।

यदि आंध्र प्रदेश सरकार को 13 करोड़ रुपये की सहायता मिल जाये तो एक साल के समय 6 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं की पूर्ति के लिये विदेशी मुद्रा की भी मांग की है परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बारे में तुरन्त सहायता की आवश्यकता है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर): अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की पुस्तिका बड़ी खेदपूर्ण कहानी है। मेरा निवेदन यह है कि इसका कारण यह है कि इनके प्राक्कलन समय से पूर्व नहीं तैयार किये जाते। धन कम करने के लिये जितना ध्यान रखा जाना चाहिए उतना रखा नहीं जाता। दूरदर्शिता का नितान्त अनुमान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि लेखे की प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी के बिलकुल न होनेके कारण सरकार की ओर से सम्भावित काम के प्रति बिल्कुल उपेक्षा ही दिखाई गयी है। मेरा

[श्री दी० चं० शर्मा]

विचार यह है कि सरकार यह जानती है कि सभा के समक्ष जो भी मांग उसकी ओर से रखी जायेगी वह स्वीकार तो हो ही जायेगी। अतः उसकी ओर भी अपेक्षित ध्यान दे कर इन मांगों को तैयार नहीं किया गया।

मंत्रालयों के टेलीफोनों का काम बढ़ रहा है यह क्यों हो रहा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर उचित नियंत्रण क्यों नहीं रखा जाता। मेरा अनुरोध यह है कि इस दिशा में उचित पग उठाये जाने चाहिएं।

नेफा को कुछ दिया गया है। कुछ राज्य सरकारों को भी दिया गया है। मेरा कहना है कि इन सब चीजों का अनुमान पहिले क्यों नहीं लगा लिया जाता। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली मांगों पर वित्त मंत्रालय को कुछ अधिक सतर्कता तथा अधिक प्रभावशाली सर्वेक्षण का ढंग अपनाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव तो यह है कि वह एक समिति अथवा आयोग की नियुक्ति करे। इससे इस मंत्रालय के अधिकारियों को यह बताया जाये कि अनुमानित का प्राक्कलन किस ढंग से बनाये जाते हैं। यह भी कि अनुमानित व्यय के ब्योरों पर खर्च की स्विकृति कैसे दी जाती है। यह भी बताया जाये कि स्वीकृत की गयी धनराशि का उचित योग कैसे आस्वस्त किया जाये। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि कोई इस दिशा में अपेक्षित सीमा को पार न करे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : (बाढ़) : अतिरिक्त मांगों का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, परन्तु फिर भी इस बारे में मुझे कुछ दो एक बातें कहनी हैं। सब से पहले मैं मांग संख्या 24 और 25 को लेना है। इसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा मोटर लांचें रखे जाने के लिए नौसेना को कुछ धन वापिस देना पड़ेगा। वैसे तो तस्कर व्यापार बहुत हो रहा है। और इस बात का श्रेय लेना लाभदायक नहीं कि सरकार ने अफ़ीम पर नियन्त्रण कर रखा है। सब कुछ होते हुए भी इस की तस्करी चल रही है। मेरा मत यह है कि सीमा शुल्क विभाग तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के पास केवल नौसेना सम्बन्धी ही सुविधायें ही नहीं होनी चाहिए प्रत्युत उन क्षेत्रों का पता भी लगाया जाना चाहिए जहां कि अफ़ीम का तस्कर व्यापार चलता है। लगता है कि ऐसा करने वालों के पास अपने निजी विमान भी होंगे।

इसके पश्चात मैं मांग संख्या 50 पर आती हूं, जिसमें अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों को लिया गया है। एक रिटायर्ड अधिकारी को पुनः नियुक्त कर दिया गया उसके क्या कारण थे, इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। पेंशन के स्थान पर उसे पूरा का पूरा वेतन मिलता रहे ह बहुत ही दोष पूर्ण बात है। सरकार का ध्यान इसकी ओर जाना चाहिए। इस प्रकार के मामले तो संसद के समक्ष आने ही नहीं चाहिए। इससे संसद का गौरव बढ़ता नहीं कम ही होता है। यह प्रथा कोई स्वस्थ भी नहीं कही जा सकती।

मांग संख्या 87 पर आती हूं। जो स्थिति इस बारे में दिखाई गयी है, मुझे आश्चर्य होता है कि उसे पैदा ही क्यों होने दिया जाता है। सरकार को किसी के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। सरकार का इस प्रकार करना कोई स्वस्थ परम्परा का निर्माण नहीं करेगा। सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए और बड़े रचनात्मक और दृढ़ निर्णय लेने चाहिए। और फिर निर्णय कर लेने के बाद पूरी तरह उस पर डटे रहना चाहिए।

मांग संख्या 91 का सम्बन्ध संचार सम्बन्धी व्यवस्था है। राजपथ इसके अन्तर्गत आते हैं। इसका सम्बन्ध मुख्यतः सीमावर्ती सड़कों के संगठन से है। इसे लेटरल सड़क संगठन के अन्तर्गत रखा गया है। इसके बारे में कोई सन्तोष जनक प्रगति भी नहीं हुई है, जैसी कि इस स्थिति में अपेक्षा की जाती थी। मेरा आग्रह यह है कि इन दोनो संगठनों को एक सा दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि लेटरल सड़कों का काम शीघ्र हो सके।

सीमावर्ती सड़क संगठन टैंडर मांगा करता था, और इस तरह काफी अच्छा काम हो जाता था। लेटरल रोड संगठन का कार्य शीघ्रता से नहीं चल पाता। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमावर्ती सड़कों के कार्य पर जिन लोगों को लगाया था, उन्हें अब पुनः इस काम पर नियुक्त करना चाहिए। उन लोगों को सभी कठिनाइयों में काम करने का अनुभव है। उन्हें बेकार नहीं रहने देना चाहिए। उन सब नवयुवकों को इस संगठन में ले लेना चाहिए। यह भी तो संचार मंत्रालय के अधीन ही है।

अन्त में मैं दिल्ली के राजधानी परिव्यय की बात करती हूँ। यह व्यय उन जमीनों की अदायगी के लिए किया जाना है कि जो कि अर्जित की गयी है। मेरा मत यह है कि दिल्ली विकास अधिकरण को किसी प्रकार का इस उद्देश्य के लिए पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने बहुत सी भूमि को अपने पास बेकार ही रहने दिया। इससे सरकार को काफी मात्रा में राजस्व की हानि उठानी पड़ी। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं, क्यों कि वह किसी भी उत्तरदायित्व के भार को महसूस नहीं करते। वह एक स्वतन्त्र निकाय के रूप में काम कर रहे है। इसने किसी भी समस्या को अन्तिम रूप से हल नहीं किया। इस पर भी मंत्री महोदय ने उसका पूर्णतः पुर्नगठन कर दिया है। इससे राज्य को करोड़ो की हानि हुई है। इसे ठीक किया जाना चाहिए।

Shri Balmiki (Khurja) : I support these excess demands but would like to say something in this connection. I don't want to object to the expenditure which is incurred in connection with the war, in the present situation. But I have certainly objection, if something spent uselessly in any department. I feel that there is a great need for effecting economy in all departments. Uptil now Government has completely failed in this connection. Everywhere we find corruption, and I am of the opinion that this is the root cause of the whole trouble. Until and unless this is remedied the expenditure cannot be cur tailed.

It is really very sad that people who are low-paid are terribly neglected and are given no rise at all. I have also complaint regarding the meagre salaries of the Jawans who are fighting at the battle field. They should be given a fair deal. The Minister should check the irregular expenditure and eradicate red tapism. Sound economic policy should be adopted. Country cannot tolerate the reckeless expenditure which is being incurred in different departments of the Government.

I want to say something regarding demand No. 24 and smuggling. I want that firm steps should be taken to check smuggling.

Lastly I come to the expenditure of Delhi Administration. The expenditure of the Delhi administration is increasing constantly. At the same time the land which has been acquired by the administration is not developed at all. Landless people are not getting land. I will urge upon the Government that the steps should be taken to see that Delhi should become self-sufficient unit in the matters of finance.

The need of the hour is to make our armed forces very strong in every direction. Army, navy and airforce all our wings should be sufficiently strong to meet the enemy's challenge. We shall have to cut our other expenditure very drastically in order to meet the defence needs. Government should set up an example of simplicity and austerity. We are on the right path, and there is no doub about it that we shall be victorious.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामलें में कुछ भ्रांति रह गयी है। लोक लेखा समिति ने इस पर विचार किया है और समिति ने इस पर अपनी सिफारिशें की है। हमें व्यय में कटौती करनी ही होगी। विभिन्न मंत्रालयों के व्यय में सुधार करने की आवश्यकता है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1962–63 जिसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है, एक विशेष स्थिति का वर्ष रहा है। हम युद्ध की स्थिति से निकल रहे है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विभिन्न मंत्रालयों के बजट तथा उसके व्ययपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है। जहां तक इस्पात सहकारी निधि का सम्बन्ध है, इससे हम बच नहीं सकते। बहुत सी बातों पर हम को निर्भर करना पड़ता है। अत: बिल्कुल सही बजट तैयार कर पाना तनिक कठिन है।

इसी संदर्भ में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में भी खर्च हुआ है। यह खर्च भी वर्ष के अन्त में हुआ है। इसका अनुमान पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करते समय नहीं लगाया जा सका था। उस समय इसकी कल्पना कर सकना सम्भव नहीं था। इस खर्चे से बचने का प्रयास भी किया गया था, परन्तु उससे बचा नहीं जा सका। इस स्थिति में हमें अतिरिक्त मांगों की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। हम अतिरिक्त मांगों को कम करने जायेंगे। परन्तु कई बार तो उन्हें प्रस्तुत करना ही पड़ता है। और इन्हें करना ही होगा जब तक कि उनकी मात्रा बहुत अधिक न हो जाय।

उपाअध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1962-63 के लिये सामान्य आयव्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान क लिए रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for excess Grants in respect of Budget (General) for 1962-63 were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1,45,149
24	सीमा-शुल्क	18,42,220
25	संघ उत्पादन-शुल्क	6,16,046
27	स्टाम्प	20,68,950
28	लेखा-परीक्षा	2,57,497
31	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्तिलाभ	2,46,281
50	क्षेत्रीय परिषदें	10,056
58	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,87,650
87	इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,20,90,911
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	35,88,097
93	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	30,77,366
98	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधि में विनियोग	1,70,51,137
116	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	14,98,047
127	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	15, 75,127
140	डाक और तार विभाग पर पूंजी परिव्यय (जो राजस्व से नहीं किया गया)	4,43,75,963
142	दिल्ली पूंजी परिव्यय	6,07,98,907

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल्वे)--(1962-63)

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS) 1962-63

वर्ष 1962-63 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपये)
3.	चालू तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान . . .	24,117
7.	कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) . . .	87,75,029
17.	चालू लाइन निर्माण कार्य—प्रतिस्थापन . . .	5,53,72,781
18.	चालू लाइन निर्माण कार्य—विकास निधि . . .	19,26,454
20.	विकास निधि में विनियोग	18,84,53,425

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : मांगों को नियमित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु वैसे इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : तो क्या इस पर कोई भाषण नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बोल सकते हैं, माननीय मंत्री बाद में उत्तर देंगे।

Shri Priya Gupta : Demands for excess grants have been put forward. There is demand No. 2 . I would like to say one thing in this connection and that is that whenever labour is recruited in connection with any works, undertaken by the Railways, their wages should be decided in accordance with the existing living conditions. They should at least get the minimum to keep their body and soul together. The wages of the casual labour should be the same as that of the regular labour. This is a very important point.

I may also state that when the scheme for the electrification of Railways is undertaken, the efforts should be made to absorb the workers who were already employed in the Steam locomotives in a regular way. Those persons should not be thrown away on the street.

Now as far as the question of compensation is concerned, *i.e.* the compensation for the land taken from the public in connection with the laying of railway lines etc. is not given in time. The poor people have to wait for years and undergo much hardship. I want to urge upon the Minister that proper procedure should be evolved in this direction. The payment should be made as quickly as possible. Also I may state that attention should be paid to the Service conditions of the construction staff.

I am also to state that the Railway Minister should see that no favouritism or nepotism is done in the name of the emergency. Emergency should not be used for any type of exploitation. The official attitude should change. The problems of trade unions should be settled in an atmosphere of mutual understanding. The areas which are scarce should be provided with the subsidised ration. General transfers should also be stopped.

[Shri Priya Gupta]

Railway people have done very excellent service during the crisis. I support the demand Nos. 2, 14 and 15 and commend that all should support them.

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : Our country is passing through a great crisis. I congratulate the Railway Minister and his colleagues for doing their best. They are proving equal to the task.

Transport has great importance at the time of war. Therefore I urge upon the House to accept all the demands for excess grants for the Railways. Therefore I support the demand Nos. 2, 14 and 15 and commend that all the honourable members should support them.

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, so far as demand number 17 is concerned, I think we are not working with far-rightness and result is that we have to make replacements time and again.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई । / DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair.*]

Due to this our railways cannot gain speed. Wherever we go, it is seen that work is going on lines, caution plates are there and the trains are run at a lower speed. Our trains do run at a speed more than 55 miles per hour as against 120 miles per hour from Tokyo to Osaka. In my opinion this expenditure of five crores of rupees will go waste and again a grant will be sought.

So far as giving money to the development fund, I welcome that.

श्री कृ० ल० मोरे (हातकंगले): मैं इन मांगों का पूरी तरह समर्थन करता हूं । हरेक का यह कर्त्तव्य है कि रेलवे के लिये जितने भी धन की मांग हो, उसे फौरन मंजूर कर दिया जाए क्यों कि हमें पता है कि हमारे रक्षा कार्यों के लिये रेलवे बड़ा मूल्यवान और सराहनीय कार्य कर रही है । संकट काल में रेलवे कर्मचारियों की कर्त्तव्यनिष्ठा बड़ी सराहनीय है । इतना ही नहीं रेलवे हमारे देश के आर्थिक विकास में भी योग देती है । कुछ प्रमुख रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की मांग बड़ी महत्वपूर्ण है और उनका समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय को और राज्य मंत्री, डा० राम सुभग सिंह, को बधाई देता हूं ।

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : जहां कहीं आवश्यक हो, और लाभप्रद हो, रेलवे लाइन के विद्यतिकरण का स्वागत है लेकिन इसके अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

रेलवे में कोयले की सबसे ज्यादा खपत होती है । यदि रेलवे का विद्युतिकरण हो गया, तो कोयला फालतू रहेगा । अतः कोयले के इस्तेमाल के भी उपाय सोचने चाहिये ।

जहां तक गुडूर से गुम्मुडिपुण्डी तक लाइन को दोहरा करने का सम्बन्ध है , हम सबको पता है कि विजयवाडा से मद्रास तक लाइन में उत्तर से दक्षिण को माल ढोने में बड़ी दिक्कतें आती हैं । यह बड़ा आवश्यक है कि विजयवाडा से मद्रास तक की सारी लाइन को दोहरा किया जाये ।

टाटानगर, राउरकेला और भिलाई से बरास्ता नागपुर और वाल्टेयर के मद्रास तक सीधे डिब्बे चलाये जाएं ।

औद्योगिक विकास के लिये बरास्ता , मदुरै, त्रिची से तूतीकोरिन तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये शीघ्र कदम उठाए जायें । मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाए । इससे अधिक माल ढोने को मिल सकेगा ।

जहां कहीं भीड़भाड़ हो, वहां अधिक संख्या में रेलगाड़ियां चलाई जाएं । अथवा उनमें अधिक डिब्बे जोडे जाएं ।

मदुरा शहर के निकट दो रेलवे लाइनों के ऊपर एक पुल न होने से बड़ी कठिनाई हो रही है । केवल क्रासिंग काफी समय तक बन्द रहते हैं । अत: मदुरा के निकट इन दो स्थानों पर भूमिगत या ऊपरी पुल बनाये जाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, I thank the Hon'ble Minister of Railways and the State Minister for the service rendered by Railways in this hard time. Railways are doing well in the recent attack by Pakistan on us and I also thank the railway workers for thier devotion to duty. The Parliament has praised their work.

If there had not been this biggest national undertaking railway, if there had not been such a big net of railway lines, our defence works could not have done properly. Today, the enemy planes are bombing in Pathankot and Amritsar but our railway traffic is continuing. The reason is that our railways are working properly. We have seen that railway is the biggest necessity for our country. We hoped that the Railway Minister would ask for more funds through these supplementary demands.....

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । यह चर्चा अनुपूरक मांगों पर हो रही है या अतिरिक्त मांगों पर ?

Shri Bhagwat Jha Azad : I am speaking on demands for excess grants but both the demands were put.

Shri U. M. Trivedi : If I had known that I would have spoken on both the demands. I thought to speak on both demands separately.

श्री स० का० पाटिल : जब मैं बोलना चाहता था तो मेरा विचार पहले अतिरिक्त मांगों पर और फिर अनुपूरक मांगों पर बोलने का था । हमने देखा कि भाषण दोनों मांगों पर हो सकते हैं । यद्यपि माननीय सदस्यों को इस प्रकार भाषण करने का अधिकार होगा , चर्चा वास्तव में दोनों पर चल रही है ।

सभापति महोदय : मैं समझ गयी हूं । इस समय अतिरिक्त मांगों पर चर्चा हो रही है ; अनुपूरक मांगों पर चर्चा के लिए भी कुछ समय दिया जाएगा ; वह तब बोल सकते हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Railways, being the backbone of all transport in the country, it should be alive to the difficulties of the travelling public throughout India and the need for a double track connecting Keul and Howrah *via* Bhagalpur cannot be ignored. This will go a long way in easing the neck breaking pressure on the main line.

My second request is about construction of a 1st class Waiting Room and an over-bridge at Peer Paints which serves many villages of the area..

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the hon. Railway Minister for the way his department shouldered the heavy responsibility devolved upon it during the current critical period.

[Shri Yashpal Singh]

My submission is that now when more power is required urgently for Ordnance Factories and Agriculutral projects, new railway tracks should not be electrified.

Improvement should be made in the speed of passenger trains in the Country.

One more fact which needs the attention of the hon. Minister is that Roorkee which is not only a big military base, but also is the seat of perhaps the biggest Engineering University in Asia as also the seat of Building Research Institute and therefore many people make use of its Railway station which neither has an overbridge nor tonga and rickshaw sheds causing great difficulty to the travelling public both Civil and Defence.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I congratulate the Railway Administration on the very good work done by them, during the present crisis. The Railways have given a lead in binding the Country into an integral whole. But they have to be extra vigilant regarding security because a big threat posed by dropping paratroopers by Pakistan who might try to indulge in sabotage activities.

The promise regarding opening of a loop line connecting Gorakhpur Sahajanwa and Mehadawal upto the border is long overdue, it should be fulfilled as early as possible.

The Lucknow-Gauhati line is narrow-gauge and single. This should be doubled.

With these words, I support these demands.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar) : I support the Demands now under consideration. Railways deserve heartiest congratulation for the very good work done by them in 1962 and at present.

Now that the survey work is to be taken up, I suggest that big and small bridges should also included in the scheme and the loss incurred due to their absence should be met by the Railways. A survey of bridges in North Bihar should also be undertaken afresh so as to regulate the flow of water there. I also request for a railway line to be opened between Supenal and Bhapatiahi on the North-Eastern Railway. This being a demand for the restoration of an old line.

Necessary steps should be taken to provide adequate facilities for Jute producing areas from Darbhanga to Jainagar. I also want that Korhaiya and Kamtol should be made halting stations where people are ready to render assistance by way of *shramdan* also.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I stand in support of these demands. I suggest that the proposed rail link between Kotah and Chittorgarh should touch Bundi also. A railway Station at Talera is also necessary. These areas provide stones, silica sand etc. and thus will give enough returns within three years. I would also like Talera to be connected with Chittorgarh *via* Dabipalka, Dhaushwar and Bijohia as also Kotah with Nasirabad *via* Bundi and Devali. The extension of railway line for Pokaran to Jaisalmer to facilitate movement of troops etc. right upto the border.

Shri Brij Bihari Mehrotra (Bilhaur) : Railways deserve all our praise for doing a very fine job during the critical period. It was high time to start the manufacture of tanks at Chittaranjan alongwith loccmotives. Parjani and Jutidara on the northern Railway should be made flag stations. The express train running should have a halt at Kathara Road.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : रेलवे मंत्रालय तथा उसके कर्मचारीगण इस कठिन समय में बहुत अच्छा कार्य कर दिखाने के लिए बधाई के पात्र हैं। जोगीगोपा-सिलिगुड़ी मार्ग का निर्माण करने का निश्चय 1962 में किया गया था और अब जबकि यह मार्ग बन कर तैयार हो चुका है, इसे यातायात के लिये तुरन्त खोल दिया जाना चाहिये क्योंकि यह क्षेत्र सदा ही यातायात की कठिनाई अनुभव करता रहा है, और इस समय वहां दो करोड़ रुपये के मूल्य का पटसन तथा 1 करोड़ की चाय यातायात साधनों के अभाव के कारण रुके पड़े हैं।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi) : Whereas the distance between Delhi and Patna is covered in the same time as that between Patna and Sitamarhi which is more than a sixth of the above. A survey for opening a Railway line between Muzaffarpur and Sonharsa *via* Sitamarhi was conducted as far back as 1942 but the line remains to be constructed till this day. The hon. Minister should see to it that no further delay is caused.

An Express train should be started from Virganj for Samastipur and Palezaghat for the convenience of people of North Bihar going to Delhi and Calcutta.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : निस्संदेह ही रेलवे से सम्बद्ध सभी लोगों ने सराहनीय कार्य किया है और जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा है रेलवे लाइनों तथा उसकी सम्पत्ति को हर ओर से बराबर खतरा बना हुआ है और हमें सेना से इसकी रक्षा की आशा नहीं करनी चाहिये क्योंकि इस समय वह देश की रक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। यह कार्य तो प्रत्येक नागरिक को चाहे वह संसद् सदस्य हो अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य करना है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर रेलवे लाइनों की 24 घंटे सुरक्षा की व्यवस्था करें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे विभाग ऐसा ही सराहनीय कार्य करता रहेगा। मुझे दिये गये सुझावों का ध्यान रहेगा परन्तु इस समय तो हमारा हर प्रयत्न युद्ध में सफलता प्राप्त करना है और हमारा पूरा ध्यान इसी ओर लगा हुआ है।

Shri Brij Bihari Mehrotra : What is the reaction of the hon. Minister to the suggestion regarding manufacturing tanks at Chittaranjan ?

श्री स० का० पाटील : अवश्य ही हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1962-63 के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands for Excess grants in respect of the Budget (Railways) for the year 1962-63 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
3.	चालू तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान . .	24,117
7.	कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) . . .	87,75,029
17.	चालू लाइन निर्माण कार्य—प्रतिस्थापन . . .	5,53,72,781
18.	चालू लाइन निर्माण कार्य—विकास निधि . . .	19,26,454
20.	विकास निधि में विनियोग	18,84,53,425

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल्वे), 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1965-66

वर्ष 1965-66 के लिए रेलवे आयव्ययक के सम्बन्ध में अनूपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
2	रेलवे-विविध व्यय	1,000
14	नई लाइनों का निर्माण	1,000
15	चालू लाइन निर्माण-कार्य—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि . . .	1,000

उपाध्यक्ष महोदय : यह मांगे अब सभा के समक्ष है । क्या माननीय मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री स० का० पाटील : जी नहीं । यह केवल सांकेतिक अनुदान हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा ? कोई नहीं ।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : I would not have spoken on these token grants if the question of principle would not have been involved in it. Demands nos. 2, 14 and 15 are beyond criticism. I would rather have appreciated if more money would have been asked for to cover more schemes.

The Railway Board remains indifferent to the real problems faced by this department and could be branded indifferent to its Ministers who are considered nothing more than migratory birds. Ahmedabad is connected directly to Delhi by a meter gauge. Much time and money has unneccessarily been spent on doubling the track between Godra and Ratlam. A new line between Ahmedabad and Kotah should be opened without resorting to doubling the track. Bari Sadri should be connected to Neemuch and Neemuch should be directly linked with Kotah and this could avoid the necessity of survey work between Kotah and Chittoor. A direct line from Ahmedabad to Kotah could ease the burden of traffic. Banswada and Pratabgarh areas are very rich in minerals but are facing difficulties in transporting this wealth. In many parts of Gujarat, very many bits of tracks have been abandoned in the face of increased road traffic. This should be looked into.

Shri Balmiki (Khurja) : Railways have acquitted themselves very creditably in the present test. The present times demand strict economy and thus these Excess Demands seem superfluous. Still I am in favour of token grants which appear necessary in view of the necessity of carrying the Defence equipment and other necessities for Jawans in an efficient manner. Other works should also be taken in hand as early as possible.

I would suggest that the Railway employees at Railway Stations in the forward areas should be equipped with arms to enable them to face the enemy effectively.

सदस्य को निरुद्ध किया जाना

DETENTION OF MEMBER

(श्री बदरूददुजा)

(Shri Badrudduja)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को पश्चिम बंगाल सरकार के सहायक सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है कि लोक सभा के सदस्य सैयद बदरुद्दुजा को 10 सितम्बर, 1965 को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध कर लिया गया था और उन्हें अलीपुर विशेष जेल में रखा गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 14 सितम्बर, 1965/23 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Tuesday, September 14, 1965/Bhadra 23, 1887 (Saka).